खण्ड-207, अंक-7
मंगलवार, 17 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(8 सितम्बर, 1959 ई0)

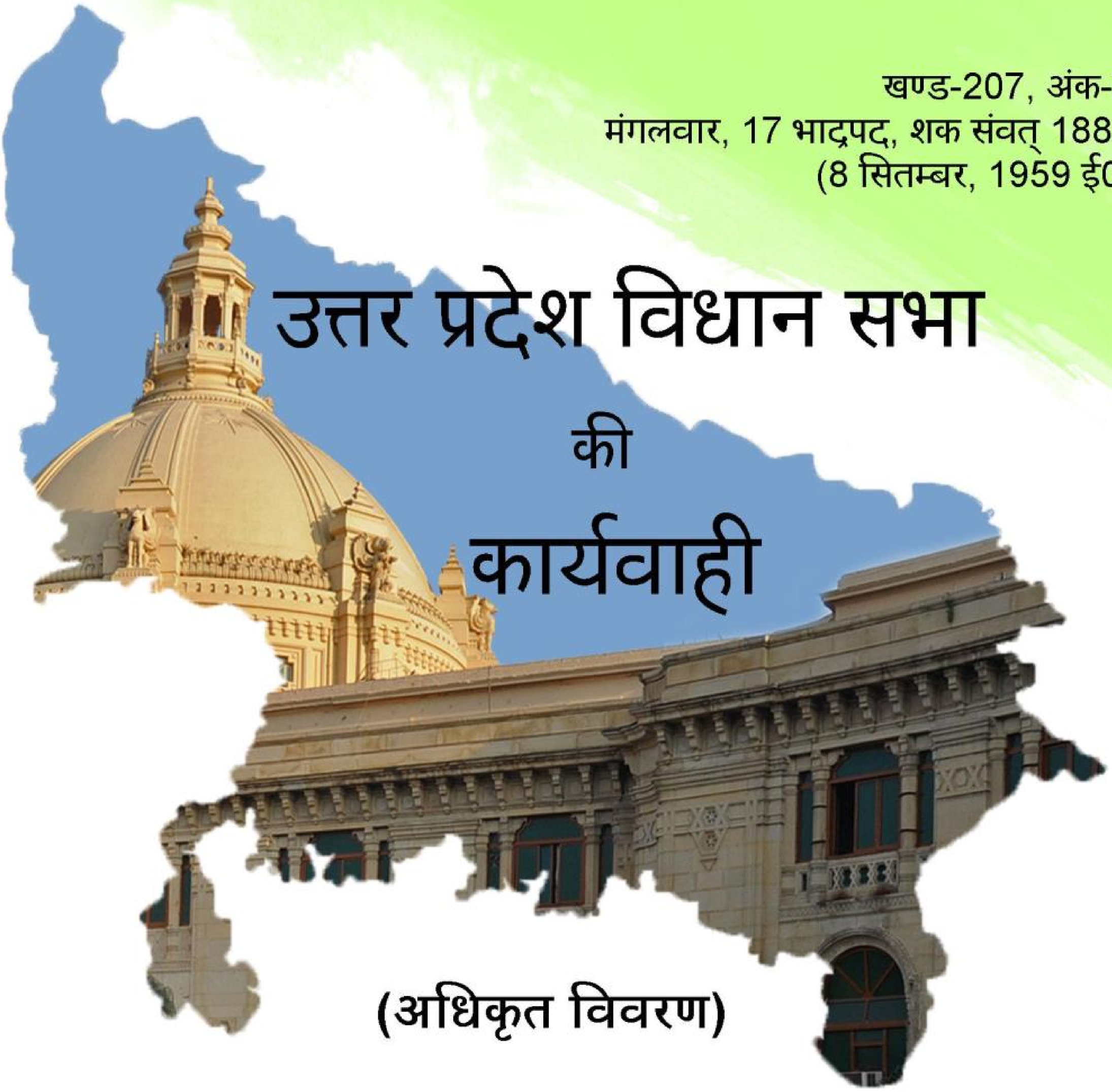

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 207 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ८ सितम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३७६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी, गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री

परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री

राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख श्री,
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखनसिंह, श्री
लायकसिंह, चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल, तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हृदय लसिंह, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री, श्री महावीर सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ८ सितम्बर, १९५९

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सिंचाई विभाग में अनक्वालिफाइड ड्राफ्ट्स मेन को हटाने का आदेश

*१—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा ऐसा आदेश निकाला गया है कि पांच साल से कम अवधि के unqualified draftsmen हटा दिये जायं? यदि हां, तो इसका प्रभाव कितने unqualified draftsmen पर पड़ेगा और कितने ऐसे unqualified draftsmen हैं जो इस विभाग में ट्रेसर के पद से तरक्की पाकर आये हैं?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)—जी हां। ऐसा एक आदेश निकाला गया था, परन्तु अब वह स्थगित कर दिया गया है और इस विषय पर पुनः विचार किया जा रहा है।

उपरोक्त आदेश से ११३ unqualified draftsmen के प्रभावित होने की सम्भावना थी।

उपरोक्त unqualified draftsmen में से लगभग २५ ऐसे draftsmen हैं, जो कि tracer के पद से उन्नति पा कर draftsmen हुए हैं।

*२—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चीफ इंजीनियर Establishment आफिस में पांच साल से कम अवधि की सेवा वाले कितने unqualified draftsmen स्थायी किये गये हैं और उपर्युक्त आज्ञा के निकलने के कितने दिन पहले स्थायी किये गये ?

श्री महावीरसिंह—केवल एक unqualified draftsman मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में स्थायी किया गया है। वह अन्य unqualified draftsman के हटाये जाने की आज्ञा निकलने के ७ माह पूर्व स्थायी किया गया था।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो अनक्वालिफाइड ड्राफ्ट्समैन काम कर रहे हैं उन के लिए सरकार ने कोई स्केल अप्रूव किया है ?

श्री महावीरसिंह—अनक्वालिफाइड ड्राफ्ट्समैन के लिए ८५—५—१३० —दक्षता रोक—८—२०० रु० का स्केल है।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब अनक्वालिफाइड ड्राफ्ट्समैन के लिए एक स्केल अप्रूव किया गया है तो उन की सर्विसज टरमिनेट करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री महावीरसिंह—१०३—६—१६२—दक्षता रोक—१०—२५० रु० का वेतन कम क्वालिफाइड का है तो अनक्वालिफाइड ड्राफटसमैन के नाम से ही मालूम होता है कि वह इतने क्वालिफाइड नहीं थे और इसी लिए उन को कम पैसा दिया जाता था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार बतायेगी कि यह आदेश कब निकाला गया और स्टे कब किया गया और आदेश निकालने के तुरन्त बाद स्टे करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—२२ जुलाई, सन् १९५९ को।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या रामपुर टेक्निकल इन्स्टीटयूट के पास शुदा विद्यार्थी भी अनक्वालिफाइड माने जाते हैं ?

श्री महावीरसिंह—सूचना की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह ट्रेसर अनक्वालिफाइड थे तो उनका प्रमोशन उस पोस्ट पर क्यों किया गया ?

श्री महावीरसिंह—मैं समझा नहीं, इस में पदोन्नति का सवाल नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस प्रकार ड्राफ्ट्समैन की अवधि ५ साल की थी और उस को स्थायी किया गया तो क्या बाकी को भी उसी प्रकार स्थायी करने का विचार है?

श्री महावीरसिंह—जो स्थायी किये गये उन का केडर दूसरा था और जो दूसरे अनक्वालिफाइड ड्राफ्ट्समैन हैं उन के मामले पर अभी विचार ही हो रहा है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न का उत्तर जो इस प्रकार है कि "हां", ऐसे आदेश निकाले गये थे और फिर स्थगित किये गये और उन पर पुनर्विचार होगा तो क्या पुनर्विचार करते समय सरकार इस पर विचार करेगी कि जो ट्रेसर के पद से आये हैं उन को बजाय हटाने के फिर से ट्रेसर के पद पर रिवर्ट कर दिया जाय ?

श्री महावीरसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप इजाजत दें? जो अनक्वालिफाइड ड्राफ्टस्मेन थे, पहले ये रखा गया कि जो पांच वर्ष से अधिक की सर्विसेज वाले हैं उन को मौका दिया जाय कि वे विभागीय इम्तहान में पास हो जायं और पास हो जायं तो उन्हें परमानेन्ट कर देने का विचार था, लेकिन बाद में कुछ रिप्रेजेन्टेशन ऐसे आये जिनसे मालूम हुआ कि जो पांच साल से कम की सर्विसेज के हैं उन में भी कुछ अच्छे लोग हैं। तो यह सोचा गया कि सभी को मौका दिया जाय ताकि इम्तहान में बैठ सकें और अपनी एबिलिटी दिखला सकें।

*३–४—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)—[सातवें मंगलवार के लिए प्रश्न ३–४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

करछलिया खालसा व करछलिया ग्रांट गांवों के कूड़ा नदी के कटाव में आने का भय

*५—**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के ग्राम करछुलिया खालसा व करछुलिया ग्रांट, जो कि उसका सोहांस सड़क पर बसा हुआ है, की आबादी को कूड़ा नदी तेजी से काट रही है और उक्त नदी के कटाव के कारण गांव वालों का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है?

श्री महावीरसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

[८ सितम्बर, १९५९ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—[स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित छठे बुधवार के लिए प्रश्न १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

श्री पी० एच० पंजाबी, लिपिक, नारायणी कैनाल का त्याग-पत्र

*३—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही है कि गत नवम्बर, सन् १९५८ में नारायणी नहर, विभाग, गोरखपुर में काम करने वाले कर्मचारी श्री पी० एच० पंजाबी ने अपना त्याग-पत्र सरकार के पास प्रेषित किया था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त त्याग-पत्र की एक प्रति मेज पर रक्खेगी?

श्री महावीरसिंह—जी हां। श्री पी० एच० पंजाबी, लिपिक, नारायणी कैनाल डिवीजन, गोरखपुर ने गत नवम्बर, सन् १९५८ में एक नोटिस अपने पद से त्याग करने के लिए दिया था। उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६३३ पर।)

*४—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त इस्तीफे के सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या किया गया?

श्री महावीरसिंह—उक्त इस्तीफे पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस्तीफे में लिखे हुए इन शब्दों की ओर गया है:—

"The circumstances forcing me to resign are being reported directly to you in a separate cover, to the Ministers and Presidential levels of India as I feel Justice can only be achieved from your office, the TEMPLE OF JUSTICE."

यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जो सेपरेट कवर में भेजने की बात का जिक्र किया गया है वह क्या है और उसके प्रति सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री महावीरसिंह—जिसका रेफरेंन्स अभी माननीय सदस्य ने दिया वह दरख्वास्त जरूर आई थी और उस पर कार्यवाही की गई।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें उन्होंने क्या विवरण दिया था और उस पर क्या कार्यवाही की गई, इसका जवाब नहीं दिया गया।

श्री महावीरसिंह—कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत थी और उसमें जांच हो रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मंत्री जी बताएंगे कि वह कौन से कुछ लोग हैं? क्या विभाग के लोग हैं?

श्री महावीरसिंह—जी हां, विभाग के लोग हैं। उसमें से एक-दो नाम मैं बताए देता हूं, श्री टी० बी० सिंह और श्री गर्ग।

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल—माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जो इस त्यागपत्र में लिखा है कि मुझे फोर्स किया गया रिजाइन करने के लिये क्या यह सही है?

श्री गिरधारीलाल—मैं सफाई के तौर पर एक बात कह दूं। पंजाबी अनक्वालीफाइड लिपिक हैं। इनका पूरा कैरेक्टर रोल काफी एडवर्स एन्ट्रीज से भरा हुआ है। इसके पहले भी इनकी सर्विसेज टरमीनेट हुई, लेकिन बाद में लोगों के कहने-सुनने पर रख लिया गया। इसके बाद भी ऐसी बात थी कि शायद इनकी सर्विसेज टरमीनेट होने का खयाल था। इन सब बातों को फोरसी करके इन्होंने इस्तीफा दिया। इसमें जो चार्जेज लगाये गये हैं उनको देखते हुए उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। जो चार्जेज थे उनकी इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी चल रही है। श्री प्रागनारायण जो डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं यह इंक्वायरी उनके सुपुर्द की गई। उन्होंने तय किया कि सब से पहले पंजाबी को मुअत्तल करना चाहिए और अब उसको मुअत्तल कर दिया गया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि जो इलजामात श्री पंजाबी ने लगाये थे उनमें से अधिकांश सही पाये गये और उनको सही पाते हुए भी श्री पंजाबी की सर्विसेज को टरमिनेट किया गया?

श्री महावीरसिंह—उनकी जांच हो रही है और मैं समझता हूं कि उनका कहना उचित नहीं होगा।

*५—७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—[३ सितम्बर, १९५९ को प्रश्न ६—८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

माताटीला बांध के फाटकों में लीकेज की शिकायत

*८—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि माताटीला बांध के ११ व १२ नं० फाटकों में से लीक होने वाले पानी को रोकने के लिये पहले सन् १९५६ में दूसरी मर्तबा सन् १९५७ में ६० फीट तक मिट्टी पुरवाई गई थी? यदि हां, तो उसमें कितना-कितना रुपया व्यय हुआ था?

श्री महावीरसिंह—जी नहीं।

*९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि उक्त फाटकों की नींव चट्टानों या जमीन की बजाय रेत पर रख दिये जाने के फलस्वरूप कमजोर हैं और इसी कारण वहां पानी लीक करता है तथा पुरवाई गई मिट्टी के कट जाने से बंधा में पुराव हो जायेगा वह वहां पर बंधे के फट जाने का खतरा है? यदि हां, तो उसने क्या कार्यवाही की?

श्री महावीरसिंह—जी नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मंत्री जी उक्त मामलों की जांच उस कमेटी से कराने की कृपा करेंगे जो माताटीला सम्बन्धी अन्य मामलों की जांच करने के लिये श्री बी० बी० लाल, फाइनेंस कमिश्नर की अध्यक्षता में काम कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल--मैं समझता हूं इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है । अगर आगे चल कर जरूरत होगी तो वह कमेटी नहीं दूसरी किसी कमेटी के सुपुर्द यह काम किया जा सकता है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार बतायेगी कि उक्त बांध के अन्तर्गत १९५५-५६ में ३५ फीट ऊंची और लगभग ५० फीट चौड़ी कोई मिट्टी की सड़क बनायी गई थी ?

श्री महावीरसिंह--जी हां, कच्ची सड़क बनायी गई थी सामान ढोने के लिये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न संख्या ८ और ९ में जो आरोप लगाये गये हैं कि मिट्टी फिर से डाली गई और पानी लीक करता रहा इनकी जांच करायी गई ? अगर हां, तो किसके जरिये करायी गई ?

श्री गिरधारी लाल--मैं समझता हूं कि इसमें कुछ गलतफहमी है । दरअसल जैसा माननीय गोस्वामी जी ने पूछा तो पीछे की तरफ एक चबूतरा जैसा बनाया गया था जो ८० फीट चौड़ा था और २५ फीट ऊंचा था । जहां तक उसमें लीक करने की बात है वह बिल्कुल लीक नहीं करता है इसको कई ऐक्सपर्ट्स ने देख लिया है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार बतायेगी कि जो मिट्टी की सड़क बनायी गई थी वह अभी भी कायम है, उसको हटाया नहीं गया ?

श्री महावीरसिंह--जी हां, पानी के नीचे उसका बहुत कुछ हिस्सा दबा हुआ है ।

अलीगढ़ जिले में विभिन्न ड्रेनों का निर्माण

*१०--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की तहसील हाथरस की जलालपुर ड्रेन के निर्माण में कितना भाग पूरा करने को बाकी है और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री महावीरसिंह--अलीगढ़ जिले की तहसील हाथरस की जलालपुर ड्रेन पर मुख्य कार्य समाप्त हो चुका है । कुछ छोटे कार्य जैसे बेडवार, और काजवे (Causeway) पर काम हो रहा है और यह भी इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जायेगा ।

*११--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजपुर-मितनपुर ड्रेन और लाखनू-जाफराबाद ड्रेन साइफन सहित जो पिछले दो वर्षों से बनाये जा रहे हैं उनके पूरा होने में कितनी कमी है, कितनी-कितनी लम्बाई में दोनों ड्रेन्स अलग-अलग खोदी जा सकी हैं और ये कब तक पूरी हो सकेंगी ?

श्री महावीरसिंह--राजपुर-मितनपुर ड्रेन की लम्बाई ३ मील १ फर्लांग है । इसमें तीन मील की लम्बाई पर मिट्टी का कार्य समाप्त हो चुका है । आवश्यक रास्तों पर दो पुलों का निर्माण भी हो चुका है । शेष ५ पुलों का निर्माण मार्च, १९६० तक समाप्त हो जाने की आशा है । लाखनू-जाफराबाद नाला, जिसकी लम्बाई ८ मील है, एक मील पूर्ण रूप से खोदा जा चुका है । साइफन का निर्माण शीघ्र ही किया जायेगा इसके पूरे होने की अभी कोई निश्चित अवधि नहीं निर्धारित की जा सकती है ।

*१२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—हाथरस तहसील के लियोजो २० लाख रुपये की योजना ड्रेन्स बनाने के लिये स्वीकृत हुई थी उसमें कितना काम हो चुका है और कितना-कितना किस-किस ड्रेन्स का शेष है ?

श्री महावीरसिंह—हाथरस तहसील के लिए २० लाख रुपये की कोई भी योजना ड्रेन्स बनाने के लिए स्वीकृत नहीं की गई है। जो चालू ड्रेनेज स्कीमें हैं उनकी कुल अनुमानित लागत साढ़े ८ लाख से कुछ अधिक आती है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माठ बांध के नीचे होकर लाखनू पर साइफन निकालने का कार्य कब से आरम्भ हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—इस पर बहुत ही जल्द काम शुरू किया जायगा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—राजपुर-मितनपुर नाले के ५ पुलों के बनाने के लिये कितने व्यय की योजना सरकार के सामने है ?

श्री महावीरसिंह—यह जलालपुर ड्रेन के लिये १,०७,४०० रुपये की एस्टिमेटेड कास्ट है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—मैंने यह पूछा था कि राजपुर-मितनपुर नाले पर जो पुल बनाने की योजना है उसके लिये एस्टिमेटेड कास्ट क्या है ?

श्री महावीरसिंह—२४,६४७ रु०की योजना थी जिसमें १० हजार व्यय हो चुके हैं और बाकी कार्य चल रहा है।

*१३-१४—श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१५—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

विद्युत प्रकाश से वंचित लखनऊ के मुहल्ले

*१६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर में कौन-कौन मुहल्ले कितनी-कितनी जनसंख्या के हैं जहां पर अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है और क्यों ?

श्री महावीरसिंह—यह सूचना संलग्न सूची में दी हुई है। इन मोहल्लों में बिजली की पर्याप्त मांग न होने के कारण यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ ने अभी तक अपनी लाइनें नहीं लगाई हैं। नगरपालिका लखनऊ भी धनराशि की कमी के कारण इन मोहल्लों में बिजली पहुंचाने में असमर्थ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६३४ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलावेगी कि इन ३५ मुहल्लों में लाइन बिछाने में कुल कितना व्यय होगा ?

श्री महावीरसिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इतनी बड़ी आबादी में से कितने प्रतिशत लोगों ने बिजली की मांग की है और कितने प्रतिशत लोगों ने नहीं की है ?

श्री महावीरसिंह—जितने लोगों ने की है कानून का पालन करते हुए उनकी संख्या इतनी नहीं है कि जिनके आ जाने पर बिजली कम्पनी बाधित हो जाती लगाने के लिये।

*१७—१९—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—[सहकारिता मंत्री से सम्बन्धित छठे सोमवार के लिये प्रश्न ६–८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

शारदा सागर बांध की तली में फिल्टरटो न डालना

*२०—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि शारदा सागर बांध के प्रथम स्टेज में बांध कितना चौड़ा बनाया गया और फिल्टरटो डाली गई या नहीं ?

श्री महावीरसिंह—शारदा सागर बांध की प्रथम स्टेज में ऊपरी सिरे (top) पर चौड़ाई १९ फुट है। नीचे के तले (bottom) पर चौड़ाई भिन्न-भिन्न है जैसे जहां से बांध आरम्भ होता है तले की चौड़ाई २६२.५ फुट है तथा उसके अन्त में तले की चौड़ाई ३९.६ फुट है। फिल्टरटो नहीं डाली गई है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—द्वितीय स्टेज पर बांध की चौड़ाई जितनी हो गयी थी उतनी चौड़ाई क्या पहले स्टेज पर नहीं थी ?

श्री महावीर सिंह—वह तो सेकिंड स्टेज पर बड़ा बना था।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सच है कि चौड़ाई कम होने के कारण ही फिल्टरटो नहीं डाला जा सका ?

श्री महावीर सिंह—जी नहीं, आगे बनाने के लिये दूसरी योजना थी उसके ऊपर बनाने की, इसलिये पहले स्टेज पर फिल्टरटो डालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उस पर व्यय फिर व्यर्थ जाता।

श्री रामस्वरूप वर्मा—फिल्टर टो न डाले जाने के कारण ही बांध को काफी नुकसान हुआ और फिर बाद में फिल्टर टो ज्यादा रुपये व्यय करके डाला गया ?

श्री गिरधारी लाल—जिस समय फाइनल स्टेज पर बांध आया तो फिल्टर टो डाला गया। पहले स्टेज पर कोई फिल्टर नहीं लगाया गया क्योंकि उसके लगाने से फजूलखर्ची होती। बाद में दूसरे स्टेज पर मिट्टी डाली गयी और नये सिरे से फिल्टर लगाया गया। इस तरह से दूसरे स्टेज के पूरा होने पर फिल्टर टो लगाया गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—फिल्टरटो पहले स्टेज पर चौड़ाई कम होने की वजह से नहीं लगाया गया और यह गलती इसलिये हो गयी कि मेकेनिकल इंजीनियर काम कर रहा था न कि सिविल इंजीनियर ?

श्री महावीर सिंह—जी नहीं।

गोरखपुर जिले में ठेकेदारों पर वन विभाग का बकाया

*२१—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में सन् १९५७–५८ में २८० ठेकेदारों के यहां कितना रुपया वन विभाग का बकाया है ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—१९५७–५८ में गोरखपुर फोरेस्ट डिवीजन के २८० ठेकेदारों पर बन विभाग का कुल ५,२१,२९० रुपया बकाया है।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन-जिन ठेकेदारों का रुपया बाकी रहा उनसे पया वसूल करने के लिये सरकार ने अब तक कौन-कौन से उपाय किये ? अथवा करने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर——ज्यादातर दो किस्म के ठेकेदार हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको फिर ऐसा ठेका दे दिया गया और उनका सामान व रुपया अभी गवर्नमेंट के कब्जे में है, उनसे तो डी० एफ० ओ० वसूल करेगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका काम खत्म हो गया है उनके लिये कलेक्टर को लिख दिया गया है कि वे वसूल करेंगे।

श्री गेंदासिंह——क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रकम कितने दिन से बकाया है और कितने ठेकेदार ऐसे हैं जो फिर से काम कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर——मेरे पास जो हिसाब है उससे यह मालूम होता है कि सन् १९४४–४५ से बकाया रकम चली आ रही है और यह सब मिला कर इस वक्त ५ लाख २१ हजार रुपये हो गयी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सब से बड़ी रकम किस ठेकेदार पर बकाया है और उसकी वसूली के लिये क्या किया गया और क्या अब भी वह ठेकेदार हैं ?

श्री सैयद अली जहीर——ठेकेदारों का नाम इस वक्त मेरे पास नहीं है। यह भी नहीं मालूम हो सकता कि किसी एक ठेकेदार पर कितना बकाया है, क्योंकि हर साल का लिखा है कि इतने ठेकेदार हैं और इतने ठेकेदारों पर कुल इतना रुपया बकाया है।

श्री चन्द्रजीत यादव——जब सन् १९४४–४५ से यह रकम बकाया है तो क्या अब तक सरकार ने जानने की कोशिश की कि जिलाधीश ने उन ठेकेदारों से वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री सैयद अली जहीर——वह तो बराबर कार्यवाही करते रहते हैं। मेरे ख्याल में इससे बहुत ज्यादा रकम होगी। कुछ वसूल हो गयी होगी, अब इतनी बाकी रह गयी होगी।

श्री गौरीराम गुप्त——क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ठेकेदारों के ऊपर रुपया बकाया है उनको ठेका क्यों दिया गया ?

श्री सैयद अली जहीर——पहले की बात तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन अब मैंने यह आदेश दे दिया है कि जिन ठेकेदारों के ऊपर रुपया बकाया है वे जब तक अपना बकाया अदा न कर दे तब तक उनको ठेका न दिया जाय और इस पर अब अमल हो रहा है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे——सरकार को बकाया वसूल करने का अधिकार है डिक्री के स्वरूप, अटैचमेंट करके, तो क्या इन ठेकेदारों के खिलाफ इस प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही मंत्री महोदय ने की या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर——जैसा मैंने बताया कि कलेक्टर को आदेश भेज दिये गये हैं कि बतौर लैंड रेवेन्यू के उनसे वसूल किया जाय और वही कार्यवाही हो रही है।

*२२—२४——**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)——[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

मड़ियाहूं नहर से धारिकपुर माइनर निकालने की प्रार्थना

*२५——**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)——क्या सरकार के पास जौनपुर जिले से विभागीय कार्यालय द्वारा मड़ियाहूं नहर से धारिकपुर माइनर के निकालने के बारे में कोई रिपोर्ट स्वीकृति के लिये कुछ समय पूर्व आयी है ?

श्री महावीरसिंह——नहीं।

*२६--श्री नागेश्वरप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त माइनर के संबंध में कितना कार्य हो जाने की रिपोर्ट आई है ?

श्री महावीरसिंह--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नागेश्वरप्रसाद--क्या मंत्री महोदय धारिकपुर माइनर क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसके निर्माण के हेतु आवश्यक आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह--अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं है ।

पश्चिमी और पूर्वी जिलों में मजदूरी में अन्तर

*२७--श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में काम करने वाले मजदूरों को पश्चिमी जिलों में पूर्वीय जिलों की अपेक्षा अधिक मजदूरी दी जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ?

श्री महावीरसिंह--जी हां, क्योंकि पश्चिमी जिलों में सामान्य मजदूरी (general wage level) की दरें पूर्वी जिलों की अपेक्षा अधिक हैं ।

श्री पब्बरराम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों के मजदूरों की मजदूरी और पश्चिमी जिलो के मजदूरों की मजदूरी में कितना अन्तर है ?

श्री महावीरसिंह--वह तो अलग-अलग समय पर अलग-अलग होती रहती है ।

श्री पब्बरराम--मजदूरी में जो अन्तर है उसका आधार उनकी मेहनत है या कोई खास वजह है ?

श्री महावीरसिंह--जो दरें वहां पर प्रचलित होती हैं उनका ध्यान रखा जाता है ।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी किसी एक समय की दोनों जगहों की दरें बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह--आज के लिये तो यह कर दिया गया है कि मेट ४० रुपये, बेलदार ३५ रुपये और मजदूर ३० रुपये से कम नहीं पायेगा ।

श्री गेंदासिंह--यह तो एक जगह की हुई, दोनों जगहों की क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--जो ३० और ४० रुपये बताये इसी के बीच में सबका है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि समान काम के लिये समान वेतन या समान मजदूरी के सिद्धान्त को मानकर जो पूरब और पश्चिम में भेद है उसको खत्म करने के लिये वह विचार कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--समानता जरूर लाना चाहते हैं, लेकिन जहां तक पी०डब्ल्यू०डी० का संबंध है सप्लाई डिमांड के सिद्धान्त से वेजेज तय होती है । पश्चिम में वेजेज ऊंची हैं । इसके बहुत से फैक्टर्स होंगे जो माननीय सदस्यों को मालूम हैं, लेकिन पूरब में वेजेज कम हैं । इसलिये जैसे लेबर अवेलेबिल होती है वही वेजेज रखे जाते हैं ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दोनों जगह एक ही वेजेज करने में उनको क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने इसका स्पष्टीकरण कर दिया है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस फर्क का एक कारण यह भी है कि पूरब में मजदूर आसानी से मिल जाते हैं और पश्चिम में नहीं मिलते हैं ?

श्री महावीरसिंह—जी हां, यह भी हो सकता है ।

*२८—**श्री पब्बरराम**—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों की मजदूरी व छुट्टियां

*२९—**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों की मजदूरी का स्केल क्या है ? क्या उन्हें मजदूरी मासिक आधार पर दी जाती है ?

श्री महावीरसिंह—वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६३५ पर ।)

*३०—**श्री रघुवीरराम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों को महंगाई का नियमित भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री महावीर सिंह—इन मजदूरों को महंगाई का भत्ता अलग से नहीं दिया जाता है ।

*३१—**श्री रघुवीरराम**—क्या सरकार को पता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों को मिलने वाली १२ दिन की सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या घटा कर १० कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरसिंह—पहले विभिन्न स्थानों पर विभिन्न संख्या में छुट्टियां दी जाती थीं, किन्तु अब वर्ष में १० दिन की छुट्टियां पूरे राज्य में दी जाती हैं ।

श्री रघुवीरराम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन मजदूरों को किन-किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है ?

श्री महावीरसिंह—सुविधाएं जो मनुष्यों को चाहिये वह इनको भी चाहिये ।

श्री रघुवीरराम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो मजदूर अस्थायी रूप से काम करते हैं उनको भत्ता क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री महावीरसिंह—भत्ता तो किसी को नहीं दिया जाता है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी इसको ध्यान में रखकर कि मजदूरों को वेतन या मजदूरी अधिकारी देर में देते हैं, ऐसे आदेश देंगे कि उनको वह समय पर मिल सके ?

श्री महावीरसिंह—आदेश तो हैं और दुहरा दिये गये हैं कि मजदूरी समय पर मिलनी चाहिये । अगर कोई शिकायत हो तो मुझे बतायें । उसके लिये कार्यवाही की जायगी ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी ऐसी कोई सरकारी कमेटी बनायेंगे जो मजदूरों के वेतन, महंगाई आदि प्रश्नों पर विचार करे ?

श्री महावीरसिंह—एक रिआर्गेनाइजेशन कमेटी बिठाई गई थी और इस पर विचार हो रहा है ।

*३२—**श्री टीकाराम पुजारी** (जिला बदायूं)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३३—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३४–३५—**श्री उग्रसेन**—[सातवें मंगलवार के लिये प्रश्न ६५–६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३६–३७—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—[सातवें मंगलवार के लिये प्रश्न ६७–६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

दोहरीघाट नहर निर्माण में क्षति-ग्रस्त फसल का मुआवजा न मिलना

*३८—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत दोहरीघाट नहर निकालने में जिन किसानों की फसल की जो क्षति हुई उसका मुआवजा उन तमाम किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरसिंह—जी नहीं, कुछ किसानों को उनके उपस्थित न होने के कारण अभी तक मुआवजा नहीं दिया जा सका है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दोहरी घाट नहर का पानी बलिया जिले को कब तक उपलब्ध हो जायेगा ?

श्री महावीरसिंह—१९६० ई० तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है और कितने बाकी रह गये हैं ?

श्री महावीरसिंह—किसानों की संख्या तो इस समय नहीं बताई जा सकती है, लेकिन इतना बताया जा सकता है कि १४२३५.१४ रुपये दिये जा चुके हैं।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो किसान बाकी रह गये हैं उनको मुआवजा देने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री महावीरसिंह—उनको बुलाया जा रहा है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले छः साल से नहर के लिये जमीन ली गई है और यही नहीं कि उनको मुआवजा नहीं मिला, बल्कि किसानों को उस जमीन का लगान भी देना पड़ता है ?

श्री गिरधारीलाल—इसकी मुझे इत्तला नहीं है, लेकिन अगर लगान देने की बात होगी तो उनको वापस हो जायगी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बतायेगी कि मुआवजा देने में, इतनी देर होने का क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह—किसान बुलाये गये थे, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इसलिए देर हुई।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट नहर से जो पानी दिया जा रहा है वह इतना कम है कि आजमगढ़ जिले के लिए भी पर्याप्त नहीं है तो बलिया जिले को भी पानी मिल सके, इसके लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाया है ?

श्री महावीरसिंह--आजमगढ़ जिले में कोई ऐसी चीज सुनने में नहीं आयी है। दोहरीघाट के लिए एक बीच में रेलवे क्रासिंग है, उसके बन जाने के बाद संभवतः पानी आगे बढ़ सकेगा।

तुलसीपुर--पचपेड़वा सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*४०--**श्री धर्मपालसिंह** (जिला गोंडा)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में तुलसीपुर से पचपेड़वा जाने वाली कच्ची सड़क को पोख्ता करने के लिये कोई प्रस्ताव अन्तरिम जिला परिषद् से गत वर्ष में आया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री महावीरसिंह--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क कब तक बन जायेगी ?

श्री महावीरसिंह--जवाब में बता दिया गया है।

*४१-४२--**श्री धर्मपालसिंह**--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली की कमी

*४३--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि Martin Company द्वारा नैनी इण्डस्ट्रियल कारखानों को बिजली सप्लाई कराई जाती है या अन्य किसी कम्पनी द्वारा ?

श्री महावीरसिंह--नैनी इण्डस्ट्रियल एरिया में यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद द्वारा बिजली दी जाती है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड की मैनेजिंग एजेंट मार्टिन कम्पनी है ? यदि हां, तो क्या उस कम्पनी को वहां बिजली बढ़ाने के लिये कर्ज दिया गया है ?

श्री महावीरसिंह--जी हां, मार्टिन कम्पनी है और उसको सरकार की तरफ से बिजली बढ़ाने के लिए कुछ रुपया दिया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो कर्ज दिया गया है उस कर्ज के बाद वहां पर बिजली बढ़ायी गयी अथवा नहीं ?

श्री गिरधारीलाल--उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। फारेन एक्सचेंज की दिक्कत है। वह हल होने के बाद वहां का प्रश्न हल हो जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नैनी इंडस्ट्रियल स्टेट में बहुत से ऐसे कारखाने हैं जो एक साल हुए मशीनों को मंगा कर रखे हुए हैं, लेकिन मार्टिन कम्पनी बिजली नहीं दे रही है और उनका कहना है कि चूंकि सरकार रिहन्द डैम से बिजली देना चाहती थी, हमने एक्सपैन्ड नहीं किया है, इसलिए हम नहीं दे सकते ?

श्री गिरधारीलाल--रिहन्द का संबंध इससे नहीं है, लेकिन बिजली कम है। जितने ज्यादा लोगों को दे सकी, उसने दिया।

*४४-४५--**श्री राजकिशोर राव** (जिला बहराइच)--[सातवें मंगलवार के लिये प्रश्न ६१-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बलभद्दरपुर तथा रेवड़ा ग्राम के बीच तालाब से पानी निकालने की प्रार्थना

*४६--श्री रामबली (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर के परगना जामौ में ग्राम बलभद्दरपुर तथा रेवड़ा के बीच में एक झीलनुमा तालाब है जिसके बढ़ने से सैकड़ों एकड़ भूमि की धान की फसल सड़ कर नष्ट हो जाती है ?

*४७--यदि हां, तो बाढ़ का पानी निकलने के लिये क्या सरकार कोई प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री महावीरसिंह--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

जल निकासी योजनान्तर्गत सीतापुर जिले में ड्रेन निर्माण के लिए आदेश

*४८--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)--४ अगस्त, १९५९ के प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के संबंध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २४,३२,२४९ रुपयों की जल-निकासी योजना के अन्तर्गत कानपुर-फतेहपुर इलाहाबाद और गुड़गांव जिलों को भी मदद दी गई है ? ऐसा ११ मार्च, सन् १९५९ के प्रश्न संख्या ११३ से ११५ के उत्तर में बताया गया था तो क्या उक्त जिलों का शुमार पश्चिमी जिलों में किया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां ।

*४९--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)--यदि नहीं, तो सीतापुर जिले को सहायता न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--जिलों को अत्यधिक वर्षा तथा बाढ़ द्वारा क्षति एवं धन की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है, किन्तु सीतापुर जिले को वंचित नहीं किया गया है और ४ ड्रेन २, २५, ३८९ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृति दी गई है और वर्तमान साल में ही कार्य शुरू करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

दोहरीघाट पम्प नहर पर पुलों की कमी से असुविधा

*५०--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को इस बात की शिकायत हाल में मिली है कि दोहरीघाट पम्प नहर पर आर-पार जाने के रास्ते बहुत कम है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां ।

*५१--श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक गांव के सामने से एक रास्ता बनवाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार की शिकायतें गांवों से आई हैं कि नहर १६-१७ फीट ऊंची है और लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है इसलिये इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए और पुल बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह--दोहरी घाट पम्प्ड नहर ६७ मील, २ फर्लांग, ६२५ फीट लम्बी है और इसमें १४० पुल हैं यानी करीब-करीब २ पुल एक मील में पड़ते हैं ।

नोट--तारांकित प्रश्न ५०-५१ श्री चन्द्रजीत यादव ने पूछे ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार को मालूम है कि कहीं-कहीं पर बड़ी दूर तक कोई पुल नहीं है जिससे किसानों को अपना सामान और मवेशी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में बड़ी कठिनाई पड़ती है, इसलिये उन गांवों के सामने पुल बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--मैं ऐसा समझता हूं कि जहां इस किस्म के कल्वर्ट्स ब्रिजेज और पुल आते हैं, जनता की सहूलियत के लिये अगर वहां पर दो तीन गांव होते हैं तो जिन गांव की सबसे ज्यादा आबादी होती है उसके सामने पुल बना दिया जाता है और बाकी छोटे-मोटे गांव के लोग भी उसी पुल से क्रास करते हैं। दोहरीघाट में करीब दो पुल एक मील में पड़ते हैं तो ३-४ फर्लांग के अन्दर कोई न कोई पुल आ जाता है।

ओहन बांध का निर्माण कार्य

*५२--**श्री जगपतिसिंह** (जिला बांदा)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि बांदा जिले के ओहन बांध में अब तक क्या खर्च हुआ और क्या कसर उसके बनने में रह गयी है तथा पूरा बन जाने में कितने एकड़ सिंचाई हो सकेगी ?

श्री महावीरसिंह--३१-७-१९५९ तक ६२,४७,९४८ रुपये व्यय हो चुके हैं। मुख्य बांध पर लोहे के फाटक तथा ४० मील लम्बी नहरें बनाना शेष है। योजना के पूर्ण हो जाने पर १५,५०० एकड़ भूमि की सिंचाई का अनुमान है।

श्री जगपतिसिंह--जो नहर बनाई गई क्या उस पर सिंचाई होने लगी है ? यदि हां, तो कितनी जमीन सींची जाती है ?

श्री महावीरसिंह--सिंचाई होने लगी है और उसके लिए तो नोटिस की जरूरत होगी। सन् १३६६ फसली में २०५० एकड़ की सिंचाई हुई।

श्री जगपतिसिंह--क्या मन्त्री जी पानी की कमी को देखते हुए माड़ो नाले का पानी जो पयस्विनी नदी में चला जाता है उसको रोककर इस बांध में लाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--यह एक नया प्रश्न इन्होंने उठा दिया बीच में। इस नये नाले की हमको तो खबर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे नालों को रिजर्वायर में लायें और उससे ज्यादा से ज्यादा पानी मिल सके, तो उसमें तो हमें खुशी ही होगी। इसे सिर्फ देखने की जरूरत है।

श्री गरीबदास (जिला जालौन)--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पूरा बांध कब तक बन कर तैयार होगा ?

श्री महावीरसिंह--यह तो करीब-करीब बन कर तैयार ही हो गया है। जो थोड़ा-सा कार्य है, वह शीघ्र ही तैयार हो जायगा।

*५३--**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५४--**श्री मुरलीधर कुरील**--[सातवें मंगलवार के लिये प्रश्न ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५५--**श्री उग्रसेन**--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

तालबेहट रेंज के फारेस्ट गार्डों के विरुद्ध शिकायतें

*५६--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--११ अगस्त, १९५९ के प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर के प्रसंग में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या फारेस्ट गार्ड द्वारा १३-१४ जनवरी, १९५९ को एक आदमी की बन्दूक छीन लेने और जनवरी-फरवरी में एक आदमी को गोली मार देने की शिकायत सही पाई गई है ?

श्री सैयद अली जहीर--एक आदमी को गोली से मार देने से सम्बन्धित मामला न्यायालय के विचाराधीन है। अतः यह न्यायालय ही निर्णय करेगा कि यह शिकायत कहां तक सही है।

गैर-कानूनी तौर से बन्दूक छीनने से सम्बन्धित मामले के विषय में जांच की गई और यह शिकायत गलत पाई गई।

*५७--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार ११ अगस्त, १९५९ के प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर के प्रसंग में यह बताने की कृपा करेगी कि फारेस्ट गार्डों की उक्त १३ शिकायतों में छानबीन कब से जारी है और यह छानबीन कब तक पूरी होने की आशा है ?

श्री सैयद अली जहीर--इस मामले में आवश्यक छानबीन शिकायत आने के समय से ही जारी है। इनमें ९ शिकायतों के सम्बन्ध में छानबीन पूरी हो चुकी है और आशा है कि शेष ४ शिकायतों के सम्बन्ध में छानबीन इस वर्ष के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस गोली मार देने के सम्बन्ध में किसी फारेस्ट गार्ड की गिरफ्तारी भी हुई है ? यदि हां, तो किस जुर्म में वह गिरफ्तार हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर--जुर्म यही है कि उसने आदमी को गोली से मार दिया।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त फारेस्ट गार्ड के विरुद्ध गैर-कानूनी तरीके से बन्दूक छीनने की जो शिकायत थी उसकी जांच किस अधिकारी से कराई गई और उसमें क्या बात सही पायी गयी ?

श्री सैयद अली जहीर--उस जांच की तफसील तो मेरे पास नहीं है, लेकिन रिपोर्ट जरूर आयी है कि जो हमारे खिलाफ शिकायत थी उसकी जांच हुई। जो उसके मुताल्लिक अधिकारी होंगे उन लोगों ने की होगी और उन्होंने उसको गलत पाया।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जो बन्दूक छीनी गई थी उसकी शिकायत की जांच वहां के रेंजर के द्वारा कराई गई और डी० एफ० ओ० ने केवल उस आदमी की जांच पर उस पर ७० रुपया जुर्माना किया है ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरे पास जो सूचना आयी है वह इसके विरुद्ध है।

लखनऊ-गोंडा सड़क के बालपुर घाट पर विधायकों से उतराई लेने पर आपत्ति

*५८--श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने ऐसा राजकीय आदेश जारी किया है कि बालपुर घाट लखनऊ-गोंडा रोड पर एम० एल० ए०, एम० एल० सी० तथा एम० पी० लोगों से सरकारी काम से जाने पर भी मोटर की पुलाई ली जाय ?

श्री महावीरसिंह--एम० एल० ए०, एम० एल० सी, तथा एम० पी० लोगों से पथकर लेने के सम्बन्ध में अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

श्री बलदेवसिंह--क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब अलग से कोई आदेश नहीं जारी किया गया है तो कैसे पथकर वसूल किया जाता है ?

श्री महावीरसिंह--कायदे के अनुसार ।

श्री बलदेवसिंह--अभी सरकार की तरफ से कहा गया कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन-सा आदेश है जिसके द्वारा अब यह वसूल किया जाता है ?

श्री महावीरसिंह--इंडियन फैरीज ऐक्ट की धारा ५१ के अनुसार यह वसूल किया जाता है ।

*५९--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--[हटा दिया गया ।]

खुर्जा-शिकारपुर सड़क को निर्माण विभाग में लेने की प्रार्थना

*६०--**श्री गोपाली** (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में खुर्जा से शिकारपुर जाने वाली सड़क जो श्रमदान द्वारा बनाई गई है उसे सरकार पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के अन्तर्गत लेने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरसिंह--इस समय इस सड़क को लेने का कोई विचार नहीं है ।

*६१-६२--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जमानियां तहसील में नहरी जमीन का पूरा मुआवजा न मिलना

*६३--**श्री रघुबीरराम**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की जमानियां तहसील में नहर निर्माण के लिये ली गई किसानों की भूमि के मुआवजे के रूप में सरकार को कितना रुपया देना था और उसमें कितने रुपये अब तक दिये जा चुके हैं ?

श्री गिरधारीलाल--कुल मुआवजा लगभग १,७१,७४३ रुपया देना था जिसमें से २४२९.३७ रुपया अभी तक दे दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नहर की जमीन कब एक्वायर की गई थी और अभी तक मुआवजा न दिये जाने के क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--मेरा खयाल है कि यह जमीन, जब १९५५ में वहां पर काम शुरू हुआ था, उस वक्त एक्वायर की गई होगी और मुआवजा न देने में अभी तक जो विलम्ब हुआ उसको मैं एक दफा यहां पर बतला चुका हूं कि जो लैंड एक्वीजीशन अफसर थे वह बहुत कम तादाद में थे । उसके बाद उनकी संख्या बढ़ाई गई । अब चूंकि पुराना काम बहुत काफी इकट्ठा हो गया था तो उस काम को खत्म कर रहे हैं । अब यह काम जल्दी हो जायगा ।

श्री रघुबीरराम--क्या सरकार यह बतलायेगी कि किसानों की कब यह जमीन ली गई थी और मुआवजा अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दे दिया गया है ।

सिंचाई विभाग में पतरौल तथा बरकन्दाज का वेतन

*६४--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में काम करने वाले बरकन्दाज तथा पतरौल का वेतन और योग्यता अलग-अलग क्या है ?

श्री महावीरसिंह--उत्तर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६३६ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वक्त पतरौल और बरकन्दाज दोनों को महंगाई भत्ता और वेतन मिलाकर कुल कितना रुपया मिलता है ?

श्री महावीरसिंह--यह जबाव में दिया हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैंने पूछा है कि महंगाई भत्ता और वेतन मिला कर पतरौल और बरकन्दाज दोनों को इस वक्त कितना मिलता है । यह इसमें नहीं दिया हुआ है ।

श्री महावीरसिंह--महंगाई इसमें और मिला दी गई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बरकन्दाज को इस वक्त महंगाई भत्ता और वेतन मिलाकर मासिक कितना मिलता है ?

श्री गिरधारीलाल--महंगाई भत्ता २७ १/२ रुपया दिया जाता है । सवाल में, कितना वेतन दिया जाता है, वह दिया हुआ है । इन दोनों को जोड़ लिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलायेगी कि क्या यह सही है कि पतरौल के मुकाबले में बरकन्दाज को कम मासिक वेतन मिलता है ?

श्री महावीरसिंह--बरकन्दाज का वेतन दूसरा है और पतरौल का वेतन दूसरा है ।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने पूछा है कि बरकन्दाज का वेतन कम मिलता है ?

श्री गिरधारीलाल--बरकन्दाज को कम दिया जाता है ।

*६५--**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६६--**श्री मुरलीधर कुरील**--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६७-६८--**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६९--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[सातवें मंगलवार के लिये प्रश्न ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७०-७२--**श्री अब्दुल रऊफ लारी**--[स्थगित किया गया ।]

हिन्दुस्तान कामर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड, वाराणसी को ठेका

*७३--**श्री राजनारायण**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ नवम्बर, सन् १९५६ से १८ अक्तूबर, १९५७ तक पावर डिपार्टमेंट द्वारा हिन्दुस्तान कामर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड, वाराणसी को सामान सप्लाई के लिये १,८५,००,९८० रुपया का ठेका दिया गया था ? यदि नहीं, तो कितने का कुल ठेका दिया गया ?

श्री महावीरसिंह--सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि १-११-५६ से लेकर १८-१०-५७ तक की जो अवधि पूछी गई है यदि उस अवधि के रुपये की सूचना नहीं है तो कितने आर्डर प्लेस किये गये इसकी जानकारी सरकार को है ?

श्री गिरधारीलाल--सरकार की जानकारी सभी चीजों की है लेकिन उसको इकट्ठा करना और कंपाइल करके माननीय सदस्य के सामने जवाब के रूप में रखना, इसमें कुछ समय लगेगा। मुझे अफसोस है कि अभी तक वह सब चीजें हमारे पास नहीं आयीं। जिस वक्त वह सब आ जायेंगी, मैं दे दूंगा।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि १-११-५६ को जो आर्डर प्लेस किया गया था सरकार की ओर से उसमें टेन्डर नहीं काल किये गये थे और कोटेशन मांगे गये थे और केवल दो फार्मों ने कोटेशन दिये थे और यह बात अनियमित है ?

श्री अध्यक्ष--अभी कोई इस प्रकार का उत्तर तो दिया नहीं गया है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि १-११-५६ को जो सरकार की ओर से आर्डर प्लेस किया गया था उसमें टेंडर नहीं मांगे गये थे ?

श्री गिरधारीलाल--इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आज के दो दिन पूर्व माननीय मंत्री जी के कमरे में उनके सचिव के सामने श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री देवनारायण भारतीय और राजनारायण ने उनको यह सातों आर्डर बतलाये थे और इन सातों के बारे में उनको जानकारी करायी थी कि उनमें क्या क्या अनियमितताएं थीं ?

श्री गिरधारीलाल--माननीय राजनारायण जी मेरे कमरे में आये थे और उन्होंने मुझे कुछ चीजें बतलायी भी थीं, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या क्या बतलाया था।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि इस कम्पनी को कुछ ठेके मिले थे और अगर इसने ठेके लिये थे तो क्या उसकी कुछ रकम भी बकाया सरकार के ऊपर है इस वक्त ?

श्री गिरधारीलाल--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार को जानकारी है कि हिन्दुस्तान कार्मशियल कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी ने जितने भी ठेके सरकार से या विभाग से लिये उनमें या तो टेन्डर नहीं मांगे गये या उस कम्पनी का टेंडर लोयेस्ट नहीं था ?

श्री गिरधारीलाल--अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब में कहा गया है कि इन सब चीजों की सूचना इकट्ठी की जा रही है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि उत्तर आने के पूर्व यह सब चीजें कैसे आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपको मामला बतलाया है।

श्री गिरधारीलाल--उन बातों को अगर यहां लाया जाय तो माननीय सदस्य प्रिविलेज का सवाल उठा देते हैं।

ककोड़-लहरापुर सड़क तथा मधवापुर में रिन्द नदी पर पुल की आवश्यकता

*७४--**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास सन् १९५७, १९५८ और अप्रैल सन् १९५९ तक जिला इटावा की जनता के कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र आये हैं कि मो० ककोड़ से लहरापुर जाने वाली कच्ची सड़क को सरकार अविलम्ब पक्की करवाये और मधवापुर में रिन्द नदी पर पुल बनवा दे ?

श्री महावीरसिंह--इस अवधि में ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

*७५--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार उन प्रार्थना-पत्रों पर ध्यान देकर उक्त सड़क व पुल को बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री महावीरसिंह--इस सड़क व पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार की ओर से मधवापुर में रिन्द नदी पर पुल बनवाने के लिये कोई सर्वे कराया गया था ?

श्री महावीरसिंह--सड़क के सर्वेक्षण में यह सब चीजें आमतौर पर देखी जाती हैं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सर्वे में सड़क पर और पुल पर कितनी लागत का अनुमान था ?

श्री महावीरसिंह--करीब ६ लाख रुपये का इस्टीमेट था । अभी डिटेल्ड इस्टीमेट नहीं है लेकिन अंदाजा यह था ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार इस सड़क और पुल की आवश्यकता को देखते हुए इसको बनाने पर विचार करेगी ?

श्री महावीरसिंह--तीसरी पंचवर्षीय योजना आ रही है । अगर उस वक्त माननीय सदस्य कहेंगे तो इस पर जरूर विचार किया जायगा ।

अलीगढ़ जिले में जल निकास योजना पर व्यय

*७६--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--अलीगढ़ में पानी के निकास के लिये नालों के निर्माण के संबंध में दिनांक १० फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८-६९ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में ३८२ मील लम्बी प्रस्तावित निकास योजना में से कितने मील की योजना पूरी हो चुकी है और उस पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री महावीरसिंह--अलीगढ़ जिले में ३८२ मील लम्बी जल-निकास योजना में से २९८ मील ३ फर्लांग ४९५ फिट लम्बे नालों पर कार्य पूरा हो गया है और उस पर अभी तक १६,९४,०६१ रुपये व्यय हुए हैं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो १८३ मील ४ फर्लांग, १६५ फिट अभी तक बनना बाकी है उनका विवरण क्या है और जितना कार्य पूरा हो चुका है उसकी सूची प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह--यह बड़ा लम्बा है, मेरे पास है । अगर माननीय सदस्य देखना चाहें तो मैं दिखला दूंगा ।

गोशाईगंज-भीटी सड़क का अधूरा निर्माण कार्य

*७७--श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद में गोशाईगंज से भीटी जाने वाली कच्ची सड़क को कई वर्ष पूर्व पक्की किये जाने की योजना बनाई गई थी ? जिसमें से अब तक केवल रेणीवां अर्थात आधी दूर तक ही पाई है और शेष अधूरा कार्य वर्षों से पड़ा हुआ है ?

श्री महावीरसिंह--इस सड़क के केवल गोशाईगंज--जलालपुर भाग तथा जलालपुर--रनेवा आश्रम सड़क को पक्का करने की योजना थी । जलालपुर भीटी भाग को पक्का करने की कोई योजना नहीं थी ।

*७८--श्री अवधेशप्रतापसिंह---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस कार्य के निमित्त इस सड़क के किनारे-किनारे के किसानों के खेत आदि भूमि ले ली गई थी जो तीन-चार वर्ष तक वैसे ही पड़ी रही और अब धीरे-धीरे पुनः निराश होकर किसानों ने उसको बोना जोतना प्रारम्भ कर दिया है और बहुत सी अभी तक पड़ी हुई है ?

श्री महावीरसिंह---जलालपुर-रनिवा आश्रम सड़क के निर्माण के लिये ली गई भूमि लगभग दो वर्ष तक परती पड़ी रही किन्तु अब कोई भूमि परती नहीं है ।

*७९--श्री अवधेशप्रतापसिंह---यदि हां, तो क्या सरकार इस अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण कराने का विचार कर रही है ?

श्री महावीर सिंह---प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जलालपुर से रनिवा आश्रम तक कितनी पक्की सड़क अब तक बन चुकी है ? अगर नहीं तो कब तक आशा की जाती है कि बन जायगी ?

श्री गिरधारीलाल---यह सड़क अभी पक्की नहीं बनी है और मेरा खयाल है कि जिस वक्त ली गयी थी तो यहां नहीं ली गयी थी । इसको आगे पक्का बनाने का कोई विचार भी नहीं है ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २ वर्ष तक जो भूमि परती रखी गयी उसका नुकसान किसानों को सरकार देने का इरादा रखती है या नहीं ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल---मुझको अभी इस बात की इत्तला नहीं कि वह जमीन एक्वायर हो गयी या नहीं और अगर हो गयी तो यह ठीक है कि उसका मुआवजा देना चाहिये । लेकिन वह जमीन भी किसानों ने खुद ही वापस ले ली ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---यदि वह जमीन एक्वायर की गयी है तो क्या माननीय मंत्री महोदय उन किसानों को मुआवजा देंगे या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल---इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोशाईं गंज से भीटी जाने वाली कितनी लम्बी सड़क है ? उसमें से कितनी बन चुकी है कितनी पक्की बननी है ?

श्री महावीरसिंह---६ मील की कुल सड़क है और ओ० डी० आर० के प्रथम चरण में स्वीकार की गयी है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किन कारणों से उन किसानों की भूमि २ वर्ष तक परती पड़ी रही और अब सरकार ने कह दिया कि सरकार लेना नहीं चाहती तो उनको जो नुकसान हुआ उसको सरकार उनको देगी ?

श्री गिरधारीलाल---इसके लिये तो जैसे मैंने कहा, नोटिस की जरूरत होगी । उसी में ये बातें आती हैं । अगर जमीन एक्वायर की है तब तो यह प्रश्न उठता नहीं ।

लखनऊ-फैजाबाद सड़क पर मीलों के अंग्रेजी चिन्ह

*८०---श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ फैजाबाद जाने वाली सड़क पर जहां पत्थर के मील गड़े हुए थे जिनमें हिन्दी में लिखा हुआ था, उन्हीं की बगल में सीमेंट और ईंटों से दूसरे मील के चिन्ह बनाये जा रहे हैं, उनमें अंग्रेजी में लिखा जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—लखनऊ फैजाबाद नेशनल हाइवे पर हर पांचवें मील पर ऐसे पत्थर लगाये जा रहे हैं जिनमें अंग्रेजी में लिखा जा रहा है ।

द्वितीय भाग—ऐसा केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार किया जा रहा है ।

आंवला तहसील में नलकूपों का सिंचन क्षेत्र

*८१—**श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील आंवला, जिला बरेली का कुल कितना क्षेत्र सरकारी ट्यूबवेलों द्वारा सींचा जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—सरकारी नलकूपों द्वारा सींचे जाने वाले क्षेत्र के आंकड़े भिन्न वर्ष के भिन्न-भिन्न होते हैं । आंवला तहसील में जो क्षेत्र नलकूपों द्वारा १९५८-५९ में सींचा गया था वह १६,०१९ एकड़ था ।

*८२—**श्री शिवराज बहादुर** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त तहसील में कुल कितने ट्यूबवेल इस समय लगे हुए हैं ?

श्री गिरधारीलाल—८६ ।

*८३—**श्री शिवराजबहादुर** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त तहसील का कितना क्षेत्रफल ऐसा है कि जिसकी सिंचाई के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है और जिसकी सिंचाई के लिये सरकार नये ट्यूबवेल खोलने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—इस समय १,५३,६९१ एकड़ ऐसी भूमि है जिसकी सिंचाई के लिए सरकार द्वारा कोई प्रबन्ध नहीं है । इसमें से १९१६८ एकड़ बेकार भूमि है । इस समय ३ और नलकूप बनवाने का प्रस्ताव है जिससे २,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । इस क्षेत्र इससे अधिक नलकूप बनवाना उचित नहीं समझा जाता क्योंकि यहां का भू-स्तर नलकूप निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है ।

खीरी परगने में जल निकासी का प्रबन्ध करने की प्रार्थना

*८४—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के परगना खीरी में ऐसे कितने बड़े-बड़े तालाब व झीलें हैं जिनमें हर साल हजारों एकड़ जमीन मय फसल के डूब जाती है ?

*८५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन झीलों और तालाबों में कितना रकबा हर वर्ष डूब जाता है ?

श्री महावीरसिंह—खीरी परगने में केवल ऐसे ९ तालाब व झीलें हैं जिनसे अधिक वर्षा होने पर कभी-कभी १,००० एकड़ के लगभग जमीन डूब जाती है । सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६३७ पर)

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी को यह पता है कि यह ९ तालाब जिनके कारण हर साल १,००० एकड़ भूमि डूब जाती है इनकी एक शृंखला है, तो इनके पानी के निकास के लिये कोई ऐसी ड्रेनेज योजना सरकार बना रही है जिससे हर साल पानी खाली हो सके ?

श्री महावीरसिंह—अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन ९ तालाबों का पानी वर्षा में बढ़ करके जमीन को डुबा देता है, उसके लिए ऐसा प्रबन्ध किया जायगा कि वह पानी रुका रहे और सिंचाई के काम में आये ? यानी जमीन भी डूबे नहीं और किसानों को पूरा फायदा हो ?

श्री गिरधारीलाल--यह पालिसी की बात है । साधारण तरीके से इन बातों के ऊपर खयाल किया जाता है जहां जैसी स्थिति हो । कहीं पर पानी अगर इकट्ठा हो और उसके जरिये से इरिगेशन हो सके और प्रोडक्शन को बढ़ा सकें तो ऐसा भी किया जाता है, लेकिन हर एक जगह ऐसा नहीं किया जाता ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ९ तालाबों का जो पानी भर जाता है तो इनमें नाला निकालने के लिये कोई सर्वे सरकार ने कराया है ? यदि हां, तो कितने खर्चे का अनुमान है ?

श्री महावीरसिंह--अभी तो नहीं कराया है ।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि योजना के अन्तर्गत कोई ऐसी बात निश्चित की गई है जिससे ड्रेनेज निकले और ऐसी भूमि खेत के लिये निकल सके ?

श्री अध्यक्ष--इसके लिये तो उन्होंने "नहीं" कह दिया है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--प्रदेश में वाटरलागिंग से अन्नोत्पादन में बहुत कमी हो रही है इसलिये इसको आवश्यक समझ कर सरकार एक योजना के अन्तर्गत नाले निकालने का काम करेगी ?

श्री महावीरसिंह--योजना बनी है, काम चालू है और आगे भी विचार करेंगे ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी को पता है कि इन तालाबों के पानी के निकास के लिये ब्रिटिश सरकार ने एक नाला निकाला था जो कि इरीगेशन डिपार्टमेंन्ट की लापरवाही के कारण कुछ कट गया है और पानी पूरा नहीं निकल पाता इसलिये क्या सरकार उस नाले का पानी निकालने की कोई योजना कार्यान्वित करेगी ?

श्री महावीरसिंह--अब तो नाले के रूप में रह नहीं गया है ।

ब्रजमनगंज ब्लाक में सड़क बनवाने की प्रार्थना

*८६--**श्री गौरीराम गुप्त**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिला अन्तर्गत ब्रजमनगंज ब्लाक में एक भी मील पक्की सड़क नहीं है ? इसका क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह--प्रथम भाग--जी नहीं ।

द्वितीय भाग--पूरे जिले की आवश्यकताओं को देखते हुए सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के अनुसार चुना गया है ।

श्री गौरीराम गुप्त--क्या यह सही है कि सन् १९५७ में प्लानिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से पास किया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोल्हई से ब्रजमनगंज धानी बाजार--मेंहदावल तक सड़क बनवा दी जाय और क्या यह भी सही है कि ब्रजमनगंज के उत्तर तरफ भी ब्लाक है और कुछ दक्खिन की तरफ भी है ?

श्री महावीरसिंह--प्लानिंग कमेटी ने बहुत सी सड़कों को मंजूर किया था उन सबको देख करके और समझ करके प्रायरिटी फिक्स की गई थी ।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार द्वितीय योजना में ब्रजमनगंज ब्लाक में सड़क बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री महाबीरसिंह---तृतीय योजना में जांच हो रही है, लेकिन अगर माननीय सदस्य ज्यादा देंगे तो उसको प्राथमिकता दिलवा सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ अगस्त, १९५९ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३१ अगस्त, १९५९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ५ सितम्बर, १९५९ को प्राप्त हो गई और वह १९५९ का १२वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९

सचिव विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली) और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली विधेयक, १९५९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १३ अगस्त, १९५९ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ सितम्बर, १९५९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ५ सितम्बर, १९५९ को प्राप्त हो गई और वह १९५९ का १३वां अधिनियम बन गया ।

द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित षष्ठ प्रतिवेदन

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---श्रीमन्, सब से पहले मैं आपकी आज्ञा से खेद प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि कायदे से मेरे प्रतिवेदन को कल यहां पेश होना चाहिये था । मेरे अन्यत्र व्यस्त रहने के कारण मैं भूल गया और समय पर उपस्थित नहीं हो सका । मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इसे आज पेश करने का मौका दिया ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्राक्कलन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग संबंधी षष्ठ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

हमारी पिछली असेम्बली की समिति ने स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग के संबंध में अपना एक प्रतिवेदन २३ दिसम्बर, १९५४ को दिया था । उसकी सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया और जिन बातों में सरकारी विभाग हमसे सहमत नहीं था उनकी उन्होंने एक टिप्पणी हमको १२ फरवरी, १९५७ को भेजी । जैसा हमारा नियम है, हमने अपनी एक उप-समिति बनाई और सरकार ने अपने सेक्रेटरी श्री सनवाल को लियेजां अफसर बनाकर भेजा । आपस में विचार विनिमय के बाद हमारी जो अन्तिम सिफारिशें हैं वह इसमें दी हुई हैं । मैं केवल एक मूल सिफारिश नं० ६ का जिक्र करूंगा । "समिति आज भी इसी राय की है कि यह विभाग स्वतंत्र रूप से तो कार्य करे, परन्तु मुख्यालय पर केवल न्यूक्लियस स्टाफ रहे जो प्राविधिक सलाह देने, योजना बनाने, देखरेख करने, चेकिंग तथा निकायों को आवश्यकतानुसार सुविज्ञां सेवायें उधार देने का कार्य करें ।" इसकी मंशा यह है कि इसके एक्सपैन्ड होने की टेंडेंसी न हो ।

अन्त में उन तमाम भाइयों को जिन्होंने हमें अपना सहयोग दिया है धन्यवाद देता हूं ।

---

*छापा नहीं गया ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। नवल किशोर जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय यह कहा कि कुछ गलतफहमी के कारण वह रिपोर्ट देर से प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उस गलतफहमी को जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने यह कहा कि उनको याद नहीं रहा था और उन्होंने माफी भी मांग ली है।

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---कल देवनारायण जी भारतीय ने नोटिस दिया था कि वह विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। मैंने अपने कमरे में ही पढ़कर उसके लिए अनुमति देना उचित नहीं समझा है और उनको बता भी दिया है। उसका यहां जिक्र नहीं होगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत कुछ विषयों पर ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अनुसार जितने मेरे पास विषय आये हैं माननीय मंत्रियों के ध्यान आकृष्ट करने के संबंध में, उनमें सब से महत्व का मुझे श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी जी का दिखाई पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न माननीय माल मंत्री के पास पहुंच गया होगा।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---इसमें १ हफ्ते का हमें टाइम चाहिये। डेढ़ सौ के लगभग उसमें सवालात हैं।

श्री अध्यक्ष---१० तारीख तक आप वक्तव्य दे दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---बड़ा मुश्किल है। इसमें कई गांवों की और हजारों किसानों की बात है।

श्री अध्यक्ष---तो फिर अगले सेशन में दे दें।

२५ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न ५-७ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)---२५ अगस्त, १९५९ को श्री नेकराम शर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ५-७ के संबंध में श्री नेकराम शर्मा ने यह अनुपूरक प्रश्न पूछा था। "क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सेक्शन ४ के अन्तर्गत उस समय कोई आपत्ति आई थी जनता की तरफ से ?" इसका सदन में उत्तर दिया गया था "जरूर कुछ आयी थी" यह उत्तर ठीक नहीं है, इसका सही उत्तर इस प्रकार है---"नहीं आयी थी।"

११ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८ व ९ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)---११ अगस्त, १९५९ को श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ८-९ से सम्बद्ध श्री बलदेव सिंह ने यह अनुपूरक प्रश्न पूछा था---"क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जिला बोर्ड की सड़क बनायी गयी वह कितने मील लम्बी बनायी गयी है ?"

इसका सदन में उत्तर दिया गया था---"जिले में १८८ मील ५ फर्लांग सड़कें जिला बोर्ड की थीं, उनका जिक्र किया गया है।" वह उत्तर ठीक नहीं है, सही उत्तर इस प्रकार है---"जिले में ११८ मील ५ फर्लांग सड़कें जिला बोर्ड की थीं, उनका जिक्र किया गया है"।

श्री टीकाराम पुजारी को सदन त्याग करने की आज्ञा

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत दो सूचना भेजी थीं..

श्री अध्यक्ष---उन्हें मैंने नामंजूर कर दिया है।

श्री टीकाराम पुजारी---८ मिनट मुझे निवेदन में बोलने के लिये मिलने चाहिये ताकि मैं अपने विचार सदन के सामने रख सकूं।

श्री अध्यक्ष---कल आप बजट पर बोल चुके हैं। एक ही विषय पर बार-बार अवसर नहीं मिलता है।

श्री टीकाराम पुजारी---मेरी कुछ नहीं सुनी जाती है। मैं कुछ कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---आप सदन का त्याग कर दें जब कि आप बोलना बन्द नहीं कर रहे हैं।

(श्री टीकाराम पुजारी सदन से चले गये।)

१९५९-६० के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, कल जो कार्यक्रम तय हुआ था, उसके सिलसिले में इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स का ताल्लुक है उनको ३ बजे तक खत्म होना है। उसके बाद यह तय पाया है कि दोनों एप्रोप्रियेशन बिल साथ-साथ ले लिये जायं। उसमें मैं यह अर्ज करूंगा कि इतनी तरमीम कर दी जाय कि सप्लीमेंटरी डिमान्ड का एप्रोप्रियेशन बिल ३ बजे के बाद ही ले लिया जाय। इसके बाद उसके आगे का कार्यक्रम लिया जाय क्योंकि इसको कौंसिल में भी जाना है और वहां भी इस पर आज ही डिसकशन होगा। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति न होगी।

श्री अध्यक्ष---यही होगा। मैं समझता हूं इसमें किसी को कोई आपत्ति न होगी।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह शिकायत है कि बजट बनाने में शुरूआत बुरे काम से की गयी है, वह इतना ज्यादा जरूरी काम नहीं है, हो सकता है दूसरे और काम जरूरी इसमें हों लेकिन मैं समझता हूं कि जो पहला अनुदान है, उसमें जो मांग की गयी है वह एक डिग्री के भुगतान के लिये की गयी है। यह डिग्री मिसलीडिंग है। उसमें यह लिखा हुआ है कि "अनुदान संख्या १, बृहत जोत कर की उगाही पर व्यय"। लेकिन जो नीचे मेमोरेन्डम में खुलासा दिया हुआ है उससे यह नहीं मालूम होता है कि यह रुपया किस काम के लिये मांगा गया है। बहरहाल मेरा कहना यह है कि अगर अच्छे काम से शुरूआत हुई होती तो अच्छा होता। मैं तो यह समझता हूं कि जो दीवानी अदालतों से डिग्री गलती के कारण हुई है, उनको भुगतान करने के लिये काफी मदें रखी गयी हैं। मैं आपका ध्यान एक मजाक की तरफ दिलाऊंगा जो हम लोगों के साथ सरकार ने किया है। एक मद में यह कहा गया है कि रामनगर म्युनिसिपल बोर्ड का कोई सेक्रेटरी था या एग्जीक्यूटिव आफीसर था, उसको घोड़ा चढ़ना नहीं आया, इसलिये उसको रखने के तीन महीने बाद बरखास्त कर दिया गया। उसने जाकर दीवानी में मुकदमा दायर कर दिया। वहां से उसे रि-इंसटेट कर दिया गया। उसके हरजाने के ६१-६२ रुपये रखे गये हैं। अब मैं एक बात कहूं। नेहरू जी नैनीताल आ रहे थे। नैनीताल में उन्होंने यह एनाउन्स कर दिया कि मोटर पर चढ़ कर वे रास्ते को पार नहीं करेंगे, घोड़े पर चलेंगे। इधर वहां के कलेक्टर और सुपरिन्टेंडेंट पुलिस ने घोड़े पर चढ़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन कोशिश करने पर भी थोड़े दिनों में

---

†७ सितम्बर, १९५९ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

उनसे घोड़े पर चढ़ना नहीं आया। उन्होंने सोचा कि कहीं नेहरू जी की डांट न सुननी पड़े, कहीं उनकी पोशाक या और कोई बात उनको पसन्द न आये। तब एक हिकमत की गयी और यह हुआ कि उस रास्ते नेहरू जी न जायेंगे। मेरे कान में भी यह बात पड़ी। माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की सफाई देंगे कि घोड़े पर न चढ़ने वाले आफीसरों की वजह से रास्ता क्यों बदला गया?

श्री अध्यक्ष---क्या इसका जिक्र अनुदान में है?

श्री गेंदासिंह---ऐसा है कि रामनगर म्युनिसिलटी के एक अफसर को इसलिये अलहदा कर दिया गया कि वह घोड़े पर न चढ़ सका। उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया जिसके ६१ रुपये इसमें हर्जाने के लिखे हुए हैं। उसकी डिग्री अदालत से हुई है। इस सिलसिले में मैं कह रहा था और मैं समझता हूं कि यह जरूरी है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर इन कलेक्टरों, कमिश्नरों, बी० डी० ओज०, ए० डी० ओज० को घोड़े पर चढ़ने की आदत होती और ये घोड़े पर चढ़ने वाले होते तो सरकारी कागज पटवारियों के इतने खराब नहीं होते। मोटर पर चढ़ने की इतनी जबरदस्त आदत होती है कि बगैर मोटर के वे दौरा नहीं कर सकते। और मोटर खेतों की मेड़ पर तो जा नहीं सकती और बहुत सी कच्ची सड़कें ऐसी हैं जिन पर ये कीमती मोटरें नहीं चल सकतीं, तो फिर वे खेतों पर कैसे पहुंच सकते हैं? जो पुरानी फोर्ड व शेवरले गाड़ियां होती थीं वे तो कच्ची सड़क पर भी जा सकती थीं। कोई आफिसर जीप तो रखता नहीं, अगर सरकारी जीप मिल गयी तो बात दूसरी है। तो घोड़े पर चढ़ने की आदत पड़ जाय और इस हर्जाने के बाद सरकार इस जरूरत को समझे तो बहुत अच्छा है।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ पिछड़े हुए इलाकों के लिये इस बजट में गुंजायश की गयी है और बार-बार यह कहा गया है कि २ करोड़ की रकम भारत सरकार ने मंजूर की है कर्ज के रूप में और उसमें सरकार प्रबन्ध कर रही है कि इन पिछड़े इलाकों की कुछ मदद करे। मेरी एक प्रार्थना है और सरकार से इसकी मैं शिकायत करूं तो मुख्य मंत्री जी को इस बात को ध्यान से सुनना चाहिये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन पिछड़े हुए इलाकों में सभी पिछड़े हुए लोग ही हैं या कोई अकलमन्द भी हैं? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब पिछड़े इलाकों के लिये यह योजना बनायी गयी और कई करोड़ रुपये की योजनायें बनीं तो या इन पिछड़े इलाकों की तरफ से जो चुने हुए सदस्य हैं, उनकी या जिला प्लानिंग कमेटी की क्या किसी जिला आफिसर की सलाह सरकार ने ली? सेक्रेटेरियट लेबिल पर बैठ कर पिछड़े इलाकों की सारी योजनायें बनायी गयीं और उन योजनाओं को बना कर यह कहा जा रहा है कि उनके ऊपर हम काफी धन खर्च कर रहे हैं और हमसे उस पर आंख मूंद कर मुहर लगाने को कहा जा रहा है कि जो चीज बजट के मौके पर सदन के सामने नहीं आयी उसको हम सप्लीमेंटरी बजट में जल्दी मंजूर करें। मुझे खुशी है कि पिछड़े हुए इलाकों की तरफ सरकार ध्यान दे लेकिन उसके साथ-साथ मेरी यह शिकायत है और मैं समझता हूं कि बहुत ही मुनासिब शिकायत है, इस शिकायत को दूर किया जाना चाहिये। आखिर उन लोगों से क्यों नहीं पूछा गया? मैं समझता हूं कि अगर उन लोगों से पूछा गया होता तो वे बहुत से ऐसे सुझाव दे सकते थे जिससे इन थोड़े से रुपयों में जितनी उपयोगिता हम इस वक्त ले रहे हैं उससे ज्यादा कीमती और उपयोगी काम हम ले सकते थे। यह कहा जा सकता है कि उसमें गवर्नमेंट को कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से ऐसा नहीं किया गया।

मैं कुछ और मोटी-मोटी चीजों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनका जिक्र इस सप्लीमेंटरी बजट में है। मैं एक बात सरकार से पूछना चाहता हूं कि कानपुर का जो कृषि महाविद्यालय है उस पर सरकार ने पिछले १५, २० वर्षों में कितना धन खर्च करना आवश्यक समझा था? कानपुर कृषि महाविद्यालय में पानी का नल लगाने के लिये कुछ थोड़ी सी

रकम इसमें मांगी गयी है। मुझे मालूम है कि बहुत से विद्यार्थी करीब १०० के कृषि महाविद्यालय में भर्ती न होने की वजह से लौट आये। मैंने इसके लिये निवेदन भी किया कि दुनिया के हर कोने में हर तरह के विद्यार्थियों का प्रबन्ध किया जा सकता है, लेकिन खेती करने वाले विद्यार्थियों के लिये इस प्रदेश में सब से ऊंची शिक्षा कानपुर में ही दी जाती है, तो सब को इस बात को जानना चाहिये और सरकार को जानना चाहिये कि फर्स्ट फाइव इयर प्लान में और सेकेंड फाइव इयर प्लान में इतना रुपया खर्च करके उसको उपयोगी बनाने का क्या प्रबन्ध किया गया। यानी विद्यार्थियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सामान, व प्रोफेसरों आदि के लिये कितने धन की व्यवस्था की गयी, मैं समझता हूं कि इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिये।

श्रीमन्, कुछ कृषि विभाग में जो छपाई होती है उसके लिये कुछ रुपया मांगा गया है कि इस काम को बढ़ाना है, उसके लिये बड़ी फिक्र है। लेकिन आगे साहित्य में है कि शहरों में जो कूड़ा करकट से खाद बनता था उसके लिये हिन्दुस्तान की सरकार ने पैसा नहीं दिया। इसलिये यू० पी० की सरकार ने भी उस काम को मुल्तवी कर दिया। बड़े बजट में इसका खयाल नहीं रहा अब इस बजट में उसका खयाल आया। अगर खेती की तरक्की करना है तो कम्पोस्ट के लिये ध्यान देना बहुत जरूरी बात है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिये, पर उसको तो भुला दिया गया है लेकिन छपाई की बात को नहीं भुलाया गया। छपाई भी हो, इससे एतराज नहीं है, लेकिन कम्पोस्ट की तो बहुत अधिक आवश्यकता है।

जल्दी में दो एक बातें मैं और कह दूं। एक कमेटी गवर्नमेंट ने इवेल्यूएशन कमेटी के नाम से माननीय गोविन्द सहाय जी की अध्यक्षता में बनाई थी। उसकी रिपोर्ट के पन्ना १२० पर उन्होंने कुछ आंकड़े दिये हैं और उन्होंने उसमें यह साफ लिखा है कि इरिगेशन पोटेन्शियल सन् ४६ तक ६६ लाख ४७ हजार था और उसी समय एक्चुअल इरिगेटेड एरिया ५९.३३ था, वह सन ५८ में इरिगेशन पोटेन्शियल हो गया १०९ लाख २८ हजार और एक्चुअल एरिया इरिगेटेड ८०.२६ हो गया यानी इतनी जमीन का उपयोग हुआ। जब पानी की जरूरत होती है, किसान चिल्लाता है, दरख्वास्तें देता है, एडमिनिस्ट्रेशन पर तमाम व्यय होता है लेकिन जितना गुना खर्च बढ़ता है उतना काम नहीं होता। आप देखें कि १९४६ तक ७ लाख एकड़ को पानी कम पहुंचा और ५८ में २९ लाख एकड़ पानी कम पहुंचा। इस तरह से पानी बरबाद हुआ। जितना गुना खर्च बढ़ा उतना ही हमारी शक्ति का अपव्यय हुआ। आगे जब सूखे पर बहस होगी तो यह सब चर्चा होगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब रामपुर में मजदूरों की मांगों को लेकर श्री गणेशशंकर वाजपेयी ने भूख हड़ताल की थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि यदि वह अपनी भूख हड़ताल तोड़ देंगे तो कोई मजदूरों का विकटिमाइजेशन न होगा, लेकिन वहां पर ३० मजदूर निकाले गये हैं और उनका कोई मददगार नहीं है। इसी तरह से मोदीनगर में एक ऐसी मेशीनरी कायम है जिस पर अधिकांश मजदूरों का विश्वास नहीं है, मंत्री जी को उसकी जानकारी होगी। वहां एक नया तरीका विकटिमाइजेशन का निकाला गया है, बावजूद इसके कि मजदूरों का बहुमत उस मेशीनरी को पसंद नहीं करता और चाहता है कि कोई काम उसके द्वारा न किया जाय और अगर किया जाय तो उसी संगठन के भीतर फिर से चुनाव करा दिये जायं जो निष्पक्ष हों और जिस संगठन में लोगों का विश्वास हो। परन्तु दुख की बात है कि सरकार ने उसी मेशीनरी की मियाद एक वर्ष फिर बढ़ा दी।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस बहस में हिस्सा लेने का मेरा विचार नहीं था लेकिन २ बातों के सम्बन्ध में माननीय गेंदा सिंह जी ने मेरा जिक्र किया, केवल उन्हीं की बाबत दो शब्द कहना चाहता हूं। पहली बात तो पिछड़े हुये इलाकों की अवस्था को सुधारने के बारे में है। उनका यह कहना बिलकुल सही है कि पिछड़े इलाकों के सुधार के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

लिये जो योजना बनाई गई वह यहां जो माननीय सदस्य हैं उनसे राय लेकर नहीं बनाई गई, लेकिन एक बात है, उसके पहले कई बार जिलों से और दूसरी जगहों से जो योजनायें आई थीं उन सब को सामने रख कर, वहां की परिस्थिति पर विचार करके, सब बातों को मिला कर हमने योजना तैयार की थी। उसकी चर्चा इस सदन में बजट के वक्त भी हो चुकी और इसके पहले भी हो चुकी। इतना ही नहीं, मुझसे एक बार जिक्र हुआ कि जो योजना आपने बनाई है उसको सदन के सामने रख दें तो अच्छा है। मैंने उसका जिक्र भी किया कि जो हमने योजना बनाई है उसमें कितना पश्चिमी जिलों के लिये और कितना अन्य इलाकों के लिये हैं। उसका एक छोटा सा नोट बना कर मय आंकड़ों के माननीय सदस्यों की मेज पर रख दिया गया था। शायद माननीय नारायणदत्त तिवारी ने सवाल किया था। संभव है किसी सदस्य ने न पढ़ा हो। उसको सामने रखे सात-आठ महीने हो गये होंगे। इस बीच में अगर किसी माननीय सदस्य ने कोई सलाह दी होती तो हम जरूर अपनी बनाई हुई योजना में सुधार करते। जो कागज हमने रखा था अगर खो गया हो तो फिर हम उसको सामने रखने के लिये तैयार हैं और जो सलाह दी जायेगी उस पर विचार किया जा सकता है।

मोदीनगर और रामनगर का मामला सामने आया। नियम ५२ के अंतर्गत कई बार सवाल भी आए और कामरोको प्रस्ताव भी आये, लेकिन वह सामने नहीं आ सका। मैं इसका थोड़े में जिक्र करे देता हूं। सन् ५३ में वहां जो मजदूरों की यूनियन थी उसमें और मालिकों में एक समझौता हुआ कि हम लोगों में जो आपस में श्रमिक विवाद होंगे उनके लिये हम किसी प्रकार की सरकारी अदालत के सामने नहीं जायंगे, आपस में तय कर लेंगे, दोनों तरफ के प्रतिनिधि बैठ कर। जो कोई व्यक्ति भी मजदूरों की बात जानता है वह इस चीज का स्वागत करेगा। उस वक्त एक ही यूनियन थी। गवर्नमेंट ने उस समझौते को मंजूर किया। लेकिन हमने एक साल के लिये मंजूर किया और सन् ५३ से एक एक साल का एक्सटेन्शन मिलता आता है। पारसाल वहां एक दूसरी यूनियन सामने आई। उसने कहा कि हमको भी बराबर की मान्यता दी जाय। एक ही मिल में इस तरह की दो यूनियनों को मान्यता देना कोई अर्थ नहीं रखता। हमारी तरफ से कहा गया कि जो अधिक रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन हो उसकी बात हम मान लेंगे। दोनों पार्टियों ने इस बात को मान लिया। हमने कहा कि जो रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन हैं वह खुद गिनती करके रिपोर्ट दे दें, उसको हम मान लेंगे। उनकी रिपोर्ट आई। जो पुरानी यूनियन थी उसकी संख्या करीब ढाई हजार थी और नई की १७१ या १७० थी। ऐसी हालत में पुरानी यूनियन को हमने स्वीकार किया और फिर उसी से समझौता हुआ। इस साल फिर वही सवाल उठाया गया। हमने फिर वही बात कही। इस बार रिपोर्ट आ जाय, जिसके सदस्य अधिक होंगे उसको मान लिया जायगा। ३१ जुलाई तक तारीख थी। एक यूनियन की तरफ से तीन हजार और कुछ संख्या आई है। दूसरी ने १५ दिन की मोहलत मांगी। वह मोहलत दी गई। उसके बाद भी कोई फिगर्स नहीं दी गईं। इससे अन्दाज होता है कि उसकी संख्या तीन हजार तक नहीं पहुंची। ऐसी हालत में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो पुरानी यूनियन थी उसको मानना चाहिए। माननीय गेंदासिंह जी को गलत खबर मिली है कि जिसके पास ज्यादा सदस्य हैं उसको नहीं मानते हैं। जो कुल संख्या है मजदूरों की, अगर हर मजदूर किसी में हो जाय तो भी दूसरी यूनियन की एक हजार से ऊपर संख्या नहीं होगी जब कि कुछ मजदूर बाहर भी रहते हैं। इसलिये कोई पक्षपातपूर्ण चीज हुई हो ऐसा नहीं है। दूसरे मिलों में भी अगर इस तरह का समझौता हो जाय तो अच्छी बात है।

जहां तक रामपुर की बात है, मैंने कहा कि कोई विक्टेमाइजेशन नहीं होगा। कोई २० के करीब मजदूर बाहर हैं। हड़ताल के विक्टेमाइजेशन के सिलसिले में नहीं हैं। उनके ऊपर दूसरे चार्जेज हैं और स्टैंडिंग आर्डर्स के मुताबिक मिलमालिकों ने उनको निकाला फिर भी हमने उन मजदूरों के बारे में सोचा कि इनकी कुछ सहायता हो जाय तो अच्छा है। २०

से ऊपर मजदूर थे। उनमें से कुछ हो गये और अब केवल २० ही बचे हैं। वह मेरे पास आये, बहुगुणा जी के पास भी आये और हम ने उनसे कहा कि कायदे से तो कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने नियमों को तोड़ा है, लेकिन अगर वह चाहते हैं तो वे मिल मालिकों से माफी मांगें। जहां तक मैं जानता हूं—क्योंकि परसों मुझसे मिल मालिक से बातचीत हुई थी—आज तक उन्होंने मिल मालिक से माफी नहीं मांगी। उन्होंने कायदे के खिलाफ काम किया और कायदे के अनुसार निकाले गये, जाब्ते से हमें कोई अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी हम बीच में पड़ने को तैयार हैं और हमने कहा कि माफी मांग लो। लेकिन ऐसा करना उन्हें अपनी शान के खिलाफ मालूम होता है। केवल इस बात का मुझसे सम्बन्ध था जिसका जिक्र माननीय गेंदासिंह जी ने किया था इसलिये मैंने उसका जिक्र किया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग के न्यष्टि कर्मचारी वर्ग को जो स्थायी किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में मुझे सरकार का ध्यान दिलाना है। वह यह है कि लोक सेवा आयोग ने इनमें से कुछ कर्मचारियों को चुना कलेक्शन आफिसर के पद के लिये और एस० डी० एम० पद के लिये। उसके बाद १९५८ में यह पद तोड़ दिया गया और उस पद को तोड़ने के बाद उनको यह आदेश मिला कि वे फिर से अपने विभाग में चले जायं। लेकिन जब से यह आदेश निकला तब से लेकर आज तक वे बेचारे और उनका भाग्य एक फुटबाल बन गया है। एक आदेश निकलता है उसके बाद दूसरा आदेश निकलता है और उनका कोई मामला निश्चित रूप से तय नहीं हो पाता। इन आदेशों की चर्चा मैं सदन के सामने करना चाहता हूं। १९५८ में जब जगहें तोड़ी गयी तो आदेश दिया गया कि अपने विभाग में चले जायं, लेकिन तुरन्त ही तार के द्वारा कहा गया अभी विभाग में न जाइये और ऐसा करने के बाद यह कहा कि जब तक आप स्थायी विभाग में ऐबजार्ब न हों तब तक आप टेम्पोरेरी काम करते रहें, पद डिप्टी कलेक्टर का रहेगा लेकिन आप अस्थायी रहेंगे जब तक विभाग में आप ऐबजार्ब न कर लिये जायं। इसके बाद यह आदेश भी रद्द हो गया। फिर आर्डर निकला कि आप जहां कहीं भी हों वहीं टेम्पोरेरी बने रहें। और उसके बाद अन्त में १५ को स्पेशल लैंड ऐक्वीजीशन अफसर, सिंचाई विभाग में कर दिया गया। लेकिन यहां भी वे टेम्पोरेरी हैं। तो सरकार से मेरा कहना है कि अब जब इस कर्मचारी-वर्ग का स्थायीकरण हो रहा है तो यह लोग जो फुटबाल बने हुए हैं उनका क्या होगा? मैं आशा करता हूं सरकार इस बात का खयाल रखेगी और इनके साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। इनको भी स्थायी करने के लिये समुचित उपाय करेगी।

***श्री रामेश्वरप्रसाद** (जिला रायबरेली)—जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया है मान्यवर, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे इस बात से संतोष है जब मैं देखता हूं कि सरकार की आमदनी और खर्चे का व्योरा बढ़ता जा रहा है। और किसी भी समाजवादी विकास करने वाली सरकार का शुभ यह लक्षण है इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं। अब रहा यह जैसा कल से मैं सुन रहा हूं, मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन कुछ मित्रों की बातें सुनने के बाद मैंने अपने विचार रखना आवश्यक समझा।

कल कुछ साथियों ने कहा कि सरकार का जिस प्रकार से बजट बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं यह कोटेशन इतना पुराना है कि अगर बार-बार न दोहराया जाय तो अच्छा है। इस कोटेशन की तहत में कोई भी आर्गूमेंट नहीं है, कोई भी मजबूती नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर यही दृष्टिकोण है हमारे साथियों का कि बजट बढ़ता जा रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है तो ऐसे लोगों की बुद्धि को नमस्कार करने के सिवा मैं कुछ और नहीं सोच सकता, क्योंकि सरकार के रोज इस प्रकार के आंकड़े निकलते हैं और सरकार का हर एक एफर्ट इस बात का द्योतक रहता है कि जिस प्रकार हो सर्विसेज में से, समाज में से भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश की जाय। प्लानिंग में जो रुपया खर्च

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

हो रहा है, आज नहीं तो थोड़े दिन बाद इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि हमारा बजट भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला था या यहां के व्यक्ति की हैसियत बढ़ाने वाला था और इतना कह कर मैं इस प्रश्न को यहीं पर छोड़े देता हूं।

कुछ साथियों ने यह भी कहा कि प्रदेश की सरकार खाद्य नीति को लेकर जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। मेरा तो खयाल है कि सरकार के लिये यह गौरव की बात है कि उसने अपनी खाद्य नीति को इस तरह से मजबूत कर रखा है, उसके हाथ काफी सक्षम हैं अपने यहां की जनता के प्राणों की रक्षा करने के लिये, चाहे वह शक्कर का मामला हो या गल्ले का मामला हो। आज यह भुलाया नहीं जा सकता कि जिन परिस्थितियों में से हम गुजर रहे हैं उनके मुताबिक देश में गल्ले की कमी है, सरकार कोशिश कर रही है कि गल्ला बढ़ायें, लेकिन साथ ही साथ ऐसे सुनियोजित ढंग से यह सरकार प्रयत्नशील है इस समस्या को मोट करने के लिये कि उसे देखते हुए यह ज्यादती होगी अगर माननीय सदस्य यह कहें कि सरकार जनता के जीवन से खाद्य समस्या को लेकर खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने सदन में और सदन के बाहर हमेशा यह अपील की है कि इस समस्या को राष्ट्रीय संकट समझ कर पार्टीबन्दी के सवाल को अलग रख कर हल करना है और अगर फिर भी इस ढंग से इस समस्या के ऊपर सरकार के ऊपर लांछन लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादती है सरकार के साथ। अगर किसी सदस्य ने ऐसी बात कही है तो मैं समझता हूं कि उसकी जानकारी या तो अधूरी है या वह अपनी जानकारी का पूरा इस्तेमाल करना नहीं चाहता है।

एक सदस्य ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार ने तो प्रदेश में गोली चलाई और केरल से उसकी मिसाल दी। मुझे दुख हुआ यह सुन कर। मेरा यह स्पष्ट मत है कि जो भी सरकार यह कहने का दावा करती है कि वह जनता की सरकार है तो वह एक मिनट या एक सैकिंड के लिये भी बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हो सकती कि वह किसी को खामख्वाह खुशी से परेशान करती है, या वह शौक से गोली चलाती है। इस मुल्क में अभी जनतंत्र की भावना इतनी ऊंची नहीं हो पायी है कि हम उन ऊंची भावनाओं के तहत में चल सकें और इसी कारण कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों से हट जाते हैं और उससे ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिससे जनता के संरक्षण के लिये, प्रदेश के अमनोअमान के लिये बल प्रयोग करना ही पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार का लांछन सरकार के ऊपर नहीं लगाया जा सकता कि सरकार ने तफरीह या खुशी में बिना सोचे समझे किसी पर गोली चलाई। जनता की सरकार को जब ऐसे मौकों का मुकाबला करना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि उसको दिल पर पत्थर रख कर इस प्रकार की घटनाओं में बल प्रयोग करना ही पड़ता है। और जैसा कि हमारे प्रदेश में होता है, हम और आप सब उसके वाकिफ हैं। कोई भी प्रश्न कहीं पर उठा नहीं कि हमारे विरोधी पक्ष के लोग जनतंत्र की उस ऊंची भावना को ताक पर रख देते हैं और फौरन वहां पहुंच कर के घी डालने का काम करते हैं और उस मौके को जनता के जीवन के कास्ट पर एक्सप्लायट करके अपनी पार्टी मजबूत करने के लिये फौरन वहां पहुंच जाते हैं और ऐसी कोशिश करते हैं ताकि सरकार शासन चलाने में फेल हो जाय, भले ही उनका वह तरीका सही हो या गलत। इसलिये जब यह बात कही जाय तो हमारे माननीय सदस्य कम से कम उस हाई सेन्स को भी अपने सामने रखें कि जिस सरकार के ऊपर ६ करोड़ जनता के अमन व आमान का बोझ है उसको किस तरह से चलने के लिये आप निर्देशित करते हैं। अभी एक नजीर मौजूद है हमारे सामने। इलाहाबाद में भी गोलीकांड हुआ। कुछ व्यक्ति मारे गये। सरकार को भी इसका बड़ा अफसोस है लेकिन साथ ही साथ हमारे मुख्य मंत्री ने बिना किसी क्वार्टर से मांग आये हुये उस कांड की जांच के लिये हाई कोर्ट के एक जज की कमेटी बना दी है जो सारे फैक्ट्स की जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी कि वह बल प्रयोग उचित था या अनुचित। इसलिये सरकार को हर काम के बारे में चार्ज करना उचित नहीं है।

कुछ इसी तरह कुछ साथियों ने कहा कि सरकार के खर्चे का कोई हिसाब किताब नहीं है। मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ। इस सदन में हम करोड़ों रुपये का बजट पास करते हैं। इतना बड़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है, एकाउन्टैन्ट जनरल साहब का नियन्त्रण है। इस सबके बावजूद भी एक वाक्य में यह कह देना कि इस सरकार के खर्चे का कोई हिसाब-किताब नहीं है, मुझे वह सुन कर बड़ा ताज्जुब और दुःख हुआ।

कुछ साथियों ने कल यह कहा कि प्रदेश में ७०–७५ फीसदी स्कूल गिर गये हैं, बच्चों के पानी पीने का कोई इन्तजाम नहीं है, वे सब प्यासे मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी इस सदन में काफी अरसे से काम कर रहे हैं। आपने अंग्रेजों से राज्य पाया। उस वक्त स्कूलों की क्या तादाद थी और आज सन् ५९ में क्या तादाद है जससे आप स्वयं विचार करें कि हम कितना आगे बढ़ गये हैं और कितनी इमारतें वगैरह बना ली हैं। लेकिन ७५ फीसदी इमारतें गिर गईं ऐसी बात कह देना ऐसी ही है जिसका कोई आधार नहीं है, जो मानने योग्य बात नहीं है। यदि वह १०–५ फीसदी की बात कहते तो मैं मान लेता। लेकिन इस तरह से कह देना महज इस बात का द्योतक है कि वह अपने देश के प्रति, अपने कर्त्तव्य के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो बीच में सफाई की मुझे उसे सुनने का मौका मिला। दुर्भाग्यवश इस समय मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री नहीं हैं तथा अन्य मंत्री गण संख्या में बहुत कम हैं। सचमुच यह उदासीनता क्या जाहिर करती है? जिस समय अनुपूरक अनुदान तथा अतिरिक्त अनुदानों पर बहस हो तो मंत्रियों को उपस्थित रहना चाहिये, परन्तु श्रीमन्, हमें तो सदन के समक्ष यह निवेदन करना है कि वह सोचे कि सरकार की जो तमाम योजनायें बन रही हैं और जिनके ऊपर रकम लगाने के कारण अतिरिक्त अनुदान और अनुपूरक अनुदान लाने पड़ रहे हैं आया वह सफल हुई हैं या नहीं? उनके लिये रुपया मंजूर करने के कारण हैं, या नहीं।

श्रीमन्, देखिये, स्टेट ट्रेनिंग हुआ लेकिन उसकी कुछ भी ठीक व्यवस्था नहीं हो सकी। हजारों मन गल्ला सड़ गया। मेरे पास सूचना है कि जालौन के म्युनिसिपल बोर्ड कोंच में सरकारी गल्ला सड़ गया उसे सुखाने के लिए वहां जब फैलाया गया तो गन्दगी फैली और बोर्ड ने एतराज किया कि इसे हटाया जाय। आज भाव के संबंध में त्राहि त्राहि मची हुई है।

आप प्रदेश की तरक्की के लिये मूलभूत सिद्धान्त क्यों नहीं तय करते? बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट वैसी ही पड़ी हुई है। जब प्रश्न किया जाता है कि हरिजन तथा बैकवर्ड क्लासेज की संख्या नौकरियों में क्यों नहीं पूरी की जा रही है तो इसका उत्तर दे दिया जाता है कि योग्य आदमी नहीं मिलते हैं जबकि बहुत से लोग आते हैं। आखिर योग्यता का आधार क्या है? कुन्बापरस्ती तथा चाचा, मामा आदि को लेना ही आपकी योग्यता का आधार है? तब तो बात दूसरी है। लेकिन अगर मूलभूत सिद्धान्तों को रखना है तो कौन सी वजह है कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हुई?

श्रीमन्, हमें आश्चर्य होता है। उन सिद्धान्तों को जो सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कहे गये हैं उनको भी न रखें और इस पर सदन में विचार करने के लिये तैयार हों कि सरकारी जो योजनायें चल रही हैं उनमें क्या कमियां हैं तो पाएंगे कि सरकार का एक काम रह गया है कि वह अपने विभागों के ऐब को छिपाती है और जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। उनको मिनिस्टर्स छिपा रहे हैं। ऐसी दशा में अनुदानों को मंजूर करने के लिये कहा जा रहा है। अगर सारी बातें सदन सुन लें तो वह एक सेकिन्ड के लिये इनको मंजूर करने के लिये तैयार नहीं होगा।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक केस पेश कर रहा हूं। २६–६–५९ के 'नेशनल हैरेल्ड' में छपा था कि खटीमा में कुछ डिफेक्ट्स हुये और काफी रुपया बरबाद हुआ और इतने बड़े नेशनल

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

प्लान में वहां मशीनरी अच्छी नहीं है। इसके लिये एक एंक्वायरी कमेटी बैठी और दो इंजीनियरों पर जिम्मेदारी डाली फिर भी उन इंजीनियरों की जानकारी में रिहंद में उक्त कंपनी को २.३ करोड़ का ठेका दे दिया गया। एक इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी जो खटीमा में बदनाम हो चुकी थी उसी को ठेका दे दिया गया और तथ्य को छिपाने वाले जिम्मेदार इंजीनियर को आज तक कोई सजा नहीं दी गई, यही नहीं श्रीमन्, एक इंजीनियर साहब हैं जिनका नाम है जी० एस० माथुर, वह पहली तारीख से फिर सेवा में आ गये हैं। अभी तक छुट्टी पर थे। वह और उच्च पद पर प्रतिष्ठित किये जाने वाले हैं। उन्होंने बड़े-बड़े गलत काम किये हैं जिन पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी कमेंट किया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। श्रीमन्, इन्हीं इंजीनियर साहब ने टर्बो-जनरेटर फार हर्दुआगंज थर्मल पावर स्टेशन के लिए टेंडर्स के सम्बन्ध में सिपारिश की थी जिस पर जो सेंट्रल पावर डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं मिस्टर हयात उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो आपने दो कम्पनियों को रेफर किया है उसमें एक कम्पनी मेसर्स डोडसल ऐंड कम्पनी, बम्बई--यह भले ही ठीक मालूम पड़ती हो लेकिन कानून के हिसाब से इसमें ऐसा नहीं होना चाहिये। कम से कम चार कम्पनियों से टेंडर इनवाइट करना चाहिए। उन्होंने साफ लिखा है--

"As you are aware, Harduaganj extension is not one of the projects which is included in the core of the Plan. Therefore, my suggestion is that you may kindly obtain revised offers from the above two firms as well as two other next higher offers, which are technically acceptable, on the basis of the following deferred terms of payment :"

इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि दो कम्पनियों में आप कहते हैं कि एक कम्पनी को हम प्रिफरेंस दे दें यह दूसरी बात है लेकिन चूंकि इसमें इस वक्त पैसा उपलब्ध नहीं हो सकता है इसलिए कम से कम चार कम्पनियों से टेंडर लेकर डेफर्ड पेमेंट के हिसाब से तय कर लें ताकि पांच किस्तों में सरकार पेमेंट कर सके। इस पत्र के बाद जी० एस० माथुर ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से यह लिख दिया--

"Shri Hayat, Member (Hydro-electric) Central Water and Power Commission, has agreed to my suggestion of placing the order with Messrs. Dodsal & Co., Ltd., Bombay, who are the Agents of AEG of Germany."

श्रीमन्, आपके समक्ष मैंने वह भी पत्र रख दिया जिसमें मिस्टर हयात ने साफ लिखा था कि चार कम्पनियों से टेंडर इनवाइट करें। उन्होंने मिस्टर हयात को मिसकोट करके लिख दिया। परिणाम यह हुआ कि चीफ इंजीनियर ने इस कम्पनी को आर्डर दे दिया। आर्डर देने के साथ ही साथ साढ़े आठ लाख रुपया ऐडवांस पेमेंट भी कर दिया। सब विभागों का नियम है कि कंट्रेक्ट का सिक्योरिटी मनी कंट्रेक्टर से लिया जाता है। यहां ठीक उल्टा हुआ। इसमें इंजीनियर ने क्या फायदा उठाया यह मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों के ही ऊपर छोड़ता हूं। वह स्वयं समझ जायेंगे। जब साढ़े आठ लाख रुपया गवर्नमेंट ने एडवांस दे दिया तो गवर्नमेंट की उंगली दब गयी। तो कम्पनी वालों ने कहा कि हम को फारेन एक्सचेंज दिलवाइये और इस गवर्नमेंट का यकीन नहीं रह गया है कि यह पेमेंट करेगी इसलिए गवर्नमेंट स्टेट बैंक की सिक्योरिटी दे दे। जब स्टेट बैंक की सिक्योरिटी के सम्बन्ध में जी० एस० माथुर ने लिखा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने साफ लिखा कि यह तो गवर्नमेंट का दीवालियापन साबित करने के लिए है। दूसरे कंट्रेक्टर्स जो आयेंगे उनकी डिमांड भी इस तरह की होगी। तो गवर्नमेंट यह बैंक सिक्योरिटी कहां तक देती रहेगी। फिर बैंक सिक्योरिटी दे भी तो १ लाख ६५ हजार रुपया और अधिक पेमेंट करना पड़ेगा बैंकिंग चार्ज। और उन्होंने कहा कि इस पर ताज्जुब यह है कि पता नहीं किस वजह से एडवांस पेमेंट यह कर दिया गया। यह भी उन्होंने कहा कि सबसे पहले कांट्रेक्टर सिक्योरिटी देता है लेकिन इसमें उलटा किया गया। साढ़े आठ लाख रुपया

उसको एडवांस कर दिया गया जबकि कोई काम उसने शुरू भी नहीं किया। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोट से दो-चार लाइन पढ़ देना चाहता हूं---

".....the condition of furnishing a bank guarantee had neither been indicated by the firm in their tender nor in their subsequent correspondence prior to issue of order for the supply of two turbo generator sets for Harduaganj Steam Station. An advance payment of Rs.8.5 lakhs has also been made to the firm at the time of placing the order after obtaining a bank guarantee. The condition of furnishing a bank guarantee now put forth by the firm does not only cast a doubt on the financial stability of this Government but would also result in a loss of about Rs.1.65 lakhs to the State Exchequer on account of banking charges. This would also create a bad precedent and it would be difficult for Government to resist such demands from other quarters."

यही नहीं श्रीमन्, आगे २६-८-५८ को उसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोट में यह भी लिखा है---

"It is also not understood what was the urgency in making the advance payment of Rs.8.5 lakhs to this firm before the execution of the contracts—particularly when the firm had not even received the import licence."

यह देखा जाय श्रीमन्, कि इतना तक तो गवर्नमेंट ने रेकनाइज नहीं किया कि इनको इम्पोर्ट लाइसेंस दिया जाय, केन्द्रीय सरकार से कोई इम्पोर्ट लाइसेंस इनको मिला ही नहीं लेकिन हमारी सरकारी ने साढ़े आठ लाख रुपया ऐडवांस पेमेंट कर दिया। तो अब इस तरह के एक दो नहीं कई केसेज हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके मामले को दबा दिया जाता है। इतना सब कुछ होने पर भी फिर ऐसे इन्जीनियर को प्रतिष्ठित किया जाता है, इससे बड़ी बिडम्बना और क्या हो सकती है। सारा मामला गवर्नमेंट के सामने आने पर भी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना तो दूर रहा उलटे फिर उसी व्यक्ति को प्रतिष्ठित करती है। तो यह गवर्नमेंट किस योजना के लिए, किस तरह से कहती है कि हम देश का भला कर रहे हैं। खटीमा पावर हाउस की दुर्दशा इस तरह हो रही है। माताटीला के बारे में रोज प्रश्न उठते हैं। शारदा सागर की खराबी अपनी जगह चल रहा है। अभी तक सुदृढ़ बांध तक नहीं बंध सका जिसमें कि पानी इकट्ठा किया जा सके। फिर यह सरकार किस तरह हमसे कहती है कि हमको पैसा दो? मैं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आखिर इस सरकार को एक भी पैसा देना क्या उचित है? अगर इस तरह की खराबी है, इस तरह से पैसे का दुरुपयोग हुआ है तो मैं कतई एक पैसा भी इस सरकार को देने के पक्ष में नहीं हूं कि एक पैसा भी इसको दिया जाय।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मान्यवर, यह अनुपूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान जो इस सम्मानित सदन के सामने रखे गए हैं प्रशासन की ओर से जिसका संक्षिप्त में विवरण यह है कि अनुपूरक अनुदानों में ३,२६,८३,३०० रुपये और अतिरिक्त अनुदानों में ३३,७९,८३० रुपये की मांग की गई है, उस संबंध में कुछ ऐसी बातें कही गईं कि यह अनुपूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान क्यों आते हैं? इस संबंध में मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि पूरक अनुदान तो प्रदेश के बजट में प्रत्येक वर्ष आना अवश्यम्भावी है। रुपये पैसे का जहां हिसाब किताब हो और जहां मानव समस्यायें घटती-बढ़ती रहती हों, बहुत से फैक्टर्स काम करते हों, वहां इसका होना अवश्यम्भावी है। मैन प्रोपोजेज, गाड डिस्पोजेज (man proposes god disposes), हम कुछ सोचते हैं, और होता है कुछ, मानव बुद्धि परिपक्व तो है नहीं, भले ही चाहे फाइनेंस डिपार्टमेन्ट हो, चाहे प्रशासन में लगे हुए लोग हों, चाहे उस पक्ष के लोग हों, जब मानव में कमी है तो उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों में भी कमी होगी ही। मानव कोई ईश्वर तो है नहीं, जो कि परफैक्ट हो। तो अपनी भूलों को सुधारना उसका एक बड़ा कर्त्तव्य हो जाता है। इसीलिए पूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान आते हैं।

पूरक अनुदान के संबंध में एक निवेदन और है और वह यह कि इसमें जो आइटम आये हुए हैं, उस पक्ष से कहा कुछ लोगों ने कि कौन सी ऐसी आपत्ति आ गई थी

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

कि ऐसे-ऐसे अनुदान ऐसी जल्दी में लाये गए ? इनका वर्णन अभी मैं बाद में करूंगा। उनका कहना है कि इनकी क्या आवश्यकता थी ? मैं समझता हूं कि जिन पर इस देश के चलाने का भार है, जो समझते हैं कि यह आवश्यक है, उन्होंने यह किया। तो चाहे वह जनरल बजट में आ जाय, चाहे पूरक में आ जाय, यह माननीय सदन उसको स्वीकृत करता है तो उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता कि अतिरिक्त अनुदान आ गया या अनुपूरक अनुदान आ गया तो कोई बड़ी बात हो गई। क्योंकि इसी सदन को स्वीकृति देना पड़ता है, लेकिन उसकी आवश्यकता का निर्णय करना उनके ऊपर निर्भर करता है जो शासन में लगे हुए हैं। वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सारी परिस्थिति उनके सामने होती है। अगर कोई आपत्ति आ गई तो उसका निवारण करना उनके सुझाव पर ही रहता है। इसके विषय में कुछ बजट साहित्य इस बजट के पहले भाग में दिया हुआ है। इसमें वित्त सचिव की टिप्पणी के दूसरे पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है कि "यहां जो मांगें सम्मिलित की गई हैं वह मुख्यता व्यय की नई मदों के लिये हैं जिनके लिये चालू वित्तीय वर्ष में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और वे इतनी आवश्यक हैं कि आगामी वर्ष तक उनका स्थगित किया जाना अनुचित समझा गया है। संभव है कि उन अनुदानों में से, जिनके अन्तर्गत अनुपूरक तखमीने प्रस्तावित किये जा रहे हैं, कुछ अनुदानों के अन्तर्गत वर्ष के शेष महीनों में कुछ कमी होने के कारण बचतें हो जायं या कुछ अतिरिक्त व्यय हो जाय। इस समय पहले ही से यह बतला देना कठिन है कि वर्ष के शेष भाग के लिये सम्भावित आवश्यकतायें क्या होंगी। इसलिये अनुदानों की स्थिति का पूर्ण रूप से सिंहावलोकन वर्ष के अन्त में किया जायगा।"

श्रीमन्, हमारी लोक सभा का भी जो बजट है उसके भी एक एक अनुदान आते हैं और धीरे-धीरे उनकी व्यवस्था चलती रहती है। ऐसी हालत में उनके अनुदान जुलाई अगस्त तक पास होते रहते हैं। यह उनकी अपनी परम्परा है, लेकिन हमारे यहां हमको ३१ मार्च के अन्दर ही बजट पास करना पड़ता है। इसलिये संभव है कि कुछ कमी रह जाय क्योंकि समय बहुत कम मिल पाता है। उसकी वजह से कमी बेशी रहना आवश्यक है। उसकी पूर्ति इस अनुपूरक अनुदान के बजट के द्वारा की जाती है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि किसी भी प्रगतिशील प्रदेश के लिये अनुपूरक आय-व्ययक का होना आवश्यक होगा और रहेगा।

अब मैं एक आध बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें जो अनुदान संख्या १२ है उसमें रुड़की विश्वविद्यालय में स्नातकों के पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष की जा रही है। उसमें व्यय दिखाया जा रहा है। यह रुड़की विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश और देश की बहुत सेवा कर रहा है। बहुत योग्य इंजीनियर यहां से निकलते हैं। इसमें तीन वर्ष के बजाय चार वर्ष की व्यवस्था की जा रही है। अगर इसके लिये पहले से ही निश्चित नहीं कर लिया जायगा तो फिर जुलाई से उसका काम चालू नहीं हो सकता है। इसलिये यह आवश्यक व्यय इसमें आ गया है। इसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह ऐसा व्यय है जिसको अनावश्यक कहा जाय। साल भर पहले इनकी प्लानिंग करनी पड़ती है। रुड़की विश्वविद्यालय में जो व्यवस्था की जा रही है उसके लिये यह कहना कि नहीं होनी चाहिये बिलकुल सही नहीं है और उनको वस्तुस्थिति समझने का ज्ञान नहीं है।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह, पीठासीन हुए।)

हमारे देश की शिक्षा की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक दशा में तो यह और भी जटिल है। प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में लड़कियों की संख्या बहुत कम है और अभी तक ५ प्रतिशत से अधिक उनको हम शिक्षित नहीं कर सके हैं। सम्पन्न परिवारों की महिलाएं इस कार्य में लगना पसन्द नहीं करती हैं। उसका कारण यह भी है कि उनके रहने की दिक्कत है, किन्तु सरकार अब उनके लिये कुछ क्वार्टर बनवाने का विचार कर रही है और

उसके लिये कुछ रुपया भी रखा गया है । मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आप जो इसकी टिप्पणी कर रहे थे वह कहां तक उचित है ? यह काम तो पहले होना चाहिये था। अगर तीन महीने के बाद यह आया तब भी इसका स्वागत करना चाहिये, लेकिन उसके लिये यह कहा जाय कि यह अब से पहले क्यों नहीं आया यह एक तर्क की बात हो सकती है । यह सब आवश्यक कार्य है और उनके लिये ही इसमें रुपया मांगा जा रहा है । मैं समझता हूं इसका स्वागत होना चाहिये ।

इसके बाद अनुदान संख्या २३ है जिसमें कृषि संबंधी विकास, अभियन्त्रण और गवेषणा के कार्यों के लिये एक अलग सूचना विभाग के लिए रुपया मांगा जा रहा है । सूचना विभाग जो कार्य कर रहा है उसकी प्रगति को बढ़ाया जा रहा है । उस विभाग के द्वारा कई काम होते हैं । अब सहकारी समितियां बनने जा रही हैं । कृषि के काम को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि उत्पादन की समस्या हमारे सामने है . . . . . .

श्री अधिष्ठाता—सूचना विभाग बनारसी बाग में भेजा जा रहा है ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—कृषि विभाग के लिये और उपकरणों की आवश्यकता होती है, इस संबन्ध में इस अनुदान के अन्तर्गत जो रुपया मांगा गया है उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पेज १३ पर देखें—इसमें तीन चार मदें दी हुई हैं । उर्वर पद्धतियों के सर्वेक्षण की योजना है, फसल को कूतने की योजना है, कृषि के संबंध में खाद्यान्न की समस्या को हल करने के लिये जो साधन हैं, आदि उन सबके लिये यह अनुदान मांगा गया है ।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं । दुर्भिक्ष सहायता के लिये जो अनुदान मांगा गया है उसमें बहुत थोड़ी रकम मांगी गयी है और वह भी एक डिग्री के भुगतान के लिये है । मैं जानता हूं कि देवरिया और गोरखपुर में ४४, ५० और ५६ इंच तक वर्षा पिछले दिनों में होती थी, जहां इस बार वर्षा ही नहीं हुई है और उसके कारण एक समस्या पैदा हो गयी है । १५ अगस्त तक केवल ४ इंच पानी पड़ा है । इस कारण इस मद में सरकार को और ज्यादा रकम मांगनी चाहिये थी । पता नहीं क्यों वह नहीं मांगी गयी । मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह एक अनफोरसीन समस्या है जिसके लिये सदन को पैसा देने में खुशी होगी ।

मैं अब एक्सेस ग्रान्ट के बारे में एक बात कह कर आपसे आज्ञा लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—वह आप बाद में कहें । अभी वह हाउस के सामने नहीं है । आपका समय भी समाप्त हो गया ।

श्री चद्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट पश किया गया है मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस अनुपूरक बजट का जब हम परीक्षण करते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे मूल बजट के बनाने वाले अधिकारी जिम्मेदारी से काम नहीं लेते । पूरे मूल बजट को और इस अनुपूरक बजट को देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो संबंधित विभाग दूरदर्शिता से काम लेते हैं और न संबंधित अधिकारी हो, लैक आफ इमैजिनेशन इसमें साफ प्रकट होती है । कुछ बातों की ओर माननीय सदस्यों ने इशारा किया था कि जो मूल बजट में आनी चाहिये थीं और जो ऐसी नहीं थीं कि जिनका उस बजट के पेश करने के बाद ही पता चला । मैं भी एक बात की ओर इशारा करूंगा । इस बजट में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि हमारे सूचना संचालक का एक कार्यालय ५ लाख रुपये की लागत से बनाया जाय । वर्तमान कार्यालय अपर्याप्त है । बजट में कहा गया है कि अपरिहार्य और नितांत आवश्यकता है । मैं जानना चाहूंगा कि इन तीन, चार महीनों में ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गयी, कितना विस्तार स्टाफ का हो गया कि जिसके कारण इस बजट में उसकी व्यवस्था करनी पड़ी और उसे मूल बजट में नहीं लाया जा सकता था ?

[श्री चन्द्रजीत यादव]

श्रीमन्, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं और मेरी शिकायत है कि सरकार को इस बात की आदत होती चली जा रही है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले वह खर्चीली और बड़ी इमारतें बनाने का अपना लक्ष्य बना लेती है। काम बाद में शुरू होगा लेकिन शानदार इमारतें लाखों रुपया खर्च कर के, पहले बन जायंगी और इसके लिये कहा जाता है कि हम एक स्थायी कीर्ति बना रहे हैं जिससे सैकड़ों वर्षों के लिये काम चलता रहे। मेरा खुद का अनुभव यह है, मैं चुर्क सीमेंट फैक्टरी की जांच करने के लिये जब पारसाल कमेटी में गया था वह फैक्ट्री लगने वाली थी उसके पहले ही वहां के संचालक महोदय के लिये ८०,००० रुपये की लागत का एक बंगला बन गया और वहां के अधिकारियों के लिये ४० और ५० हजार रुपये की लागत के कई बंगले बन गये। मैं जानना चाहता हूं कि संचालक महोदय क्या ८० हजार के बंगले बिना नहीं रह सकते थे? अधिकारियों के लिये ४०, ५० हजार रुपये के बंगलों की क्या आवश्यकता थी? और यही कारण था कि फैक्ट्री बरसों तक घाटे में चलती रही। दूसरे मुल्कों में हम देखते हैं कि जब योजना बनायी जाती है तो रुपया खर्च करते समय सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि जो रुपया हम खर्च कर रहे हैं उससे साधारण जनता का लाभ हो। हमारी सरकार जब कोई योजना शुरू करती है तो वह सरकारी नौकरों के आराम की व्यवस्था पहले करती है। उनके लिए शानदार बंगले बनें, उनके लिए पाइप से पानी की व्यवस्था हो, बिजली की, और मोटर की व्यवस्था हो, उसके बाद जनता के कामों पर ध्यान दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार बड़ी शानदार और खर्चीली इमारतों को बनाने की नीति को तोड़े। सदन में कहा जाता है कि किसी योजना को बनाते समय सरकार एक एस्टीमेट पेश करती है, साल भर बाद मालूम होता है कि पहले से दूना एस्टीमेट हो गया। इस बजट में भी यही बात स्पष्ट है। मेडिकल कालिज में छात्राओं के रहने के लिये ४२ कमरों की आवश्यकता थी जिसके लिए बजट में १,४९,००० रुपये रखे गये, लेकिन साल भर बाद मालूम हुआ कि जो एस्टीमेंट किया गया था उससे १,०५,८९५ रुपये बढ़ गये, इसलिए कि स्थान बदल दिया गया। ४२ कमरों के ऊपर पौने तीन लाख रुपया खर्च होता है। तो इस तरह की नीति से हमारे प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत संजीदगी के साथ चाहता हूं कि सरकार इस नीति पर सोचे कि जो महंगी इमारतें बनाने की उसकी पालिसी है उसको बदले।

दूसरी बात, कुम्भ मेले का जिक्र किया गया है कि वहां पानी की आवश्यकता होती है, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मैं भी सहमत हूं, लेकिन हर साल व्यवस्था करने के लिये २ लाख रुपया खर्च होता था जबकि स्थायी व्यवस्था में केवल ४ लाख में काम चल सकता था और ३०,००० सालाना खर्च होते। तो इस समय तक विभाग क्या करता रहा? जब कि स्थायी व्यवस्था हो सकती थी तो हर साल मेले में २ लाख रुपया खर्च करे यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार दूरदर्शिता के साथ काम नहीं लेती, संबंधित विभाग जागरुक नहीं है, चैतन्य नहीं है और मनमाने ढंग से जनता के रुपये का इस्तेमाल किया जाता है।

एक बात मैं योजना के संबंध में कहना चाहता हूं। कल मुख्य मंत्री का भाषण सुनने के बाद मुझे खुशी हुई कि उन्होंने इस बात को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि आज भी कांग्रेस के नेतृत्व का दिमाग इस बात से साफ नहीं है कि समाजवाद की क्या रूपरेखा होगी, क्या उसका लक्ष्य होगा और ७ वर्षों से समाजवाद के नाम पर योजनाएं बनती हैं।

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने उससे अपने को अलग कर रखा है या शामिल?

श्री चन्द्रजीत यादव—सम्मिलित कर रखा है और उन्होंने समाजवाद की जो रूप-रेखा बतलायी, मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहूंगा कि वह समाजवाद के अनुरूप नहीं बल्कि ठीक प्रतिकूल होगी। वह समाजवाद ही नहीं था जिसकी उन्होंने रूपरेखा रखी। तो मैं यह चाहता हूं कि

यदि सरकार का दिमाग साफ नहीं है तो सरकार समाजवाद के नाम पर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, अंधेरे में क्यों ले जा रही है, क्यों उसके नाम पर ये काम किये जा रहे हैं जबकि उसका दिमाग साफ नहीं है ?

योजना विभाग के संबंध में इस अनुदान के अन्दर लाखों रुपया प्रशिक्षण के ऊपर खर्च किया जा रहा है। मुझे अभी योजना विभाग की स्थायी समिति में ४–५ जिलों का दौरा करने का मौका मिला, इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर, आजमगढ़। जहां-जहां मैं गया वहां के अधिकारियों ने बहुत शिकायत की कि सरकार की एक नीति आज कुछ होती है, ३ महीने बाद बदल जाती है और उनके अन्दर सरकार की नीतियों से एक भारी असंतोष दिखलाई पड़ता है। वह खुद इस बात को समझते हैं कि सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप मुल्क का निर्माण आज किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सब से पहले सरकार इस बात का निश्चय करे कि हमारे प्रदेश की योजना का क्या आधार होगा, उसकी क्या दशा होगी। प्रशिक्षण के लिए लोग अमेरिका भेजे जाते हैं। अगर अमेरिका ही समाजवाद की दिशा बतलाता है और वह समाजवादी ढंग पर काम करता हो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन उन समाजवादी मुल्कों से भी कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे मुल्क के अन्दर कुछ समाजवादी विचारक हैं, उनको भी इकट्ठा करके कुछ विचार करना चाहिये। आप भी, श्रीमन, जब बोले थे तब प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके की तरफ आपने संकेत किया था। सरकार की ओर से यह नारा रहता है कि हम योजना के अन्दर सभी दलों का सहयोग चाहते हैं और हमारी शिकायत यह है कि योजना के बनाते समय हमारा सहयोग नहीं लिया जाता लेकिन उसको कार्यान्वित करते समय हमारा सहयोग चाहते हैं। हमने पहले भी कहा है और आज भी कहता हूं कि अगर आप गलत नीति बनाकर गलत योजना बनाकर हमारा सहयोग चाहेंगे तो हम इनकार करते हैं सहयोग देने से। हम नहीं चाहते कि आप जो प्रदेश को गलत दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं उसमें हम भी दोष के भागी बनें। जब योजना बनाई जाती है तब हमारी राय क्यों नहीं ली जाती और अगर सही मानों में सरकार चाहती है कि प्रदेश की जनता का कल्याण हो और दूसरे लोग जिनकी सरकार से किसी भी कदर कम नहीं बल्कि ज्यादा दिलचस्पी प्रदेश की जनता के जीवन को खुशहाल बनाने में है तो उनका सहयोग उस स्तर पर क्यों नहीं लिया जाता है ?

तीसरी बात मुझे प्लानिंग के बारे में कहनी है। मैंने देखा है कि सरकार दिखावे के रूप में ज्यादा रुपया खर्च करती है। इलाहाबाद में फूलपुर ब्लाक को मुझे देखने का मौका मिला जो कि हमारे प्रधान मंत्री का क्षेत्र है। वहां पर एक बहुत अच्छा शो-रूम बना हुआ है जहां पर पूरे ब्लाक की एक खासी अच्छी तस्वीर पेश की जाती है लेकिन जब वहां पर बी० डी० ओ० से पूछा गया कि ब्लाक में कितने गांव हैं, कितना रकबा है तो वह एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन बी० डी० ओ० साहब को वहां पर ७ साल से इसलिये रखा गया है कि वह बड़े अच्छे आदमी हैं, वहां पर काफी अच्छा नक्शा बना हुआ है, काफी अच्छी तस्वीरें हैं उसके अन्दर जाकर फारेन आदमियों को विजिट कराया जाता है। अगर शो-रूम को देखा जाय तो ब्लाक की तस्वीर से मालूम होगा कि बड़ा खुशहाल ब्लाक है, बड़ी तरक्की हो रही है। लेकिन हमारी शिकायत यह है कि सम्बन्धित अधिकारियों और सरकार का दिमाग किसी योजना के संबंध में साफ नहीं है। नीति निर्धारित करने वाले जो लोग हैं वे अपने दिमाग में साफ नहीं हैं, यही कारण है कि आज हमारी प्रदेश की जनता का सहयोग उनको नहीं मिल रहा है। श्रीमन्, मुझे ५ मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—दो मिनट अधिक तो मैं दे चुका हूं, ३ मिनट और दे दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, मैं कह रहा था कि सरकार को जनता का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना था कि राष्ट्रीय आन्दोलन के समय चूंकि जनता को अपने से, बड़ा देश के लिये त्याग करना था इसलिये उसमें उत्साह था, एक जोश

[श्री चन्द्रजीत यादव]

था, एक लहर थी लेकिन आज कोई ऐसी चीज नहीं है। श्रीमन्, मैं कहता हूं कि उसकी पूर्ति, उसका रिप्लेसमेन्ट हो सकता है समाजवादी लक्ष्य को जनता के सामने रख कर, समाजवादी तस्वीर को साफ करके जनता के सामने रखने से जनता में उत्साह पैदा हो सकता है लेकिन जब नीति बनानी होती है उस समय यदि दिमाग साफ न हो तो फिर जनता के दिमाग में सफाई कैसे आ सकती है ? यह मेरी शिकायत है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

एक दूसरी बात मुझे कृषि के संबंध में कहनी है। पूर्वी जिलों के लिये एक योजना बन रही है कि वहां पर सरकार आलू, केला, टमाटर, सिंघाडे, पपीता पैदा करायेगी ताकि अनाज की कमी की पूर्ति हो सके। अच्छी बात है, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वहां की प्रमुख समस्या क्या है। वहां की जमीन जिसको पानी नहीं मिलता है उस जमीन में पानी की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वहां पैदावार दो गुनी, तीन गुनी, चार गुनी जिसकी कि गुंजायश है, वह बढ़ सके, उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है ? धान की खेती है, सूखा पड़ा हुआ है, पूर्वी जिलों में इस साल धान फिर नहीं हो रहा है। अगर वहां पर तालाबों की व्यवस्था होती, नहरों की व्यवस्था होती तो वहां पर लोगों को भूखों मरने से रोक सकते थे लेकिन उसके अभाव में पूर्वी जनता परेशान है। पूर्वी जिलों में जो बेकार बंजर भूमि पड़ी हुई है गांव समाजों के अन्दर जिसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है उस भूमि को सही मानों में खेती करने वालों को देना चाहिये ताकि वह उसमें अन्नोत्पादन करें।

एक शब्द मुझे उद्योग के बारे में भी कहना है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को नैनीताल में नियोजन समिति की बैठक के समय यह सलाह दी थी कि हमारे जो पुराने कुटीर उद्योग हैं उनका ह्रास होता चला जा रहा है और सरकार दूसरे नये उद्योगों की तलाश करती है लेकिन पुराने उद्योगों को बचाने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाती। उद्योग अधिकारी जो जिलों के अन्दर हैं, पता नहीं वे क्या काम करते हैं। सरकार को निश्चित रूप से उनको प्राथमिकता देनी चाहिये। सरकार को यह अन्वेषण कराना चाहिये कि उन उद्योगो को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा सकता है। अगर उनको गांवों के अन्दर फैलाने का प्रयत्न किया जायगा तो निश्चय ही प्रदेश की जनता का अधिक भला होगा। सरकार जब तक ऐसा बजट नहीं बनाती है तब तक हम उसका समर्थन नहीं कर सकते।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—मान्यवर, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इन अनुदानों का सवाल है, इन पर काफी आलोचना हो चुकी है। एक ओर से कहा गया कि वह अनफोरसीन नहीं हैं और दूसरी ओर से कहा गया कि वह अत्यावश्यक हैं। मोटे तौर पर देखा जाय तो इसमें ८–१० ऐसे हेड्स हैं जिनके बारे में खासतौर से आलोचना हुई है। मैं उनके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। किन्तु मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस हाउस में अक्सर मजदूरों के मामले की उपेक्षा की जाती है। मजदूरों का इस प्रदेश में सबसे बड़ा केन्द्र कानपुर है। कानपुर नगर में कई मिल बन्द पड़े हुए हैं। गत वर्ष भी दो मिल बन्द हो गये हैं। इनमें से एक मिल आज भी बन्द पड़ा हुआ है, कानपुर काटन मिल। उसके करीब साढ़े चार हजार मजदूर बेकार मारे-मारे फिर रहे हैं। सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में करीब ३ करोड़ की मांग रखी गयी है। अच्छा होता माननीय मंत्री जी कानपुर काटन मिल के सिलसिले में भी कुछ मांग करते जो कि आपसी झगड़े की वजह से बन्द पड़ी हुई है। मेरी इस बारे में यह शिकायत है कि इस मामले की तरफ सरकार बिल्कुल ही तवज्जह नहीं दे रही है। हालांकि सरकार ने दो एक मिलों को कानपुर में चलाया है। उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। अथर्टन वेस्ट मिल और माहेश्वरी जूट मिल को सरकार ने चलाया है।

इसके अतिरिक्त कानपुर में एक स्वदेशी काटन मिल है, जो बहुत बड़े पूंजीपति की है। उस मिल में एक आश्चर्यजनक बात यह हो रही है कि जब और मिलों में ४८ घंटे काम एक हफ्ते में होता है, स्वदेशी काटन मिल में ५२ घंटे काम लिया जाता है। मैं जानता हूं कि

सरकार की ओर से यह कह दिया जायगा कि वह फैक्टरी ऐक्ट के जुर्म में नहीं आते हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर यह रियायत इस मालिक को ही क्यों दे रखी है। कानून के अन्दर ५ घंटे से ज्यादा बिना ब्रेक के काम नहीं लिया जाता है। लेकिन इस मिल में ९ घंटे लगातार काम लिया जाता है। ऐसी हालत में सरकार उस मिल के मालिक के साथ रियायत क्यों कर रही है? इसके अलावा सरकार और भी कई मिल मालिकों के साथ रियायत कर रही है और वह म्योर मिल है जिसका नमूना तो शायद हिन्दुस्तान में ढूंढ़े भी नहीं मिलेगा। उस मिल में दो साल पहले से मजदूरों का वेतन बाकी पड़ा हुआ है, प्ले आफ कम्पेन्सेशन पड़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में सरकार के कई कानूनों के होते हुए भी, पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, प्ले आफ कम्पेन्सेशन ऐक्ट, सब ऐक्ट को उसने रद्द करके रखा है और उस मिल पर कोई ऐक्ट नहीं लागू होता है। न बकाया तनख्वाह देता है, न प्ले आफ कम्पेन्सेशन देता है और तुर्रा यह है कि १,२०० मजदूरों को बगैर किसी तरह का कम्पेन्सेशन दिये हुए निकाल बाहर कर दिया है। सरकार से लगातार शिकायत करने के बाद यह कहा जाता है कि उनके ऊपर मुकदमा चला है। पता नहीं कब तक मुकदमें का फैसला होगा और उनका क्या हश्र होगा। अभी चन्द दिन पहले इसी सदन में यह सवाल मैंने उठाया था कि आया एलगिन मिल और टेक्सटाइल मिल जो अंग्रेजों के हैं, उन्होंने रेशनलाइजेशन की नोटिस दे दी है, तो सरकार ने उत्तर दिया कि वह उस पर विचार कर रही है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) अधिष्ठाता महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—अभी तो शायद वह वक्त (१ बजे से २ बजे तक) है जिसमें कोरम की जरूरत नहीं होती। (श्री उमाशंकर शुक्ल से) आप जारी रखें।

श्री उमाशंकर शुक्ल—मैं यह कह रहा था कि एलगिन मिल और टेक्सटाइल मिल कानपुर, दो अंग्रेजों के हैं। इनके मालिकों ने सरकार को नोटिस दे दी कि हम अपने मिलों मे रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं। हम लोगों ने सरकार से मांग की कि यदि रेशनलाइजेशन करना ही हो तो वह सरकारी कायदे कानून के मातहत होना चाहिए। इस पर सरकार ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करती ही रह गयी और मिल मालिकों ने अपने कायदे कानून के मुताबिक रेशनलाइजेशन कर दिया। जब सरकार से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ तो सरकार ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इसके अलावा अक्सर देखा गया है कि सरकार द्वारा बनाये हुए कानूनों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है। अनुदान संख्या ३० में कोई मुख्य मांग न करके टोकेन मांग की गयी है। मैं कहता हूं कि जब सरकार से कानून की पाबन्दी की कोई मांग की जाती है तो उसे अपने कानून को लागू भी करना चाहिए। सरकार पूछने पर कहती है कि उसे लागू करने के लिए हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। यह अजीब तमाशा है कि सरकार के पास अपने बनाये हुए कानून को लागू करने के लिए ही स्टाफ नहीं है। इसी तरह की बहुत सी एनामोलीज लेबर डिपार्टमेंट में हैं, उस के रजिस्ट्रार आफिस में हैं। वहां तो एक तरह से अन्धेर है जिस की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार लेबर विभाग की तरफ काफी तवज्जह करे। इन शब्दों के साथ में इस सप्लीमेंटरी ग्रान्ट का समर्थन करता हूं।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज बजट को देखते हुए यह ताज्जुब होता है कि जब हमारे प्रदेश का बजट इतना ज्यादा हो, पुलिस भी बढ़ायी जा रही हो, पुलिस की व्यवस्था पर अधिक खर्च किया जा रहा हो, कृषि पर अधिक खर्च किया जा रहा हो, उद्योग पर अधिक खर्च किया जा रहा हो फिर भी प्रदेश की हालत जो है वह बिगड़ती जा रही हो। तो उसका क्या कारण है? मुझे केवल इतना कहना है कि बापू ने कहा था कि जब तक भारत के गांव सुखी नहीं होंगे तब तक इस मुल्क की हालत सुधरेगी नहीं। लेकिन हमारी सरकार गांवों में जो

[श्री दुर्योधन]

योजना जारी किये हैं वहां पर क्या काम हो रहा है इसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। आप सिंचाई योजना की तरफ चलें, हमारी तहसील में एक नारायणी नहर खुदी हुई है जिसका अनुमान था कि उसमें ४७ लाख रुपये का खर्च होगा, लेकिन उस नहर पर १ करोड़ रुपया व्यय हुआ और फिर भी वह नहर अधूरी है। सिंचाई के साधनों के रहते हुए भी वहां पर किसानों को समय से पानी नहीं मिल पाता है। हमारे यहां जब सभा सचिव, श्री इस्तफा साहब, गये थे तो वहां के किसानों ने उनके सामने यह चीज रखी थी कि पानी मिलने का वक्त है, हम नहर अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं लेकिन फिर भी पानी नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार इतनी ढीली और निकम्मी हो गयी है कि साधन रहते हुए भी उसका वह उपयोग नहीं कर पाती है। नारायणी नहर के इन्जीनियर्स का और ठेकेदारों का किस्सा मुझे याद है कि उन्होंने इतनी इफरात से रुपया पैदा किया कि उन्होंने कुत्ते और कुतिया की शादी में हजारों रुपया खर्च किया जिसके लिए मैंने सरकार से कहा था कि उनकी जांच करायी जाय। आज नारायणी नहर के ठेकेदार, इन्जीनियर और ओवरसियरों की हालत देखी जाय कि पहले उनकी क्या हैसियत थी और नारायणी नहर में काम करने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति क्या है; तो पता चलेगा कि वाकई में वहां किस तरह से पैसे की बरबादी हुई है।

इसी तरह से आप देखें कि जनता की रक्षा का जो इन्तजाम आज मुल्क में है और जिसका भार आज हमारे देश के एक बड़े अनुभवी और कर्मठ नेता के हाथ में है उन्हें मैं क्या बताऊं, समदेरवा हमारे क्षेत्र में एक थाना है, वहां का एक किसान जिसका नाम गुन्ना है, पुलिस वाले उस के घर में जाते हैं, उसके घर के अनाज में मिट्टी का तेल छिड़कते हैं, उसकी स्त्री का गहना जबरदस्ती ले लेते हैं, उसकी दरख्वास्त मुख्य मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी के पास आयी हुई है, उसकी क्या प्रगति हुई, और जांच में क्या हो रहा है, यह सब पता नहीं है। मुझे आशा है कि सरकार इसकी इन्क्वायरी भली-भांति करायेगी।

अब जो विकास योजनायें गांवों में चल रही हैं उनकी तरफ आप देखें तो मालूम होगा कि सड़कों के किनारे के दो-चार खेतों में बी० डी० ओ० लोग धान की रोपनी कतार में करा देते हैं और दिन भर जीप में बैठकर सिर्फ मजा करते हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कहा जाय? वहां पर विकास के नाम पर जो बीज बांटा जाता है उसको ठीक से पहले से देखा नहीं जाता कि वह बीज जमेगा या नहीं जमेगा और अगर नहीं जमेगा तो इसका किसान और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी कोई जांच नहीं की जाती और उसको किसानों में बांट दिया जाता है। इस तरह से कितनी ही जगह ऐसा बीज दे दिया जाता है कि जो जमता ही नहीं है जैसे हमारे यहां घुघली सीड स्टोर से ऐसा बीज दिया गया है कि वह बहुत से गांवों में जमा ही नहीं है, किसान परेशान हैं, ३ मास के बाद जब क्वार का मास आयेगा, हमारे यहां बारिश थोड़ी सी हुई थी लेकिन जिनका खेत जमा नहीं है वे बेचारे परेशान हैं।

स्कूलों की तरफ देखिये, जहां से हमारे देश का निर्माण होता है। उनकी क्या हालत है? प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मैंने देखा, घर से फटा हुआ टाट लिये हुए स्कूल चले जाते हैं। वहां बैठने के लिए टाट नहीं है। स्कूल इतनी जीर्ण अवस्था में है कि पानी बरसते वक्त पढ़ नहीं सकते। दूसरी तरफ जो बड़े-बड़े विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं उनमें कुनबापरस्ती का इतना जोर है कि जिसकी कोई हद नहीं। मिसाल के तौर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय को देखिये। वहां एक चपरासी तक बैकवर्ड और हरिजन नहीं रखा गया। सब बड़े-बड़े लोग रखे गये हैं। यह क्या तमाशा है? मुल्क में जो एकता का बीज बोया जा रहा था वह आपस में वैमनस्यता का बीज होता जा रहा है। हमें आशा थी कि आजादी होने के बाद हम लोग सुखी होंगे, क्योंकि आजादी से पहले मुल्क को आजाद कराने में बहुत परिश्रम किया था और इसलिए किया था कि हमारे मुल्क की सरकार जो होगी वह एक चुस्त सरकार होगी जो सारे मुहकमों पर नियंत्रण रखेगी। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सभी लोग ढीले हैं लेकिन मुहकमें में ढीलापन उन को बेकार कर देता है।

म्युनिसिपल बोर्ड, गोरखपुर की अजीब हालत है। एक लाख का गबन हुआ है, लेकिन अभी तक उस के बारे में कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी है जिस से कि अधिकारीगण सचेत हों। मुल्क की रीढ़ जो हरिजन और बैकवर्ड लोग हैं उनका इस बजट में नाम तक नहीं लिया गया है। जब तक आप का एक वर्ग पिछड़ा हुआ रहेगा, मुझे विश्वास है तब तक इस मुल्क की हालत नहीं सुधर सकती। मुल्क को सेना की जरूरत है तो अगर १५ करोड़ अछूत जो मुल्क में हैं उनकी हालत सुधारने के लिए प्रबन्ध नहीं करेंगे तो उनकी हालत कैसे सुधरेगी? काम दिलाऊ दफ्तर हैं, वहां पर जाने पर लोग कहते हैं कि हरिजनों में अभी इस तरह के आदमी ही नहीं मिलते जो पुलिस या फौज में भर्ती कर लिये जायं।

तरक्की की विभिन्न चीजों में गांव का रास्ता भी एक है। आप देखें कि जो गांव के रास्ते हैं वह खंडहर बनते जा रहे हैं। श्रमदान के द्वारा कुछ गांवों ने अवश्य कुछ सड़कें बनायी लेकिन उन को प्रोत्साहन नहीं दिया गया बल्कि उन में एकाध पुल जो बनना है उस में भी विकास विभाग ने ढिलाई की और वह नहीं बन पाया। गांव में ज्यादातर जो लोग खुशहाल हैं उनके दरवाजे पर कुएं हैं। फिर भी उनके दरवाजे पर पाइप लगाया गया है। गांव के जो हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके पानी पीने तक का ठिकाना नहीं हैं। उसके लिए भी बजट में कोई प्राविजन नहीं है।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि आज इस अनुपूरक अनुदान के सामान्य विवाद पर मुझे बोलने का मौका मिला। आमतौर से विवाद जिस प्रकार से चला करते हैं उसी तरह से इस पर भी वादविवाद चल रहा है। इस वाद-विवाद में और पहले के वाद-विवादों में कोई नयी बात देखने को नहीं मिली। अपने-अपने दृष्टिकोण से सभी पार्टी के लोगों ने अपने विचारों को व्यक्त करना आरम्भ कर दिया है। हमारी पार्टी के भीतर भी हम लोग जो भाषण शुरू किये हैं जिस प्रकार से पहले भाषण करते थे उसी अपने ही ढंग से हमने भी अपना काम शुरू किया। हम अपनी शिकायतें बतलाते हैं, बजट की नीति की विशेष विवेचना करने से बाज आते हैं। बजट का भाषण होने से पहले हम यह सुनना पसन्द किया करते हैं कि बजट बनाने वालों की नीति क्या है। दुनिया में कहीं भी जहां प्रजातन्त्र के बजट पर वाद-विवाद होता है सभी लोग इसी बात की आलोचना करते हैं कि सरकार को जितना अधिक खर्च करना चाहिए उतना अधिक खर्च इसमें नहीं दिखाया गया है। कोई भी सरकार जितना ही अधिक खर्च करने का बजट तैयार करती है वह उतनी ही अच्छी मानी जाती है और हमारे प्रदेश में बजट में अधिक से अधिक खर्चा हो, और अधिक से अधिक खर्च का मतलब यह होता है कि अधिक से अधिक काम होंगे। यही सिद्धान्त माना जाता है और जब हम उस पर विचार करते हैं तो आमदनी में हम केवल यह देखा करते हैं कि कहां तक प्रत्यक्ष कर की उगाही का समावेश इसमें है और कहां तक अप्रत्यक्ष कर का। प्रत्यक्ष कर का आमतौर से विरोध किया जाता है और अप्रत्यक्ष कर को जनता या विधान बनाने वाले सभी सुन्दर और अच्छा मान करके इसी नीति से अपनी आमदनी को बढ़ाया करते हैं।

हमारे चन्द्रजीत यादव जी केवल इस बात की विवेचना में ही अपनी सारी बातें खत्म कर दिये कि अमुक स्थान पर अमुक काम जब शुरू हुआ तो वहां सब से पहले मकान बनाये गये उनके लिए जो लोग वहां काम करने वाले हैं। मैं नहीं समझ सका कि वे कहां से बोल रहे थे और क्या बोल रहे थे। अगर वे कम्युनिस्ट स्टेज से बोलते रहते तो उन्हें स्पुटनिक जरूर याद आता होगा, जिसमें हिन्दुस्तान में जितना खर्च होता है उसका कितना अधिक स्पुटनिक पर खर्च किया जाता है। अगर अमेरिका देश से बोलते तो वहां भी वे इस बात को देखते, अगर इंग्लैन्ड से बोलते तो वहां भी उनको यह चीज दिखायी देती और जब भारत-वर्ष से बोल रहे थे, इस प्रदेश के एक सदस्य की हैसियत से बोल रहे थे तो यह सोचना चाहिए कि अगर प्रदेश में कोई कार्य कराने के लिए आगे कदम बढ़ायेंगे तो क्या अपने वैज्ञानिकों का और अन्य काम करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

वालों का प्रबन्ध नहीं करेंगे उन को यह बात बहुत खटकती है कि फलां इमारत ८०,००० में बनी। मुझे भी खटकती है, हम जिस तबके से हैं हम लोगों को, दुनिया में मकान कितने बड़े-बड़े होते हैं और अच्छे से अच्छे आरामदेह मकान किसी को बना कर देने में कितना रुपया लगता है इसकी शायद न उन्हीं को कल्पना है और न मुझे है। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि किसी भी वैज्ञानिक के किसी अत्यन्त उपयोगी कार्य को अपनाना है तो उस को रहने के लिए जगह आपको देना होगी। आप रिहन्द डैम जिससे बनवाना चाहते हैं उस के लिए आप चाहते हैं कि वह एक झोंपड़े में बैठा रहे, उसको आराम से सोने के लिए जगह भी न मिले, सोचने के लिए आराम की जगह न मिले और वह निर्माण का कार्य करता रहे और दिमाग में उसके यह दौड़ता रहे कि कहां उसका बिस्तरा बिछा होगा, घर में कुत्ता तो नहीं घुसा होगा और बरतनों को चोर तो नहीं उठा लिये जा रहा होगा। अगर इन सारी चिन्ताओं से वह ग्रस्त रहेगा तो आपका काम हरगिज नहीं हो सकता। तो हम जिस स्तर पर हैं अगर उसी से सब चीजों को जज करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है और न समाज का निर्माण हो सकता है। जो समाजवादी या कम्युनिस्ट हैं वहां भी इसे माना जाता है कि आदमी की उपयोगिता की दृष्टि से उसे जितनी आवश्यक चीजें हैं मुहैया होनी चाहिये। यही सिद्धान्त सर्वोपरि माना गया है और कुशलता बढ़ाने के लिए हमारे लिए जितनी भी चीजें आवश्यक हैं उन्हें हम मुहैया करेंगे, यह हमारे समाज का लक्ष्य व ध्येय है। अगर हम लग्जरी की डिग्री पर पहुंच जाते हैं, आराम-तल्बी की डिग्री पर पहुंच जाते हैं वहां पर यह निन्दनीय है, लेकिन जहां कि हमारी उपयोगिता बढ़ाने का सवाल है, जहां कि कार्यकुशलता बढ़ाने का सवाल है वहां हमारे लिए यह लाजिमी है कि हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति करें।

यह सवाल उठ सकता है कि हमारे प्रदेश के ६ करोड़ लोगों की आवश्यकतायें जब तक पूरी नहीं होतीं, तब तक हम दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति पर इतना रुपया क्यों व्यय करें। मैं समझता हूं कि उसी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें वैज्ञानिकों की, बड़े बड़े इन्जीनियर्स की जरूरत है और तमाम तरह की चीजों की जरूरत है। मुझे आपसे उतनी शिकायतें नहीं हैं जितनी कि अपनी सरकार से हैं। मैं सरकार के खिलाफ यह आरोप लगाने के लिए तैयार हूं कि सरकार ने प्रजातन्त्र के नाम पर, भाषण स्वातन्त्र्य के नाम पर इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि आज हम इस बात को भी भूल गये हैं कि झूठ बोल कर किसी के खिलाफ प्रचार करना भी जुर्म हो सकता है। आज झूठ बोलने का पूरा-पूरा प्रचार इस देश में होता जा रहा है। हम शासन चलाने वाले हैं। काम ढीला करते हैं, हमारे खिलाफ शिकायतें आती हैं लेकिन हमने ऐसे कानून बना रखे हैं कि जिनके अनुसार हमें सजा देने की गुंजाइश नहीं रह जाती। मेरा तो यह आरोप है कि इस प्रदेश में आई० सी० एस० और आई० ए० एस० के पर्सनल राज्य चला रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायतें आने पर कितनों को हटाया गया, कितनों को सजा दी गयी। मैं अपने जिले की बात कहता हूं। वहां बाढ़ आयी, गांव गिर गये और जिलाधीश वहां झांका तक नहीं, सहानुभूति भी प्रदर्शित करने नहीं गया। वहां के लोग जो स्कूल चला रहे थे, उन्हें तोड़ कर दूर दूर के गांव में भेज दिया गया इसलिए कि वह गांव गिर गया। वहां स्कूल चल सकता था, लेकिन जिलाधीश जिला परिषद् की सिफारिश पर जिस ने आपसी ईर्ष्या व द्वेष तथा पार्टीबन्दी की बिना पर ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया उसे पालन करने के लिए तैयार हो गया। ट्रांस्फर होता है वह जाता नहीं। दूसरा भेजा जाता है वह छुट्टी लेकर बैठ जाता है। इस तरह से शासन ढीलाढाला चल रहा है। उससे अवश्य अकल्याण होगा।

हमारे प्रदेश में विरोधी पार्टियां भी बड़ी उच्छृंखलता व अराजकता फैलाती हैं लेकिन उनके खिलाफ हमारी सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती। इससे भी बढ़ कर ढिलाई का और क्या नमूना हो सकता है कि हमारे सरकारी विभागों से जो चिट्ठियां आती जाती हैं जिनको गोपनीय कहा जाता है वे हमारे विरोधी भाइयों को मिल जाती हैं, उनको वे पढ़ कर यहां सदन में सुनाते हैं ? मैं समझता हूं कि यह शासन के सोचने की चीजें हैं।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, अनुपूरक अनुदान और एक्सेस ग्रांट्स के ऊपर दो दिन से विवाद चल रहा है। मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पुलिस ग्रांट में जो ११,९२,०९२ रुपया अधिक खर्च दिखाया गया वह कहां और कैसे खर्च हुआ, इसका विवरण अन्तिम पृष्ठ पर दिया गया है कि यात्रिक भत्ते आदि में खर्च हुआ। लेकिन जब हम विनियोग लेखे को देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें और बातें छिपा ली गयी हैं। पृष्ठ १५ पर लिखा है कि इस धन को गबन और अन्य चीजों में भी खर्च किया गया और इसका पूरा विवरण ८६ पृष्ठ पर दिया गया है। इसमें है कि गबन इत्यादि में २९,३२२ रुपया खर्च किया गया। कपड़े की अनावश्यक खरीद की गयी उसमें भी खर्च हुआ। जो स्पष्टीकरण पृष्ठ ८६ पर दिया गया है उसके पढ़ने से मालूम होता है कि यह गबन कहां हुआ। यह गबन थाने के अन्दर जहां तलाशी लेते समय जो माल निकलता है वह मालखाने में जमा होता है वहां से हुआ। पुलिस के द्वारा "पुलिस ने एक व्यक्ति से २१ सितम्बर, १९४७ को एक सौ तोला सोना और कुछ चांदी जिसके बारे में चोरी का माल होने का सन्देह था, बरामद करके एक पुलिस स्टेशन के मालखाने में जमा कर दिया था। २६ अक्तूबर, १९४७ को मैजिस्ट्रेट ने उक्त सभी मूल्यवान सामान उसके मालिक को लौटा देने का आदेश दिया और उस समय सारा का सारा सोना मालखाने से गायब पाया गया।"

इस प्रकार से यह धन १३,९०३ रुपये का गवर्नमेंट को देना पड़ा। उसके बाद फिर लिखा है —

"उसी नगर के एक दूसरे मामले में २४ जनवरी, १९५० से २६ मार्च, १९५१ के दरमियान नकद रुपया और बहुमूल्य माल, सोना चांदी का गबन और हुआ। इस हानि का पता तब लगा जबकि, २७ मार्च, १९५१ को मालखाने का मुहर्रिर एकाएक गायब हो गया।"

इसमें कुल ७,५५८ रुपया सरकार को देना पड़ा। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो हमारे रक्षक थे वे हमारे भक्षक बन गये हैं और सदन के सामने बार-बार यह आता है कि पुलिस वाले आदमियों को मारते-मारते मार डालते हैं सुराग़रसी के सिलसिले में और कहा जाता है कि यह हमसे भाग रहा था। यह बात समझ में आने वाली नहीं है कि ४–४, ५–५ सिपाही किसी आदमी को पकड़े हों और उनके पास लाठी वगैरह भी हो फिर कैसे कोई आदमी भागने की हिम्मत कर सकता है। असल में मारते इसलिये हैं कि उससे वह उनको कुछ धन भी देगा और कुछ बतायेगा भी। मेरे ही जिले में कुछ ऐसे वाकयात हुये हैं। मेरे जिले में खाई बाड़ी होती है। प्रश्न किया गया तो उत्तर मिला "जी नहीं" और कुछ पता नहीं चलता। जिला बुलन्दशहर में लोग खाईबाड़ी कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि वह जगह थाने से दो-तीन फर्लांग से भी दूर नहीं है। लेकिन कुछ उसका इन्तजाम नहीं होता है।

इस ऐक्सेस ग्रांट में दूसरी ग्रांट जन-स्वास्थ्य की है, उसमें करीब २,४०० रुपये की हानि दिखाई गई है। माननीय मंत्री जी को मालूम होना चाहिये कि जब सवाल आता है तो कह देते हैं कि पैसे की कमी है।

(इस समय १ बज कर ५५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

हमारे यहां के मेमोरियल एसोशियेटेड हास्पीटल में एक सीनियर मैट्रन ८,९५३ रुपये खा गई और इस मामले को पुलिस के सुपुर्द किया गया है। लेकिन मालूम हुआ कि कागजात ही गायब हैं। ऐसे ही दूसरा केस फैजाबाद का है। वहां के हेड क्लार्क ने गबन किया और वह मामला भी पुलिस के सुपुर्द है। इससे मालूम होता है कि जहां पैसा खर्च होना चाहिये वहां नहीं होता है और स्वास्थ्य विभाग ठीक से देखभाल नहीं करता है। मुझे यह अर्ज करना है कि

---

*वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मतसिंह]

जो पैसा गरीब जनता के लिये खर्च होना चाहिये था वह उस पर खर्च न होकर दूसरी जगह खर्च हो रहा है। इसी प्रकार २,६०,१०० रुपये की लागत से एक बच्चों का अस्पताल लखनऊ में खोला गया है। क्या कारण है कि यह अस्पताल लखनऊ में ही खोला गया? मेरे जिले में क्यों नहीं खोला गया? मेरे जिले में चार अस्पताल जिला परिषद् द्वारा चलते हैं, उनमें से तीन में डाक्टर ही नहीं हैं और जो एक डाक्टर है वह ६० साल का हो चुका है और काम करने के काबिल नहीं है। कम्पाउन्डरों की यह हालत है कि वह मालदारों को दवाइयां बेंच देते हैं। गरीब जनता को दवाइयां नहीं मिलती हैं।

मैं देखता हूं कि बहुत सा रुपया जो सरकार ने विभिन्न संस्थाओं को दिया था उसका हिसाब नहीं आया है। १९५० से १९५५-५६ तक ऐसा रुपया १,६६,१९,०१८ रुपया है जिसका हिसाब नहीं दिया गया। इसको इतनी देर तक क्यों छोड़ दिया? हिसाब न देने के माने हैं कि वहां गड़बड़ी है। जब आडीटर जनरल ने ऐतराज किया तो १३,२६,०५३ रुपया ऐसा निकला जिसके हिसाब ठीक होने के प्रमाण-पत्र १९५८ तक नहीं दिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि दवाओं में गोलमाल होता है। गरीब जनता परेशान हो रही है। आज हम देखते हैं कि एम० एल०एज० और मिनिस्टर्स पर हजारों रुपये खर्च किये जाते हैं लेकिन गरीब जनता को दवा नहीं मिलती है।

मेरे जिले में पशु चिकित्सालय है लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर मवेशी अपनी मौत मर रहे हैं लेकिन उनको कोई दवा नहीं मिलती है। मंत्री जी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिये कह देते हैं कि महामारी फैल गई और ईश्वरीय प्रकोप था और इसके अलावा वह विचार करने के लिये भी तैयार नहीं होते हैं। उनके विभाग में गबन हो रहे हैं। क्या उसको भी हंसकर टाल देंगे? हमारे क्षेत्र में महिला चिकित्सालय कोई भी नहीं है। इस पर ध्यान देना चाहिये जिससे जनता को सुविधा प्राप्त हो जाय।

इतना ही नहीं, मान्यवर, एक और अनुदान दिया गया है जिसमें ७,४४,००० रुपये की अधिक धनराशि खर्च की गई है और २८९ पृष्ठ पर इसका विवरण दिया गया है। हमारे पिछड़े भाइयों को रुपया समय पर नहीं दिया जाता है जिससे किताबें वगैरा खरीद सकें और उनसे आशा यह की जाती है कि जितने भी कम्पीटीशन्स होंगे और जितनी भी नौकरियां होंगी उनमें अपने को योग्य साबित कर सकेंगे। मान्यवर, वह सैनिक लड़ाई क्या लड़ेगा जिसके पास शस्त्र और साधन ही न हों? ऐसे ही अगर एक विद्यार्थी से अपेक्षा की जाय कि वह पढ़ कर के जितने भी कम्पीटीशन हैं उनमें कम्पीट कर सकेगा तो यह नामुमकिन है। कहा गया है कि सभी संस्थाओं ने समय से सूचना नहीं भेजी इसलिए ऐसा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक फैक्टरी थी, उसमें कुछ रीलें मंगाई गयीं। ९८ हजार ३६० रुपये की रीलें मंगायी गयीं, जो नीलाम करके बेची गयीं और इससे हानि २७ हजार ९४१ रुपये की हुई। उसमें से ८ हजार २०० रुपये के करीब हानि पूरी कर ली गयी लेकिन जो १९ हजार ७०० रुपये के करीब धनराशि रह गयी अब भी शेष रह गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि बहुत सी बातें अतिरिक्त अनुदान में छोड़ दी गयी हैं जो विनियोग के द्वारा मालूम पड़ती हैं। इसमें गबन भी शामिल है। जो फैक्टरी है उसमें नुकसान हुआ है रीलों के खरीदने में। इसके क्या कारण हैं? मंत्री जी बतायेंगे। केरल की मिनिस्ट्री केवल इस बात पर खत्म कर दी गयी कि वहां के मंत्रीगण अपनी पार्टी को सुविधा पहुंचाते थे। उन पर यह आरोप नहीं था कि भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन यहां तो भ्रष्टाचार का भी आरोप है और अपनी पार्टी के आदमियों को अन्य सुविधाएं भी पहुंचाने का आरोप है। मैं चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाय।

श्री मदन पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, अब की बार जो अनुपूरक अनुदान सरकार की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं कुछ थोड़े से विभागों को छोड़ कर लगभग सभी विभागों में नये-नये अनुदान और कुछ पुराने अनुदानों को नये सिरे से रख कर हमारे सामने तीन करोड़ से ऊपर

की मांगें रख दी गयी हैं। अगर सरकार उचित रुपया मांगे तो देना चाहिये। इसमें हमें कोई एतराज नहीं होता अगर हमें यह विश्वास हो जाय कि उसका सदुपयोग होगा। इस सम्बन्ध में मैं सरकार को जानकारी कराना चाहता हूं। आज नारायणी कैनाल के सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री जी ने एक क्लर्क के स्तीफे की प्रतिलिपि प्रश्न के उत्तर में दी थी। मैं उसे सदन की जानकारी के लिए फिर से पढ़ देना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस स्तीफे में इतने सीरियस एलीगेशंस लगाये गये हैं फिर भी उस क्लर्क को किन कारणों से बरखास्त किया गया और मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि उसके इस्तीफे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पी० एच० पंजाबी नाम के क्लर्क ने चीफ सेक्रेटरी के नाम से यह खत लिखा है--

"Due to acute corruptions, favouritism, nepotism, wastage of public funds, rape, murder of democracy, daylight robbery of national wealth and above all threat for physical violence and threat for life for displaying national integrity while performing Government duties, I beg to submit this one month resignation notice with effect from the forenoon of to-day, that is, 18-11-58. The circumstances forcing me to resign are being reported directly to you in a separate cover, to the Ministers and Presidential levels of India as I feel justice can only be achieved from your office, the Temple of Justice.

Yours faithfully,
(Sd.) P. H. PUNJABI,"

यह पत्र इस बात का सबूत है कि ४७ लाख रुपये की जो योजना बनायी गयी उसमें एक करोड़ रुपया लगा दिया है और उसमें बहुत बड़ी-बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस क्लर्क ने अपना रिजिग्नेशन देने के साथ जो एक कवर्ड लिफाफा और दिया था उसमें इतने और ऐसे गम्भीर आरोप लगाये हैं जिनके सम्बन्ध में यदि जांच किया जाय तो बड़े-बड़े इंजीनियर और कुछ और उच्च अधिकारी लोग उसमें शरीक पाये जायेंगे और यह जो लगभग ५३ लाख से ऊपर की रकम इस तरह से जायद ली गई है और जिससे बजाय फायदे के नुकसान हुआ है उसमें बड़े-बड़े भेद खुलने की सम्भावना है। मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी क्यों नहीं करायी जा रही है। माननीय मंत्री जी अभी बोलने वाले हैं, वह सरकार की ओर से सफाई देने की कृपा करेंगे।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कई भाइयों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उसमें स्पष्ट रूप से जातिवाद और कुनबापरस्ती के आधार पर भाई बन्धुओं को पूरी तरह से भरा गया है। मैं अधिक उदाहरण तो नहीं देना चाहता लेकिन कुछ जो ग्लेयरिंग इंस्टांसेज हैं उन्हें सदन की जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। इसमें जो अप्वाइंटमेंट्स हुए...

श्री उपाध्यक्ष--इन अप्वाइंटमेंट्स का सरकार से क्या ताल्लुक है?

श्री मदन पांडेय--इसलिए कि सरकार की मदद के साथ वह यूनिवर्सिटी चलती है। सरकार के पास उस यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में होने वाली गड़बड़ियों के बारे में एक रिपोर्ट लिख कर के दी गई है जिसके कई महीने हो चुके लेकिन बजाय इसके कि उन गड़बड़ियों को सुधारने का प्रयत्न किया जाय जिन अप्वाइंटमेंट्स के बारे में शिकायत की गई थी और जिनके बारे में अनियमितता का उल्लेख किया गया था उनको सरकार ने पुनः कन्फर्म कर दिया। इसलिए मजबूर होकर हमें यह मामला सदन में लाना पड़ रहा है। श्री बिलासमणि त्रिपाठी एक टीचर नियुक्त किये गए हैं। यह श्री एस० एन० एम० त्रिपाठी जो कि ट्रेजरर हैं उस यूनिवर्सिटी के, उनके लड़के हैं और त्रिपाठी जी यूनिवर्सिटी की सेलेक्शन कमेटी में भी हैं। इनकी जो क्वालीफिकेशंस है वे हैं हाई स्कूल सेकेंड आई० एस० सी० सेकेंड, बी० एस-सी० सेकेंड, एम० एस-सी० फर्स्ट। और उसी स्थान क लिए जिनकी दरख्वास्तें थीं तथा जिनके क्लेम्स थ, जरा उनकी भी क्वालीफिकेशंस देखी जायं। श्री बी० डी० कुलश्रेष्ठ, हाई स्कूल

[श्री मदन पांडेय]

फर्स्ट, आई० एस-सी० फर्स्ट, बी० एस-सी० फर्स्ट, एम० एस-सी० सेकेंड, पी० एच० डी० । एक दूसरे सज्जन थे डाक्टर जगदीश सिंह, हाई स्कूल फर्स्ट, इंटर फर्स्ट, बी० एस० सी० सेकेंड, एम० एस० सी० फर्स्ट, पी० एच० डी० । तो इस तरह से इन लोगों के क्लेम सुपरसीड कर दिये गए इसलिए कि सेलेक्शन कमेटी के मेम्बर स्वयं श्री बिलासमणि के पिता थे और वह उस यूनिवर्सिटी के ट्रेजरर भी हैं । इसी तरह से जो वहां के वाइस-चांसलर हैं उनका भी मामला है । उनकी पत्नी की बहन के लड़के श्री नागर साहब की जो नियुक्ति हुई है उनके सम्बन्ध में भी इसी तरह की बातें हैं । चूंकि समय थोड़ा है और पूरा विवरण दूंगा तो ज्यादा वक्त लगेगा इसलिए इशारतन् कहना चाहता हूं कि अब पानी सर से ऊपर होने जा रहा है । गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में यह किताब छाप कर आपकी सेवा में दे दी गई है । यह चैलेंज पहले भी दिया गया है और मैं फिर दोहराता हूं कि यदि इसकी एक भी बात गलत है तो इसके लिखने वाले श्री शिब्बनलाल सक्सेना, मैं स्वयं, और एक श्री नगेन्द्र सिंह जी हैं, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाय और अगर नहीं तो इसमें जो गड़बड़ियां की गई हैं उनकी जांच की जाय उन्हें दुरुस्त किया जाय और नियुक्तियों को कन्फर्म करके इस भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन न दिया जाय ।

तीसरी बात जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी के बारे में । माननीय गेंदा सिंह जी ने भाषण शुरू करते हुए रामनगर की एक घटना के सम्बन्ध में थोड़ा-सा जिक्र किया था । लेकिन मैं दूर जाने की नहीं सोचता, मैं तो गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी की बात बताता हूं । सन् ५३–५६ तक की वहां स्पेशल आडिट हुई है । उसकी रिपोर्ट सरकार के पास भी आयी होगी, न आयी हो तो मैंने उस सम्बन्ध में जो अनियमिततायें थीं वह लिख कर के स्वयं माननीय स्वशासन मंत्री को दिया था अपने हाथ से । इसके पहले गोरखपुर म्युनिसिपलटी के जो म्युनिसिपल कमिश्नर लोग हैं उन्होंने भी इस सम्बन्ध में वहां की मौजूदा कमेटी का ध्यान आकर्षित किया है और चेयरमैन से मांग की कि वह तुरन्त कार्यवाही करें और सरकार से भी इसी आशय की मांग की । सन् ५६ में तत्कालीन चेयरमैन लक्ष्मीशंकर वर्मा जिनके समय में बोर्ड सुपरसीड हुआ था उन्होंने वहां के एग्जीक्यूटिव आफिसर के खिलाफ कार्यवाही की थी और सरकार से इजाजत मांगी थी उनके डिसमिसल के लिए । लेकिन सरकार ने बजाय डिसमिस करने के उनको पुनः बहाल किया वन थर्ड पे देकर और यह कहा कि अगर आडिट रिपोर्ट में उनके खिलाफ चार्जेज साबित हों तो कार्यवाही की जाय । २७ मार्च को यह आडिट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । आज लगभग ४, ५ महीने हो गये । सरकार को इसकी याददिहानी की गई लेकिन अभी तक वह एक्जिक्यूटिव अफसर, जो लाखों रुपये की गड़बड़ी का जिम्मेदार है, वहीं अपने स्थान पर बैठा हुआ है । वह अगर कागजात में हेरफेर करता हो या कुछ भी करता हो तो उसकी दवा हमारे हाथ में नहीं है । जिसके हाथ में उसकी दवा है वह उसको करना नहीं चाहते । अब सदन की जानकारी के लिये उस रिपोर्ट के जो कंक्लुडिंग रिमार्क हैं उनको पढ़ देना चाहता हूं :

"The observations made in the foregoing paragraphs will indicate that the state of the licence accounts was deplorable. There appeared to be an embezzlement of more than Rs.34,000 therein excluding the amount embezzled in the cycle licences for 1953-54 and 1955-56 the exact amount whereof, as stated in paragraph 21, could not be determined for want of particulars regarding the period for which such licences had been issued. Duplicate licence plates were issued to defraud the Board of its legitimate dues which was not possible without a well organized move among the employees of the Board and the executive heads dealing with the affairs of the licence section. Although the main responsibility for the embezzlement and fraud appeared to lie on the Licence Inspectors, yet the complicity of the officers in the matter cannot be ruled out. The embezzlement was facilitated due to gross negligence and persistent failure on the part of the

Executive Officer and the Tax Superintendent to discharge their duties conscientiously."

अब इसमें ४,८०० रुपये का और जिक्र है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक लाख रुपये के गबन की सूचना, जो तीन वर्षों के आडिट हुये हैं, उनसे प्राप्त है। ५६ के बाद फिर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। इधर क्या हुआ है वह तो भविष्य में आडिट से मालूम होगा। स्वशासन मंत्री जी और वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं और बजट भी पेश है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार ने क्या ऐक्शन लिया है और अगर नहीं लिया है तो क्या लेने जा रहे हैं।

पुलिस मिनिस्टर साहब यहां पर मौजूद नहीं हैं; अगर होते तो मुझे खुशी होती। पुलिस के कारनामों के सम्बन्ध में एक जज साहब का फैसला है; मैं उसको सदन के समक्ष सुनाना चाहता हूं, जिसके बारे में लिखित रूप से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। उस्का थाने के अन्तर्गत मधुबनी गांव का यह केस है। सेशन ट्रायल नम्बर २८, सन् १९५९ का यह केस है। जज साहब ने पुलिस के मामलों को डील करते हुये अपने ये आब्जर्वेशन दिये हैं कि:

"It is difficult to overlook this conduct of the Investigating Officer in playing with the lives of five persons by falsely implicating them in the murder of Alu by setting up a false eye-witness P. W. Raghghoo. Such conduct must be condemned. It is hoped that the authorities will take due notice of my above remark and will take suitable action."

यह पुलिस के कारनामे जज साहब ने अपनी जबानी सुनाये हैं। यदि हमारी बातों का विश्वास न किया जाय तो इनका तो अवश्य किया जाय। नकछेद ढाढी को सहजनवां थाने में लाकर मार डाला गया। उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया। उसकी औरत रोती मंत्री जी के पास गई। उसको जांच का आश्वासन दिया गया लेकिन कोई इन्क्वायरी नहीं की गई। उसके केस में इस तरह की बातें साबित हुई हैं। यह जज साहब ने अपने रिमार्क में लिखा है। उसकी हत्या को छिपाने की कोशिश की गई।

एक वन विभाग है जिसके ऊपर हमारे वित्त मंत्री जी का कब्जा है। नारायणी नहर जो बनाई गई है उसके और नारायणी नहर के बीच में जो जमीन पड़ती है उसमें कई गांव पड़ते हैं उन गांवों के लोग अपनी जमीन को जोतकर खाते पीते थे। वह नदी और नहर के बीच का हिस्सा है वह पानी से भर जाता है। वही आज ६ वर्ष से लगातार लोगों की फसल चौपट किये जा रहा है। उन्होंने बार-बार लिख कर सरकार को दिया कि हमारी जमीन किसी ऊंची जमीन से बदल दी जाय और नहर के पश्चिम की तरफ की जमीन हमें दे दी जाय लेकिन कोई ध्यान आज तक नहीं दिया गया। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या उनको वहां डूबने के लिये छोड़ दिया जायगा। कलनही गांव के लोग नहर के पश्चिम तरफ बसे हुए हैं। विकास विभाग की ओर से उनको कुवां बनाने के लिये रुपया मंजूर हुआ, लेकिन जब कुवां खोदने के लिये नींव रखी गयी तो उसी विभाग की ओर से एतराज किया गया कि इस जमीन पर आप कुवां नहीं खुदवा सकते। आप देखें कि अगर वहां का पम्प बिगड़ जाय तो लोग पानी बिना मर जायंगे। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि वहां की समस्या आप हल कीजिये और उनके लिये पीने के पानी का इंतजाम तो होना ही चाहिये। उस फाइल को मंगवा कर मंत्री जी अवश्य देखें।

सड़कों के सम्बन्ध में जब कुछ होता है, पी० डब्लू० डी० के मिनिस्टर साहब उनकी एक लम्बी लिस्ट पढ़ जाते हैं। पूर्वी जिलों में वैसे ही यातायात कम है, पिछड़ा हुआ है और गोरखपुर जिले की सड़कों की थोड़ी सी जानकारी मुझे है। वहां १० मील सड़क बनाकर सिसवा के बाद २ मील छोड़ दी जाती है। सिसवा से हाता तक की जो सड़क है उसमें घुघली और उसके बीच का ७ मील का हिस्सा नहीं बन पाता और उसकी वजह से गोरखपुर की जो ट्रकें आती हैं, सरकार जिनको भाड़ा देती है खाद्य विभाग की ओर से, उसको उनको ड्योढ़ा भाड़ा देना पड़ता है। अगर यह ७ मील का टुकड़ा बन जाय तो गोरखपुर से सिसवा बाजार का फासला ४१ मील रह

[श्री मदन पांडेय]

जायगा बजाय ६०–६५ मील के। मैं इसी तरह की एक और नजीर पेश करूंगा। घुघली से चौराहे तक, जहां एक मिल का गन्ना आता है ४० लाख मन के करीब, वह सारा गन्ना उसी रास्ते स आता ह और उस सड़क पर अगर मिनिस्टर साहब की कार एक बार चली जाय तो फिर दुबारा जान का वह नाम नहीं लेंगे, चार बरस से कंकड़ पड़ा हुआ है। दो मील तक सड़क पक्की बन चुकी है लेकिन ४ मील न सुधरने से सारा मामला गोल हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष––आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सैयद अली जहीर––उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमेंटरी बजट मैंने पेश किया है इसके मुताल्लिक बहुत से एतराजात तो इस बात के और इस किस्म के थे कि बजट का यह तरीका गलत है और यह कहा गया कि जो आइटम्स हैं वे न तो अनफोरसीन हैं और न अर्जेंट, इस वजह से उनको इसमें नहीं होना चाहिये। इसके अलावा और बहुत से मुख्तलिफ किस्म की शिकायतें आम किस्म की की गयी हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के मुताल्लिक़ है। दो तरह की शिकायतें हाउस के सामने आयीं। जहां तक इस बजट का ताल्लुक है, मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट जो कि आप के सामने पेश हुई है, उसे अगर आप गौर से देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसमें ज्यादातर जो बातें रखी गयी हैं वह इसी किस्म की हैं जो पहले नहीं आ सकती थीं और जिनको सप्लीमेंटरी डिमांड की शकल में आना लाजमी था। मसलन्, आप यह अनुभव करेंगे कि जो बजट आप के सामने पेश है इसमें से तकरीबन २ करोड़ ८२ लाख रुपया वह है जो मुख्तलिफ शक्लों में हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिला ह और जो या तो जब बजट पेश हो रहा था उस वक्त हमारे पास आया या उसके आने की बात हमको पहले से मालूम नहीं थी कि यह रुपया आने वाला है और इसी वजह से हम उसको उस बजट में शामिल नहीं कर सकते थे। बहरहाल, जब यह रकम आई तो सरकार को इसके लिये इन्तजाम करना पड़ेगा और मुख्तलिफ ग्रान्ट्स में रखना पड़ेगा। इस तरह से आप इस सप्लीमेंटरी बजट को देखें और यह २८२ लाख रुपया अगर निकाल दिया जाय तो मुश्किल से ४५ लाख रुपया ऐसा रह जाता है जिसके मुताल्लिक यह कहा जा सकता है कि सरकार को पहले ही इस खर्चे को रखना चाहिये था। बहरहाल, इस बजट में जो आइटम्स आये हैं, उनके ऊपर यह एतराज किया गया कि इनको यहां पर क्यों रखा गया और उनकी क्या जरूरत थी। मिसाल के तौर पर जिन आइटम्स की शिकायत की गई है उनके बारे में तजकिरा कर देना चाहता हूं। मसलन उधेर बांध का जिक्र किया गया। यह एक ऐसा बांध था जो पिछले फ्लड्स में खराब हो गया था। पहले इसकी मरम्मत मुकामी तौर से होती थी। जब इसमें ज्यादा खराबी पैदा हो गयी तो सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया और उसके लिये इस बजट में प्रावीजन किया गया क्योंकि बरसात स पहले हम उस की मरम्मत करना चाहते थे और फिर ऐसा भी नहीं होता कि कोई चीज एक दफा बन जाय तो फिर उसकी मरम्मत की जरूरत ही न पड़े। अगर बजट में आने से कोई आयटम जरूरी रह जाय तो ऐसा भी नहीं कि वह साल भर तक पड़ा रह और उस पर कोई कार्यवाही न हो, साल भर तक दूसरे बजट का इन्तजार ही किया जाता रहे। कोई जरूरी काम पड़ा न रहे इसी के लिये यह सप्लीमेंटरी बजट रखा गया है और उसी हिसाब से सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स आया करती हैं।

दूसरा ऐतराज इरिगेशन डिपार्टमेंट के कुछ आफीसर्स की ट्रेनिंग के बारे में किया गया। कहा गया कि पहले से उनका इन्तजाम क्यों नहीं किया गया। ये लोग टी० सी० एम० प्रोग्राम में भजे गये थ। पहले आफीसर्स का चुनाव भी नहीं हुआ था और यह भी मालूम नहीं था कि यह स्कीम इस साल मैच्योर होगी भी या नहीं। जब स्कीम आ गयी और मुकम्मिल हो गयी तब इसको बजट में रखा गया।

इसी तरह से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के लिये भी ऐतराज किया गया है कि यह क्यों इसमें रखा गया। यह ग्रान्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलती है। यह उस वक्त मिली

कि जब पुराने बजट में यह नहीं रखा जा सकता था, लिहाजा उसको सप्लीमेंटरी बजट के अन्दर रखना पड़ा। इस वक्त इसको लाने से किसी काम में हर्ज नहीं होगा क्योंकि अगर अब भी इसका आर्डर दिया जायगा तो कई महीने उनको आने में लग जायेंगे। इसलिये आज भी इन्तजाम कर दिया जायगा तो कोई हर्ज न होगा।

इसी तरह से और भी आइटम्स देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि वह अक्सर ऐसे हैं जिनको पहले नहीं लाया जा सकता था आपने देखा कि इसमें करीब २ करोड़ रुपये के गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिला। वह हमें पिछड़े हुए इलाकों के लिये मिला और इसको ग्रान्ट नम्बर ५, २३, २५, २९, ४६, ५१ और ५४ में शामिल किया गया है। ये सब पिछड़े हुये इलाकों की तरक्की के लिये रकमें रखी गयीं हैं। इस तरह से १८६.४४ लाख रुपया तो इन डिमान्ड्स में है और बकिया दूसरी डिमांड्स में है। इसके बाद यह एतराज हुआ कि यह बजट की खराबी है कि आप १०० रुपया रख देते हैं और पहले से मालूम होता है कि बजट में बहुत ज्यादा रुपया आपने रख लिया है इसलिये कह देते हैं कि बजट का और जो रुपया है उससे यह खर्च किया जा सकेगा। मुझे यह अर्ज करना है कि इसकी वजह यह होती है कि हमने किसी स्कीम के लिये कोई रुपया रखा, वह रुपया वहां मौजूद नहीं है, लेकिन वह स्कीम जैसे-जैसे बढ़ती है वैसे-वैसे उसमें खर्च होता जाता है। तो पहली सप्लीमेंटरी डिमांड जब आती है उस वक्त काफी रुपया बाकी रहता है, क्योंकि पहली अप्रैल से तो बजट का खर्चा शुरू हुआ और चन्द महीने हुए हैं, उनमें कुछ आर्डर्स दिये गये हैं, कुछ रुपया दिया गया है, इसलिये उसमें कुछ ज्यादा खर्च नहीं हुआ। तो चूंकि पहले सप्लीमेंटरी बजट के वक्त हमारे पास रुपया रहता है इसलिए हम १००–१०० रुपये बाज-बाज स्कीमों के लिये रख देते हैं कि रुपया हमारे पास हेड में मौजूद है, हम खर्च कर देंगे। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बाज वक्त यह भी होता है कि जब हम खर्च करते हैं तो जो रुपया हम खर्च करते, अगर आखीर में कम पड़ जायगा तो सेकेंड सप्लीमेंटरी डिमांड में किसी दूसरी शक्ल में आपके पास आयेगा। तो यह नहीं है कि लाजिमी रुपया बच जायगा, लेकिन किसी वजह से बच जाय, हमने कोई आर्डर दिया, जमीन के अक्वीजीशन के लिए कोशिश की, अक्वीजीशन नहीं हुआ, रुपया उसके लिये रख दिया था, उस पर कुछ एतराजात हुए, रुपया देना नहीं पड़ा, उस रुपये को हम दूसरे काम में लगाते हैं और बाद को जब रुपये की जरूरत होती है तो मांग लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये एतराजात कोई महत्व नहीं रखते और न ज्यादा अहम हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—कोआपरेटिव के लिये ३० लाख की जमीन जो रखी गयी है वह अनफोरसीन आइटम कैसे हुआ?

श्री सैयद अली जहीर—वह अनफोरसीन नहीं है तो क्या है? जितनी-जितनी डेवलपमेंट की स्कीम है वह इस साल शुरू हुई है।

श्री प्रतापसिंह—कोआपरेटिव बैंक तो पहले से है, उसकी अजेंसी क्या है?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो आप जानते हैं कि कोआपरेटिव की स्कीम रफ्ता-रफ्ता बढ़ रही है, फौरन् तो नहीं बढ़ी है। फर्टिलाइजर्स के लिये कितने रुपये की जरूरत होगी, क्या होगा, जब हमने उस स्कीम को उठाने की सोची तो जरूरत हुई कि हम इसमें ज्यादा इनवेस्टमेंट करें और गवर्नमेंट आफ इंडिया और रिजर्व बैंक से ज्यादा रुपया मिल सके तो ३० लाख रुपया इसमें रखा। यह नहीं कहा जा सकता कि पहले से बजट में रखना जरूरी था और इस वजह से रख देते कि यह हम जानते थे कि यह काम आगे बढ़ेगा लिहाजा इस वक्त नहीं रखना चाहिए था।

जहां तक कि और आइटम्स का ताल्लुक है, जैसा मैंने पहले कहा, १०० रुपये वाले आइटम्स की कोई अहमियत नहीं रह जाती। उसके बाद कुछ एतराजात इस किस्म के हुए कि प्रेस की ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में अलग क्या जरूरत है, फारेस्ट डिपार्टमेंट में क्या जरूरत है। इसके लिये मुझे यह अर्ज करना है कि जहां तक एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट का ताल्लुक है,

[श्री सैयद अली जहीर]

उनके पास पहले से प्रेस मौजूद था, इसलिए कि उनको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी का काम करना पड़ता है और बहुत सी ऐसी इत्तिलाआत जिनकी काश्तकारों को जरूरत होती है वह उन्हें मुहैया करनी होती हैं। चुनांचे उसी सिलसिले में उन्होंने ऐग्रिकल्चरल ऐटलस बनाने की कोशिश की थी। १९५३ में वह स्कीम बनी थी, लेकिन बाद को खयाल हुआ कि यह स्कीम बजाय इसके कि खुद चलावें अगर और कहीं से छपवा सकें तो ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन जिस किस्म की ऐटलस हम चाहते थे वह और कहीं नहीं बन सकी और काम इतना बढ़ गया ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट का कि वहां प्रेस की जरूरत हुई, लिहाजा एक प्रेस हमने खरीदा और उसकी वजह से खाली ऐटलस नहीं छापी गयी बल्कि और काम जो ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट का है वह भी उसमें हो सकेगा। हमारा जो गवर्नमेंट प्रेस है उसमें बावजूद इसके कि हम उसको बराबर बढ़ा रहे हैं लेकिन काम इतना बढ़ रहा है कि कोई काम किसी डिपार्टमेंट का वह वक्त से नहीं कर पाता और देर हो जाती है। इसलिये जरूरत पड़ती है कि अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में, जहां-जहां जरूरत हो, वहां पर इस किस्म के प्रेसेज अलग बन सकें ताकि वह काम को चला सकें।

इसके अलावा कुछ आडिट रिपोर्ट का हवाला दिया गया और यह कहा गया कि बाज-बाज आडिट रिपोर्ट्स में जो एतराजात किये गये हैं वे ऐसे हैं जिनसे मालूम होता है कि रुपये का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ। यह सही है कि जो सन् ५८ की आडिट रिपोर्ट आप के सामने आई है उसमें कुछ बातें कही गयी हैं और उनको आपने देखा होगा और राजनारायण जी ने भी आप के सामने पेश किया। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक आडिट रिपोर्ट्स का ताल्लुक है, अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आडिट रिपोर्ट में जो एतराजात किये जाते हैं वह इसलिये होते हैं कि जिसकी वजह से जो कमियां या और जो बातें ऐसी हों जिनका पूरा लिहाज पहले न किया गया हो वह बातें उसमें शामिल कर ली जायं। आप देखेंगे कि उसमें दो चेप्टर हैं, एक चेप्टर की हैडिंग है "फाइनेंशियल इर्रेगुलैरिटीज, लासेज एक्सेटरा" और जो दूसरा चेप्टर है उस की हेडिंग है "अदर टापिक्स आफ इन्टरेस्ट"। तो दो हिस्सों में यह तवसीम है। जो यहां पर पढ़ा गया वह दूसरा हिस्सा था लिहाजा यह इर्रेगुलैरिटीज नहीं थीं। यह चीजें ऐसी हैं जो अभी तक उनके सामने पहुंच नहीं पायीं हैं और डिपार्टमेंट में बाक़ी हैं और वह एग्जामिन हो रही हैं और इसी लिये उन्होंने उसका हवाला अपने यहां दे दिया। लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि वह खर्चा नाजायज हुआ या प्रापर तरीके से नहीं हुआ। यह भी खर्चे तो हुये हैं और डिपार्टमेंट उनका जिम्मेदार है और इन चीजों की रिसीटें हैं लेकिन अभी तक चूंकि जेरेगौर हैं और आडिट में नहीं पहुंच सकी हैं इसलिये आडिट ने अपने चेप्टर में उनका हवाला दे दिया है। पैरा २१ जो कि यहां पढ़कर सुनाया गया उसमें इनका जिक्र कर दिया गया है.....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब माननीय सदस्य ने आडिट रिपोर्ट का जिक्र किया था उस समय मंत्री जी ने उसको सुना था और क्या वह उसी साल की आडिट रिपोर्ट को रेफर कर रहे हैं या किसी दूसरे साल की। और क्या जिस साल की आडिट रिपोर्ट यहां पर पेश न हो उस पर भी बहस हो सकती है?

श्री सैयद अली जहीर—हो तो सब कुछ सकता है। अगर आप सोच लें लखनऊ में बैठकर कि हम कलकत्ते में हैं तो वह भी हो सकता है। लेकिन जो वाकयात हैं वह मैं पेश कर रहा हूं। तो जो यहां पर पढ़ कर सुनाया गया वह सन् ५८ की आडिट रिपोर्ट का पैरा २१ है। इस सिलसिले में मैं अर्ज कर रहा था कि जहां तक इस आडिट रिपोर्ट का ताल्लुक है जैसा मैंने कहा कि जो चैप्टर दो है "अदर टापिक्स आफ इन्टरेस्ट" उसमें इसका जिक्र है। इस सिलसिले में मुझे यही कहना था कि थोड़ी देर के लिये हमें गौर करना है कि किस तरह से हमारा काम चल रहा है। आडिट आब्जेक्शंस तो हमेशा से होते थे, यह एतराज अब बढ़ गये हैं, इस

से भी इन्कार नहीं है और उसकी वजह यह है कि जैसे २ हमारा प्लानिंग का काम बढ़ेगा, इस किस्म की इर्रेगुलैरिटीज और कमियों का होना लाजमी और जरूरी है। इसकी वजह यह है कि अगर हम इसका इन्तजाम करें कि हर चीज का कम्प्लीट एस्टीमेट बन जाय, रसीद पहले से बन जाय, हर चीज का इन्तजाम हो जाय तो जो मुद्दत रहती है प्लान के खत्म होने की उसमें वह खत्म नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि हमारे यहां इन चीजों को देखने के लिये एक पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी बनी हुई है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में, जिसके झारखण्डे राय जी चैयरमैन हैं, ये आडिट के एतराजात पेश होते हैं और उनका जवाब दिया जाता है। यह एतराज सन् ५८ की रिपोर्ट पर किया गया जिस पर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में गौर नहीं हुआ है और अगर हो गया है तो उसकी रिपोर्ट नहीं छपी है। लेकिन सन् ५७ की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट अपनी जगह पर है। सन् ५७ की आडिट रिपोर्ट के प्वाइंट्स पर गौर किया जा चुका है। इसी तरह ५८ की रिपोर्ट पर भी गौर किया जायगा। अगर एतराजात महज नुक्ता-चीनी की वजह से हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर आप वाक़यात समझना चाहते हैं तो हर चीज का जवाब डिपार्टमेंट से मिल सकेगा और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में हम देते हैं। अगर महज प्रोपेगेंडा के लिये एतराजात किये जावेंगे तो जाहिर है कि न मैं आपको कभी इत्मीनान दिला सकता हूं और न आपको कभी हो सकता है।

श्री गेंदासिंह—पोटेंशियलिटी के बारे में बतलाइये।

श्री सैयद अली जहीर—पहले ही दिन से, जबकि कोई योजना बनती है, हन्ड्रेड परसेंट पोटेंशियलिटी नहीं हो जाती। राजनारायण जी ने तीन डैम्स का हवाला दिया कि उनकी पोटेंशियलिटी पूरी नहीं हुई है। मैं उनके फीगर्स पेश करना चाहता हूं। नौगढ़ डैम की पोटेंशियलिटी ८६,००० एकड़ की है और एक्चुअली इससे ५८,३२२ एकड़ इस साल सिंचाई हुई है। चन्द्रप्रभा डैम से, जिसकी पोटेंशियलिटी ३५,००० एकड़ है, पूरी सिंचाई हो गई है। सारदा सागर नं० १ के डैम की पोटेंशियलिटी है १,६७,४०० एकड़ जिसमें से १,१५,००० एकड़ सिंचाई इस साल हो जायगी। जैसे जैसे लोगों की जरूरत होगी हम उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जिस साल बरसात कम होगी उस साल ज्यादा मांग होगी। चुनांचे इस साल काफी मांग हुई और उसे हम बहुत बड़ी हद तक पूरा करने की कोशिश करने जा रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—२९,००,००० एकड़ को पानी कम मिला। मैं आपके पास गोविन्द सहाय जी की इवैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट भेज रहा हूं।

श्री सैयद अली जहीर—वह १ साल पुरानी है। हम बराबर पोटेंशियलिटी को बढ़ा रहे हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि यह हमेशा यक्सां रहेगी। यह घटती-बढ़ती रहेगी।

मुझे ताज्जुब हुआ कि माननीय रावत जी ने जंगल के बारे में यह कहा कि उनकी कुछ जंगलात की शिकायतों का मैंने जवाब नहीं दिया। चूंकि कल उन्होंने शिकायत की थी तो मैंने इसके लिये पूछा था और जहां तक मुझे याद है, उनको पूरा जवाब दिया गया था। मैंने फाइल भी देखी है। उन्होंने कहा कि फलां जगह नया प्लान्टेशन हो रहा है, इसलिये लोगों के वहां पहुंचने के रास्ते बन्द हो गये। लेकिन वहां कहीं प्लान्टेशन हो ही नहीं रहा है। ३ मार्च को उनको पूरा जवाब भेज दिया गया था। बाक़ी आम शिकायतों के लिये उनको लिखा गया कि अगर वह तफसील देंगे तो तहक़ीक़ात की जायगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा और न हमारे यहां से ही कुछ लिखा गया।

इसी तरह से और भी आम किस्म की शिकायतों में से मैं बाज-बाज का जवाब देना चाहता हूं। दोहरीघाट कैनाल के बारे में श्री रघुवीर राम जी ने शिकायत की थी कि इसमें कुछ खराबी थी जिस पर २१ हजार रुपया खर्च किया गया और उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो

[श्री सैयद अलीजहीर]

रहा है। यह ठीक नहीं है। इस साल के शुरू में इसमें ४ पम्प लगा दिये गये हैं और ५,००,००० एकड़ की सिंचाई अब तक हो चुकी है। उसके बाद कुछ और हुई होगी। इस स्कीम में किसी किस्म की खराबी इस वक्त तक नहीं है।

सादुल्लानगर के लिये कहा गया कि वहां सिंचाई की कोई योजना नहीं है। सरजू कैनाल प्रोजेक्ट का थर्ड प्लान में इंतजाम किया जा रहा है। यह या जलकुंडी योजना जब पूरी हो जायगी तो सिंचाई हो सकेगी।

एक माननीय सदस्य ने यह एतराज किया था कि लखनऊ में जो यह थोड़ा सा रुपया प्रोवाइड किया गया है मकान बनाने के लिये यह उचित नहीं है। शायद उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं है। उनको मालूम होगा कि ४ लाख के क़रीब जो रुपया लगा हुआ है, करीबन २,०७० रुपये महीने की आमदनी उससे की गई है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को यह क़र्जा दिया गया है जिससे मकानों की मुसीबत किसी हद तक पूरी हो जाय। ताराचन्द्र माहेश्वरी जी ने कहा कि लखनऊ डिवीजन के बजाय लखनऊ डिस्ट्रिक्ट लिख दिया गया है। मेरे खयाल में हिन्दी में और अंग्रेजी में कुछ फ़र्क़ हो गया है। अंग्रेजी में उन्हें सही मानना चाहिये।

बहरहाल, इस क़िस्म की और भी छोटी-छोटी शिकायतें की गई हैं। मैं उनकी तफ़सील में नहीं जाना चाहता हूं। इस सप्लीमेंटरी बजट में कोई बात नामुनासिब नहीं है। जैसी हमेशा इस तरह की मांगें आती हैं वैसी ये हैं और जहां इतना बड़ा यानी १२१ करोड़ रुपये का बजट होगा वहां कुछ कमी हो ही सकती है और सप्लीमेंटरी का लाना लाजमी हो जाता है।

इन शब्दों के साथ, मैं गुजारिश करूंगा कि यह बजट मंजूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब एक-एक माननीय मंत्री अपने-अपने विभाग के अनुदान पेश करेंगे और उन पर राय ली जायगी।

१९५९–६० के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—वन—लेखा शीर्षक १०—वन के अन्तर्गत २,५०,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मेरा वैधानिक प्रश्न है कि पूरक अनुदान के लिये राज्यपाल ने कितना समय निर्धारित किया है और किस समय के अन्दर पेश करने के लिये कहा है।

श्री उपाध्यक्ष—२ दिन माननीय अध्यक्ष ने नियत किये थे। उसके बीच में चेयर को अधिकार है कि जिस तरह से ये पारित हो जावें वैसे रेग्यूलेट कर सके।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह राज्यपाल तय करते हैं। अब रह जाता है कि अगर एक दिन हो जायगा तो उस पर बहस कैसे होगी। यह अध्यक्ष या आप करते हैं। इसके लिये कितना समय, कौन-सी तिथि या दिन राज्यपाल ने दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—२५ अगस्त को यह बजट प्रेजेंट हो गया था। २ दिन, नेता सदन की राय से, तय हुए थे। ३ बजे तक यह होगा। अगर ३ बजे तक नहीं हो सका तो अध्यक्ष और भी व्यवस्था कर सकते हैं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन—लेखा शीर्षक १०—वन के अन्तर्गत २,५०,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६—लेखा शीर्षक ११—निबन्धन

श्री बलदेवसिंह आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल, गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—निबन्धन—लेखा शीर्षक: ११—निबन्धन के अन्तर्गत ९,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—निबन्धन लेखा शीर्षक: ११—निबन्धन के अन्तर्गत ९,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९—खंड राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

श्री बलदेवसिंह आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल, गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) लेखा शीर्षक: १७,१८,और १९-ख के अन्तर्गत ४५,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) लेखा शीर्षक: १७,१८ और १९-ख के अन्तर्गत ४५,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इस पर विभाजन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब तो मैंने निर्णय दे दिया।

श्री राजनारायण—मैं तो खड़ा हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने निर्णय दे दिया, उसके बाद आपने मेरा ध्यान उस तरफ दिलाया। हो सकता है कि आप खड़े हुए हों और मेरा ध्यान उधर न गया हो, लेकिन अब तो मैंने निर्णय दे दिया है।

अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई स्थापना पर व्यय

श्री बलदेवसिंह आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल, गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—सिंचाई स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक: १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—सिंचाई स्थापना पर व्यय-लेखा शीर्षक: १७,१८, १९ और ६८ के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक: १८—अभियंत्रण संस्थायें

श्री बलदेवसिंह आर्य—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२ अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें लेखा शीर्षक: १८ के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें—लेखा शीर्षक: १८ के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री राजबिहारी सिंह)—माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१३—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक: २८—जेल

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—जेल—लेखा शीर्षक: २८ जेल के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—जेल—लेखा शीर्षक: २८—जेल के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक: २९—पुलिस

शिक्षा उप-मंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—पुलिस—लेखा शीर्षक: २९—पुलिस के अन्तर्गत ८,२०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—पुलिस—लेखा शीर्षक: २९—पुलिस के अन्तर्गत ८,२०,००० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक: ३७--शिक्षा

श्री दीनदयालु शास्त्री--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २० शिक्षा--लेखा शीर्षक: ३७--शिक्षा के अन्तर्गत १४,००,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--शिक्षा--लेखा शीर्षक: ३७--शिक्षा के अन्तर्गत १४,००,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक: ३८--चिकित्सा

श्री बलदेवसिंह आर्य--माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--चिकित्सा--लेखा शीर्षक: ३८--चिकित्सा के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--चिकित्सा--लेखा शीर्षक: ३८--चिकित्सा के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक: ३९--जन-स्वास्थ्य

श्री बलदेवसिंह आर्य--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२--जन-स्वास्थ्य--लेखा शीर्षक: ३९--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--जन-स्वास्थ्य--लेखा शीर्षक: ३९--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३--लेखा शीर्षक: ४०--कृषि संबंधी विकास, अभियन्त्रण और गवेषणा

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३--कृषि सम्बन्धी विकास, अभियन्त्रण और गवेषणा लेखा शीर्षक: ४०--कृषि के अन्तर्गत ८,८३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३--कृषि सम्बन्धी विकास, अभियन्त्रण और गवेषणा--लेखा शीर्षक: ४०--कृषि के अन्तर्गत ८,८३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न है। तीन बज गये हैं। म जानना चाहता हूं कि क्या आप समय बढ़ा रहे हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सदन ने जितना समय रखा है उसके लिये, सदन उस समय के अन्दर इसे पास नहीं कर सका है।

श्री राजबिहारीसिंह---श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था कि तीन बजे तक इसके ऊपर जनरल डिस्कशन होगा, उसके बाद ग्रान्ट्स पास कर दी जाएंगी। तो अभी तो तीन बजा है। अभी जनरल डिस्कशन का ही वक्त है। इसके बाद १० मिनट में ग्रान्ट्स पास हो जाएंगी।

श्री राजनारायण---इसका मतलब है कि उपाध्यक्ष महोदय पर आरोप कर रहे हैं कि आपने सामान्य विवाद नहीं होने दिया है। मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय के ऊपर इस तरह का आक्षेप नहीं करना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष---जो कार्यवाही चल रही है, नियमानुसार मुझे अधिकार है, इसलिये मैं इस कार्यवाही को जारी रखता हूं।

अनुदान संख्या २५---लेखा शीर्षक: ४१---पशुपालन

श्री कालीचरण अग्रवाल---मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५---पशुपालन---लेखा शीर्षक: ४१---पशुपालन के अन्तर्गत १,९७,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५---पशुपालन---लेखा शीर्षक: ४१---पशुपालन के अन्तर्गत १,९७,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९---लेखा शीर्षक: ४३---उद्योग

श्रम उपमन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९---उद्योग---लेखा शीर्षक ४३---उद्योग के अन्तर्गत १३,०१,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९---उद्योग---लेखा शीर्षक: ४३---उद्योग के अन्तर्गत १३,०१,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०---लेखा शीर्षक: ४७---श्रम

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०---श्रम---लेखा शीर्षक:४७ प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०---श्रम---लेखा शीर्षक: ४७---प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३--लेखा शीर्षक: ५०--सार्वजनिक निर्माण- कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

श्री बलदेवसिंह आर्य--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक: ५० नागरिक निर्माण कार्य--निर्माण-कार्यों पर लागत के अन्तर्गत १, ६४,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक: ५० नागरिक निर्माण-कार्य--निर्माण-कार्यों पर लागत के अन्तर्गत १,६४,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक: ५०--नागरिक निर्माण-कार्य

श्री बलदेवसिंह आर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४--यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ४,१४,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त-पोषित) लेखा शीर्षक: ५०--नागरिक निर्माण कार्य-केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ४,१४,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक: ५६--लेखन सामग्री और छपाई

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०--लेखन सामग्री और छपाई--लेखा शीर्षक: ५६--लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, राजकीय मुद्रणालय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०--लेखन सामग्री और छपाई--लेखा शीर्षक: ५६ लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, राजकीय मुद्रणालय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक: ५७--प्रकीर्ण

श्री बलदेवसिंह आर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१-प्रकीर्ण व्यय-लेखा शीर्षक: ५७-प्रकीर्ण के अन्तर्गत १८,९८,५०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१---प्रकीर्ण व्यय-लेखा शीर्षक ५७---प्रकीर्ण के अन्तर्गत १८,९८,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४५---लेखा शीर्षक: ६३- क- युद्धोत्तर योजना और विकास संबधी व्यय और ६३-ख-सामुदायिक विकास योजनाएं

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)-उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१-योजना और एकीकरण-लेखा शीर्षक: ६३-क-युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३-ख-सामुदायिक विकास योजनाएं राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ७१,२५,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५---योजना और एकीकरण---लेखा शीर्षक ६३-क-युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३-ख-सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ७१,२५,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४६---लेखा शीर्षक: ६८---सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

श्री बलदेवसिंह आर्य---उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६---राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) लेखा शीर्षक:६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान ४६-राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई, निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) लेखा शीर्षक ६८-सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८-लेखा शीर्षक: ७२---औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

श्री कालीचरण अग्रवाल---मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८-औद्योगिक विकास---लेखा शीर्षक: ७२---औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ३०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या : ४८---औद्योगिक विकास---लेखा शीर्षक: ७२---औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ३०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

श्री बलदेवसिंह आर्य——मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९——राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत——लेखा शीर्षक ८१——राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ३७,४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९——राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत——लेखा शीर्षक ८१——राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ३७,४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१——लेखा शीर्षक ७०——जन-स्वास्थ्य संबंधी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२——राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)——मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१——कृषि अभियंत्रण, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वास की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत—लेखा शीर्षक: ७०—जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२——राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ५,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१——कृषि अभियंत्रण, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वास योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत——लेखा शीर्षक: ७०—जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२——राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेख के अन्तर्गत ५,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५३——लेखा शीर्षक ८५-क——राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)——मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३——राज्य व्यापार की योजनाओं——लेखा शीर्षक: ८५—क—राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३——राज्य व्यापार योजनायें——लेखा शीर्षक ८५-क——राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४—लेखा शीर्षक—त—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र ऋण

श्री बलदेवसिंह आर्य—मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या:५४—व्याज वाले ऋण और अग्रऋण—लेखा शीर्षक—त—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र ऋण के अन्तर्गत १,०८,७०,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९—६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४—व्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण—लेखा शीर्षक—त—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र ऋण के अन्तर्गत १,०८, ७०,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५९—६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९—६० का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५९

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९—६० का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५९ को [The U. P. Appropriation (First supplementary 1959-60) Bill, 1959] पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९—६० का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष (वित्त मंत्री से)—पहले बिल बंट जाने दीजिये फिर प्रस्ताव कीजियेगा ।

(कुछ देर पश्चात)

श्री टीकाराम पुजारी को सदन त्यागने का आदेश

श्री उपाध्यक्ष—माननीय टीकाराम पुजारी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सम्भवतः माननीय अध्यक्ष ने आपको दिन भर के लिये सदन छोड़ने के लिये कह दिया था । तो ऐसी सूरत में आपका यहां रहना ठीक नहीं है । कृपया आप सदन के बाहर चले जायं ।

श्री बलदेवसिंह आर्य (जिला गोंडा)—दिन भर के लिये नहीं कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष—जब कहा जाय कि बाहर चले जाइये तो उसका मतलब यही होता है कि उस दिन जो भी समय बाकी हो उस सारे समय के लिये होता है । पुजारी जी कृपया बाहर जायं ।

(श्री टीकाराम पुजारी सदन के बाहर चले गये ।)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अगर यह अवधि भी प्रस्ताव के जरिये घटाई जा सकती है तो मैं प्रस्ताव करूंगा कि जब माननीय टीका राम जी सदन में आ गये तो अब जितना समय बाकी है उसमें उन्हें सदन में बैठने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि माननीय टीकाराम जी सदन के बाहर चले गये .....

श्री राजनारायण—वह तो आपके कहने से चले गये। उनको बुला लिया जायगा। यह तो मेरा निश्चित प्रस्ताव है, वह गिर जाय तो बात दूसरी है।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रस्ताव जरूरी नहीं है क्योंकि दिन भर के लिये माननीय सदस्य निलंबित हो जाते हैं।

श्री राजनारायण—क्या इस अवधि को प्रस्ताव द्वारा घटाया नहीं जा सकता ?

श्री उपाध्यक्ष—घटाया तो जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं .....

श्री राजनारायण—मैं समझता हूं कि उनका एक विशेष स्थान हो गया है और उस स्थान को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रियलाइज करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो ठीक है, लेकिन आज तो वे चले गये, आइन्दा देखा जायगा।

श्री राजनारायण—या तो आप यह व्यवस्था दे दें कि इस अवधि को कम करने का प्रस्ताव नहीं आ सकता .....

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन .....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष—कोई भी प्रस्ताव सदन में नहीं रखा जा सकता है जब तक कि अध्यक्ष अनुज्ञा न दे दें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं नियम के अन्दर प्रस्ताव रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं।

श्री राजनारायण—मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के अन्दर आप आज्ञा नहीं दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—पहले आप नियम ढूंढ लें जिसके अन्दर आप प्रस्ताव रखना चाहते हैं। आप सोच लें और सदन की कार्यवाही होने दें।

श्री बलदेवसिंह—श्रीमन्, क्या पुजारी जी वापस नहीं आयेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—अभी विचार हो रहा है।

श्री बलदेवसिंह—हम भी चले जा रहे हैं साहब।

(इसके पश्चात् श्री बलदेवसिंह ने सदन का परित्याग कर दिया।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० का प्रथम पूरक) विधेयक

१९५९ (क्रमागत)

वित्त मंत्री (श्री सैयद अलीजहीर)––अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री राजनारायण––उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उनको पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा न दी जाय । श्रीमन्, जब वह बोल रहे थे तो. . .

श्री उपाध्यक्ष––यह तो विधेयक के वितरण के लिये समय दिया गया था हालांकि वह पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा पहले ही मांग चुके थे । उस समय आप सावधान नहीं थे ।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, मैं माने लेता हूं कि आपने आज्ञा दे दी ।

श्री उपाध्यक्ष––मैंने नहीं दी । पहले आप बैठ जायं । उस समय आप और काम में लगे हुए थे । सदन के सामने प्रश्न उपस्थित करने पर सदन ने आज्ञा दे दी । उसी के बाद तो मैंने बिल बंटवाया ।

श्री राजनारायण––आपने आज्ञा दे दी तो बात दूसरी है ।

श्री उपाध्यक्ष––मैंने नहीं, बल्कि सदन ने आज्ञा दे दी ।

श्री सैयद अली जहीर––उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५९ [The U. P. Appropriation (First Supplementary 1959-60) Bill, 1959] पर विचार किया जाय । मैं इसके सिलसिले में कुछ अर्ज करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि रकम आप मंजूर कर चुके हैं और उनको ही बिल की शकल में पेश किया गया है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल का विरोध करता हूं और उसका कारण यह है कि अभी मंत्री जी ने कहा था कि पिछड़े इलाकों के लिये एक योजना बनाई गई है । केन्द्रीय सरकार से दो करोड़ रुपया मंजूर हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें से करीब १४ लाख रुपया लैप्स हो जाने दिया. . . .

श्री उपाध्यक्ष––आप विचार करने के खिलाफ क्यों है ? इस समय तो आप यह कहें कि या तो इसको पोस्टपोन कर दिया जाय या इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय । तृतीय वाचन पर आम विवाद किया जाय ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५९ [The U. P. Appropriation (First Supplementary 1959-60) Bill, 1959] पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २—३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५९-६० के लिये ३,२६,८३,३०० रु० का दिया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९६० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में से देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका योग ३,२६,८३,३०० (केवल तीन करोड़ छब्बीस लाख तिरासी हजार तीन सौ) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९ ० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोतकर की उगाही पर व्यय	..	५००	५००
४	स्टाम्प	..	१००	१००
५	वन	२,५०,२००	..	२,५०,२००
६	निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) ..	९,७००	..	९,७००
१०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) ..	४५,२००	..	४५,२००
११	सिंचाई स्थापना पर व्यय ..	१००	..	१००
१२	अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाएं	१००	..	१००
१३	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	१००	..	१००
१४	आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन का व्यय ..	..	१००	१००
१७	जेल	१००	..	१००
१८	पुलिस	८,२०,०००	..	८,२०,०००

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
२०	शिक्षा	१४,००,३००	..	१४,००,३००
२१	चिकित्सा	९००	..	९००
२२	जन-स्वास्थ्य	४००	..	४००
२३	कृषि सम्बन्धी विकास अभियंत्रण और गवेषणा ..	८,८३,०००	..	८,८३,०००
२४	उपनिवेशन	..	९,०००	९,०००
२५	पशु-पालन	१,९७,६००	..	१,९७,६००
२९	उद्योग	१३,०१,४००	..	१३,०१,४००
३०	श्रम	१००	९००	१,०००
३३	निर्माण-कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	१,६४,१००	..	१,६४,१००
३४	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त-पोषित) ..	४,१४,३००	..	४,१४,३००
३७	दुर्भिक्ष सहायता ..	..	२००	२००
४०	लेखन सामग्री और छपाई ..	१००	..	१००
४१	प्रकीर्ण व्यय	१८,९८,५००	..	१८,९८,५००
४५	योजना और एकीकरण ..	७१,२५,२००	..	७१,२५,२००
४६	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्य का सम्पादन ..	४००	..	४००
४८	औद्योगिक विकास ..	३०,००,०००	..	३०,००,०००
४९	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक-निर्माण कार्यों पर लागत ..	३७,४२,०००	३२,४००	३७,७४,४००
५१	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, आदि पर पूंजी की लागत	५,००,०००	१५,७००	५,१५,७००
५३	राज्य व्यापार की योजनाएं ..	१००	..	१००
५४	व्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण	१,०८,७०,५००	..	१,०८,७०,५००
	योग ..	३,२६,२४,४००	५८,९००	३,२६,८३,३००

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ तथा अनुसूची विधेयक के अंग माने जायं।

(श्री रामस्वरूप वर्मा बोलने के लिये खड़े हुए।)

श्री उपाध्यक्ष--आपको बाद में मौका मिलेगा। अभी तो खंडों को स्वीकार करने का प्रश्न है। क्या आप खंडों का विरोध करना चाहते हैं?

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--सदन अगर हमारे तर्क सुना लेगा तो पारित करने की नौबत ही नहीं आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष--तो आप खंडों का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि कोई संशोधन तो है नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, सवा तीन करोड़ रुपया को खर्च करने की स्वीकृति दी जाय इस सम्बन्ध में यह विधेयक आया हुआ है। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक आपके द्वारा आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि सरकार को खर्च करने की अनुज्ञा हम इसलिये नहीं दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सदन इसको स्वीकृति नहीं देगा, क्योंकि सरकार के तमाम खर्चे बहुत वाहियात तरीके से हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप वर्मा--खंड दो का विरोध कर रहा हूं। इसमें यह है कि ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९६० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का योग ३,२६,८३,३००, रुपये होता है, अधिक न हो।

मैं कह रहा हूं कि यह रुपया न खर्च करने दिया जाय। हमारा तर्क यह है कि सरकार के तमाम विभागों में इस प्रकार के अनेकों उदाहरण प्राप्त हैं जिनमें कि कहीं अधिक पेमेंट कर दिया गया है और कहीं जहां खर्चा होना आवश्यक था वहां कम खर्च किया गया है। मैं एक उदाहरण दूं। कानपुर में एक नानकचन्द शादीराम नामक फर्म है। उसको सरकार ने १९५५ में इम्पोर्टेड प्लेट्स आदि मंगाने के लिये ठेका दिया। उसका ठेका स्वीकृत हो गया कि ७०० प्रति टन के हिसाब से इम्पोर्टेड प्लेट्स दे और अगर कोई मतभेद हो तो आयरन ऐंड स्टील कंट्रोलर कलकत्ता को रेफर किया जाय। उनका जो फैसला होगा वह दोनों को मान्य होगा। साल भर माल सप्लाई हुआ। उसके बाद उस फर्म ने कहा कि ७०० रुपये में परता नहीं पड़ता है, इसलिये ९८० रुपये के हिसाब से दाम दिये जायं तब हम सप्लाई करेंगे। सरकार ने सब नियम कानून तोड़ करके ९८० रुपया प्रति टन स्वीकार कर लिया। उसने सप्लाई करना जारी रखा। जब दूसरा साल आया तब चीफ इंजीनियर आदि ने सलाह की होगी कि इसमें बहुत कम आमदनी हो रही है। अतः यह मांग ठेकेदार ने की कि १,१२० रुपये के हिसाब से पेमेंट किया जाय। तत्कालीन सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर ने उस पर एतराज किया कि यह नहीं हो सकता। कोई कानून नहीं है। तो वह मामला आयरन ऐंड स्टील कंट्रोलर के पास गया। उन्होंने कहा कि जब आप पेमेंट ९८० रुपये के हिसाब से कर चुके हैं ७०० के बजाय तो अब आपको हमसे पूछने का क्या अधिकार रह गया है कि इस तरह से बात करें, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फार्मूला तय कर दिया कि जो डाक चार्जेज हों, जो ओरिजिनल वाउचर हों उस पर एक मुनाफा जो बंधा हुआ है, गवर्नमेंट के हिसाब से, वह दे दिया जाय। श्रीमन्, न उनसे ओरिजिनल वाउचर्स लिये गये, न डाक चार्जेज लिये गये और १,१२० रुपये के हिसाब से पेमेंट कर दिया गया। ४२० वैसे ही बदनाम संख्या है और इस डिपार्टमेंट ने ४२० के हिसाब से अधिक पेमेंट उनको कर दिया। इस तरह से सरकार को करीब डेढ़ लाख रुपये की हानि हुई। मैंने उस केस को माननीय मुख्य मंत्री को लिखा, माननीय सिंचाई मन्त्री को लिखा

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

और कई बार लिखने के बाद तो उसकी जांच हुई। उसमें वह बात सही पायी गई और सही पाये जाने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके स्थान पर हुआ यह कि उनको शील्ड करने के लिये और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये यह सरकार की तरफ से मामला रिफर कर दिया गया लीगल रिमेम्बरेन्सर को कि उनसे यह पूछा जाय कि चीफ इंजीनियर को अधिकार है या नहीं, इस प्रकार एक्सेस पेमेंट करने का जबकि कांट्रेक्ट साफ है। दुनिया का कोई भी आदमी इस बात को कहेगा कि ऐसी शर्तों के ऊपर कोई इस तरह का अधिक पेमेंट का काम नहीं हो सकता। इसके बावजूद यह पूछने की जरूरत क्यों हो गई सिवाय इसके कि उन आफिसर्स को शील्ड किया जाय। तो ऐसी जगह जहां कि इतने बड़े-बड़े गोलमाल हों वहां गोलमाल करवाने वाली सरकार को एक पैसा भी मंजूर नहीं होना चाहिये, क्योंकि खर्च करने का अधिकार तो हम उनके हाथ में दें जहां कि उसके सही ढंग से खर्च होने की उम्मीद हो। किसान और मजदूरों के रक्त के रूप में यह पैसा आ रहा है, कितनी मुसीबत का पैसा उनका आप मांगते चले जा रहे हैं, टैक्स के बोझ से आज गरीब आदमी प्रदेश में कराह रहा है, फिर भी अगर सही तरीके से खर्च हो तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं इन सारी परेशानियों को और मुसीबतों को, लेकिन इस तरह से लाखों रुपया बरबाद कर दिया जाय और डेढ़ डेढ़ लाख का अधिक पेमेंट कर दिया जाय, और इतना सब होते हुए भी जब कि किसी इंजीनियर ने यह नहीं लिखा है कि किस नियम के हिसाब के वह कैसे अधिक पेमेंट कर रहे हैं, तब भी उन पर कोई कार्यवाही न की जाय और उनको शील्ड करने की कोशिश की जाय और फिर हमसे रुपया मांगा जाय तो हम एक भी पैसा देने के पक्ष में नहीं हैं।

इसी तरह के दूसरे तमाम केसेज हैं जिनके कारण गवर्नमेंट के तमाम विभागों में भ्रष्टाचार फैल गया है। न कहीं खर्चे का कोई हिसाब है न गबन पर कोई कार्यवाही है। जो खर्चा आज सदन मंजूर कर देगा उसकी भी कोई गारन्टी नहीं है कि उसका सही इस्तेमाल होगा। जब इस तरह कि घटनाएं बतायी जाती हैं तो उनकी सुनवाई करना तो दूर रहा सरकार उनका एक डिफेंस लेने लगती है और उसकी लीपापोती करना शुरू कर देती है।

साल भर पहले मैंने एक मसला उठाया था कि, कानपुर में ६ इंची पाइपों का कुछ गबन हो गया था और उसमें दुर्भाग्य से या सौभाग्य ही से हां, प्रधान मंत्री के दामाद के बड़े भाई थे, इतना हमने कह दिया था हाउस में। इसीलिये कह दिया था ताकि सदन भी ठंडे दिल से उस पर विचार करे और यहां गवर्नमेंट भी सतर्क रहे कि जब ऐसा सम्बन्ध है तो हम जरा सतर्कतापूर्वक काम करें, लेकिन उसमें बराबर सरकार की ओर से इस सदन से कहा गया कि साहब उसमें कोई गबन नहीं है। जब मैं मौके पर गया और कागजात मैंने देखे और सिंचाई मंत्री को लिखा तो सिंचाई मंत्री ने जांच बिठाई और उसमें लगभग ६ हजार फुट पाइप का गबन पाया गया।

श्रम उप मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य का यह कहना कहां तक उचित होगा कि कोई सज्जन जिन्होंने कोई गड़बड़ी की है उनका नाम न लेकर उनके सारे रिश्तेदार और सम्बन्धियों की चर्चा इस सम्बन्ध में की जाय। अभी माननीय सदस्य बोलते हुए कह रहे थे कि प्रधान मंत्री के दामाद के भाई गोलमाल में शामिल थे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह इस सदन की परम्परा के अनुकूल होगा कि जो लोग यहां उपस्थित नहीं हैं या जिनके सम्बन्ध में कोई बात कहनी है उनको छोड़ कर उनके सारे रिश्तेदारों और सम्बन्धियों के नाम लिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—अब यह तो प्रश्न बड़ा जटिल सा है। जो सरकारी अधिकारी हैं किसी पद पर अगर उनके सम्बन्धियों द्वारा उनके पद के दुरुपयोग का कोई प्रश्न है तो वह तो उठा ही सकते हैं। अब माननीय सदस्य परम्परा के अनुसार—चाहे परम्परा ऐसी बना लें कि न उठावें—लेकिन जब वे से तो वह उठा ही सकते हैं और उसका सही तरीका यह है कि जो सम्बन्धित मन्त्री हों वह तथ्य यहां रख दें कि वास्तव में बात यह है।

श्री राजनारायण--मंत्रियों के पद का फायदा तो उठाया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत सदस्यों के बारे में जब कहा जाता है तो नहीं बोलते। मीठा-मीठा गप और कड़वा कड़वा थू।

श्री उपाध्यक्ष--मैं रामस्वरूप वर्मा जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार से विधेयक पर आप बोलते रहे तो फिर ४।। बजे जितने भी आइटम रह गये हैं उन सब पर गिलोटिन हो जायगा। ऐसी दशा में समय ज्यादा आप लेंगे तो आपको एक्सेस ग्रांट यों ही पास हो जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा--तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि इतना बड़ा गबन था। हमने सरकार से कहा कि वह इसकी जांच करायें। यह जो डी० जे० गान्धी कृषि इंजीनियर थे इन्होंने ही गबन किया था। सरकार ने इनको डिफेन्ड किया कि उन्होंने कोई गबन नहीं किया। अब ६ हजार फुट पाइप के गबन की बात सरकार की जांच के बाद समझ में आ गयी है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सरकार कहती है कि डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जायगी। यदि चन्द आदमियों के असर में आकर और इस प्रकार भ्रष्टाचार करने वालों से यह सरकार प्रभावित होगी तो मैं समझता हूं कि यह चल नहीं सकती है। इतना भयंकर भ्रष्टाचार फैल गया है कि जिसका अन्त नहीं है। आज विभागों में मंत्री और उच्चाधिकारियों के रिश्तेदारों की भरमार है चाहे वह किसी मंत्री के रिश्तेदार हों या ऐसे ही लोगों के। जब ऐसी हालत है तो कैसे काम चल सकता है। एक बार ह ने माननीय मुख्य मंत्री को खत लिखा था। एक एकाउन्ट अफसर के खिलाफ बहुत सीरियस चार्जेज थे। मारे कहने पर माननीय मुख्य मंत्री ने उस केस को सी० आई० डी० को दिया। सी० आई० डी० की पूरी जांच हो गई है, लेकिन अभी तक उस एकाउन्ट अफसर को ससपेन्ड नहीं किया गया। मैंने गृह विभाग के सचिव से कहा और मुख्य मंत्री जी से कहा कि आखिर किसी आदमी के खिलाफ जब प्राइमाफेसी केस बनता है तो उसको क्यों नहीं ससपेन्ड किया गया। पूरी इन्क्वायरी उसकी हो गई, लेकिन उनको अभी तक मुअत्तिल नहीं किया गया। सी० आई० डी० की रिपोर्ट दो महीने से आ गई है। ४०९, ४२०, ४६७ और ४७१ में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति वह चाहते हैं और उक्त अकाउन्ट्स अफसर को ससपेन्ड करने को कहा गया है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही उस एकाउन्ट्स अफसर के खिलाफ नहीं की गई। वह अपनी जगह पर विद्यमान हैं। सब कार्यवाही पूरी हो गई हैं लेकिन उनको मुअत्तिल नहीं किया गया।

समय के कमी के कारण अन्त में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जब ऐसी स्थिति है और यह सरकार बराबर अपने विभाग के लोगों को भ्रष्टाचार छिपाकर उससे शील्ड करने के लिये प्रयत्नशील है और कोई कार्यवाही किसी के खिलाफ करने के लिये तैयार नही है तो फिर क्या औचित्य है कि एक पैसा भी ऐसी सरकार को खर्च करने के लिये दिया जाय। यह इतना पैसा बड़ी कठिनता से एकट्ठा होता है और बड़े गाढ़े पसीने की कमाई है अगर इसी प्रकार से खाने पीने में खर्च हो गया तो फिर देश को क ा लाभ होगा, इसलिये मैं समझता हूं कि इस अनुदान के अन्तर्गत सरकार को यह सदन खर्च करने की कत्तई अनुज्ञा न दे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैं भी खंड दो के विरोध में कुछ कहना चाहता हूं। अधिक समय नहीं लूंगा। यह विधेयक प्रस्तुत करके हमसे कुछ करोड़ रुपये को व्यय करने के लिये मांगा जा रहा है, मगर मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब असली हालत पर इतना भी गौर नहीं करते कि वाकई क्या स्थिति है और वस्तुस्थिति पर परदा डालने की कोशिश की जाय तो फिर किस प्रकार सरकार को पैसे खर्च करने का स्वीकृति दी जाय यह समझ में नहीं आता। श्रीमन्, एक घटना पेश करना चाहता हूं जो सदन में आई है। हमारे यहां पूजन की मां गुजेशरी २६ अगस्त को भूख से मर गई। १२ अगस्त को हमने राजस्व मंत्री को पत्र लिखा कि उसकी हालत खराब है। उसकी कुछ मदद कर दी जाय। कुछ दाने उसके घर में रख दिये जायं, लेकिन हरिजनों के हमदर्द उधर मंत्रिगण बैठे हुए हैं।

[श्री उग्रसेन]

हमने मंत्री जी से कहा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। वह हरिजन महिला बेचारी भूखी मर गई। एक सितम्बर को उसका बेटा पूजन भी मर गया, लेकिन यह सरकार बैठी रही। मां मरी और फिर उसका पूजन बेटा भी मर गया। जब हमने माननीय राजस्व मंत्री से यह मांग की कि जांच की जाय तो जांच करने कौन गया? कोतवाल गये, एस० डी० ओ० गये और पूरे गांव पर छापा मार लिया गया। सादे कागज पर पूजन हरिजन की औरत की दस्तखत कराया गया कि जिसमें यह लिखा जायगा कि उसका पति भूख से नहीं मरा। गांव वालों को पकड़ गया। सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री रामेश्वरलाल, भूतपूर्व विधायक को धमकाया गया। मैं जो भी कह रहा हूं इस सदन में कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, उस क्षेत्र के दूसरे प्रतिनिधि भी बैठे हैं, वह जानते हैं कि वहां लोग खाने बिना मर रहे हैं और यहां उनको मजा आ रहा है ....

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--मेरा जिक्र किया गया है उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये यदि आप की आज्ञा हो तो मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं आपको जवाब देने का अवसर दूंगा। अभी आप बैठिये।

श्री उग्रसेन--तो लोग वहां खाने बिना मर रहे हैं और उनको यहां कोई अहसास नहीं होता। विचित्र नारायण शर्मा जैसे मंत्री यहां बैठे हैं, लेकिन उनका दर्द कोई समझता नहीं। नारायणी कैनाल का काम सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है..... (व्यवधान)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि सदन में शान्ति रहे.....(व्यवधान) ....त्रिपाठी जी के खड़े होने पर उग्रसेन जी ने फ्लोर यील्ड कर दिया था और मैं जनतंत्र का प्रथम सिद्धांत यह मानता हूं कि जब हम खड़े होकर बोलते हों, उस बीच में यदि कोई दूसरा खड़ा हो जाय तो हम बैठ जायं। मैं बैठ जाता हूं। तो उसी प्रकार उग्रसेन जी बैठ गये। अब त्रिपाठी जी को जो कहना हो कह लें, उग्रसेन जी बाद में कहेंगे। आप उनको बुला लें, यह बेचारे बैठ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--उपाध्याय जी का कहना है कि लोग उग्रसेन जी की शकल देखकर यह नहीं कह सकते कि देवरिया में लोग भूखों मर रहे हैं। उनको मैं बाद में मौका दूंगा।

श्री उग्रसेन--मेरे बच्चे रोज शाम को खाते हैं यह जरूर है, लेकिन देवरिया में जो भुखमरी से हाहाकार मचा हुआ है उसको देखने के लिये मेरा सुझाव है कि सदन की एक कमेटी बैठायी जाय। विचित्रनारायण शर्मा जी उसके चेयरमैन हों और वह कमेटी देखेगी कि लोगों के घरों में खाने के लिये आम की गुठली भी नहीं है। वह देखे, कि गेंदा सिंह जी के इलाके में लोग क्या खाते हैं। मैं झूठ बात नहीं कहता, लेकिन झोपड़ियों में काम करता हूं इसलिये वहां की बात कहता हूं।

श्रीमन्, दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक नारायणी नहर है। उसकी ४७ लाख की योजना है। उस पर ९० लाख रुपया खर्च हो चुका है। मदन पांडेय जी के क्षेत्र में धोबहा साइफन बनने की बात हुई ....

श्री उपाध्यक्ष--क्या इस निर्माण के लिये इस बजट में अनुदान मांगा गया है। चूंकि इसका जिक्र इसमें नहीं है, इसलिये आप उसका जिक्र भाषण में न करें।

श्री उग्रसेन--सिंचाई विभाग ने रुपया मांगा है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि नारायणी नहर के लिये रुपया नहीं मांगा गया इसलिये आप इसका जिक्र न करें।

श्री उग्रसेन––तो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। बिजली विभाग के बड़े-बड़े ठेके दिये गये। बम्बई की एक कम्पनी है उसको....

श्री उपाध्यक्ष––आप उसका भी जिक्र नहीं कर सकते।

श्री उग्रसेन––तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माथुर साहब जो हाइडिल के चीफ को उनके जमाने में ५० करोड़ के ठेके दिये गये और बड़े-बड़े भ्रष्टाचार की बात उन के सम्बन्ध में कही जाती है वही आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी बनाये जा रहे हैं। हम लोगों को खाने पीने को नहीं मिलता, लेकिन हमारी गाढ़ी कमाई को इस तरह से उड़ाया जा रहा है और सरकार के अफसरान कलकत्ता और बम्बई में मौज उड़ावें, उनके भाई भतीजों को गौतम पल्ली में बंगले मिलें, इस तरह से यह सरकार खर्च करती है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी––माननीय उग्रसेन जी ने चूंकि पूजन चमार का जिक्र किया जो कि मेरी कांस्टीट्यूयेन्सी की घटना था इसलिये मैं उसका कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। पूजन चमार जिस गांव में रहता था सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री जी भी उसी गांव में रहते हैं और उग्रसेन जी भी वहां अक्सर जात रहत हैं। वहां तीन आदमी मर गये और बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ, कोई और भूख से नहीं मरा यह क्या बात है। वहां गांव के लोग बहुत भावुक हैं और यदि कोई भूख से मरता हो तो मरने नहीं देंगे। जिनका वजन स्वयं बढ़ रहा है वह भूख से मरते हुए की सहायता नहीं करते यह तो आश्चर्य की बात ही है।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)––मुझे बरबस इस मामले में कुछ कहने की आवश्यकता पड़ी। मैं अभी एक दिन के लिये देवरिया चला गया था और जो मुझे जानकारी हुई वह मैं माननीय दीपनारायणमणि जी और इस सदन को करा देना चाहता हूं। मुझे मालूम हुआ, जिसकी चर्चा माननीय उग्रसेन ने की तो उस स्त्री और उस बच्चे के मरने की दोनों की खबर मुझे बतायी गयी और यह भी बताया गया कि जो गांव वालों का उलाहना दिया कि गांव वालों ने कुछ नहीं किया तो मालूम हुआ कि गांव वालों ने कुछ चन्दा करके कुछ दिनों तक उसे खिलाया और उसके बाद भी जब उनके सामर्थ्य की बात नहीं रही तो उसकी वह दुर्गति हुई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष आज पं० जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति की छत्र-छाया में है और माननीय डा० सम्पूर्णानन्द इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और इसके पहले माननीय गोविन्द बल्लभ पंत जी रहे हैं, लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि हिन्दुस्तान में और अपने प्रदेश में भूख से मृत्यु हुई है और यह बात माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं स्वीकार की है कि हम यह दावा नहीं करते कि किसी की भूख से मृत्यु नहीं हुई है। आज वित्त मंत्री जी बैठे हैं वह कह सकें कि भूख से इस प्रदेश में मृत्यु नहीं हुई है तो फिर इस बात पर सोचने की आवश्यकता पड़ेगी।

दीपनारायण जी ने कहा कि अनाज की दूकानें खुली हुई हैं. लेकिन वहां से खरीदने का पैसा कहां से आये? पिछले जमाने में देवरिया में २०–२० और ५०–५० हजार आदमी एक फसल में टेस्ट वर्क में काम करके ४ आने ६ आने की मजदूरी पर अपनी गुजर करते थे, लेकिन पिछले वर्षों से दीपनारायण जी की कृपा से और उस तरफ के लोगों की कृपा से टेस्ट वर्क करना बन्द कर दिया है और जब देवरिया में इस बात की चर्चा हम और उग्रसेन करते हैं कि टेस्ट वर्क कायम करो तो कहा जाता है कि तुम चोरी सिखाते हो। मैं कहता हूं कि आज देवरिया की जो स्थिति है उसको देखते हुए एक टेस्ट है और टेस्ट वर्क तो टेस्ट कहलाता है। मैं कहता हूं कि ४ आने, ६ आने की मजदूरी पर काम शुरू किया जाय और ५०,००० आदमी देवरिया में न आ जायं तो मैं हाउस छोड़ कर चला जाऊंगा। मैं समझता हूं कि वहां जो स्थिति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]
है उसमें मरने के अलावा और किया ही क्या जा सकता है। उग्रसेन जी ने तो सिर्फ इतना ही कहा कि हाउस की एक कमेटी बनाइये और वह जाकर इंक्वायरी करे, अगर झूठी बात होगी तो हम भी समझेंगे कि झूठी है। तो ऐसे मामलों में भावुकता से काम नहीं चलता। वैसे हम खामोश रहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो स्थिति है उसको ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता।

(श्री मदन पांडेय के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—यह परम्परा कुछ अच्छी नहीं पड़ रही है कि इस स्टेज पर बहुत लम्बे चौड़े विवाद हों।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैं दो मिनट में अपना विरोध व्यक्त करता हूं। मैं इस खंड २ का विरोध इसलिये करता हूं कि जो रुपया हमसे लिया जाता है उसका पक्षपातपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाता है। अधिक न कह कर मैं सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित एक पैम्फलेट माननीय मंत्री जी की नजर करना चाहता हूं जिसमें सेविंग्स के लिये अपील निकाली गयी है। उसमें एक अपील है माननीय मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द की, दूसरी है माननीय बहुगुणा जी की और तीसरी है आई०एन०टी०यू०सी० के मंत्री प्रभाकर त्रिपाठी की। मैं जानना चाहूंगा बहुगुणा जी से कि केवल आई०एन०टी०यू०सी० के मंत्री की अपील छपवाई गयी है? क्या उन्होंने और श्रम संगठनों से पूछ लिया था अपील निकालने के बारे में? अगर नहीं पूछा था तो क्या यह पैम्फलेट प्रभाकर त्रिपाठी की अपील के बिना पूरी नहीं हो सकती थी? और अगर इन दोनों में से कोई बात ठीक है तो पक्षपातपूर्ण तरीके से धन का उपयोग करने का आरोप सच्चा है और इस कारण मैं, जो मांग की गयी है, उसका विरोध करता हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर ने हुक्म दिया, हालांकि बोलने की आवश्यकता थी नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक उसूल के मातहत हम, जिन व्यक्तियों की अपील का असर जनता में होता है, उनकी अपील छापते हैं और जिनकी अपील का असर नहीं होता उनकी अपील छापने से हम लाचार हैं।

श्री सैयदअली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस सप्लीमेंटरी ग्रांट का ताल्लुक है, काफी तफसील में बहस कल से आज तीन बजे तक हो चुकी है और अब भी जब उसके विचार की स्टेज थी तो दफा दो पर बहस शुरू कर दी गई। बहरहाल जहां तक मुख्य बातें थीं जो कल कहीं गई थीं उनका जवाब दे दिया है और यह जो बातें आज कही गईं उनका दफा दो से कोई संबंध नहीं है। देवरिया में कहा गया कि कोई भुखमरी हुई, एक खानदान के दो तीन आदमी मर गये और उसमें मेरा भी हवाला दिया गया। बहरहाल मैंने कई दफे जिस वक्त मेरे पास खाद्य विभाग था, उस वक्त इस तरह की तफतीश कराई और मालूम हुआ कि हमारे इस इतने बड़े देश में लोग मरा ही करते हैं, यह तो लाजमी है कि लोग मरेंगे ही, लेकिन हमारे भाई लोग जो हैं उनको कहीं पता लगता है कि इस किस्म की मौत हुई चाहे उसकी उम्र ७५, ७८ या ८० साल की हो, उसको भुखमरी से जरूर मिला देते हैं। बाज बाज बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें खाना नहीं मिलता है और आखिर में हैजा या इस किस्म की दूसरी बीमारी से मौत हो जाती है। तो आखिरी मौत भूख से भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बेचारा मरीज है उसको बीमारी हुई, सवाल यह है कि कोई और बीमारी हुई उससे मरा या भुखमरी से मरा।

भुखमरी से मरने का तो यकीन नहीं होता, क्योंकि जैसी हमारे देश की परम्परा है कि अगर पास वाला कोई भूखा है तो जब तक वह भी नहीं शरीक हो ले वह नहीं खायगा और वह उसको भूखों नहीं मरने देगा। अगर भुखमरी होगी तो बड़े पैमाने पर होगी, गांव का गांव मर जायगा, जिले का जिला खत्म हो जायगा और कोई इस किस्म की आफत आये जैसा कि

बंगाल का किस्सा हम लोगों ने सुना है तो वह मेरी समझ में आता है, लेकिन यूं एक्का दुक्का आदमी किसी गांव में भुखमरी से मरना, मेरी समझ में नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि तमाम जिलाधीशों को यह अख्तियार दे दिया गया ह कि तुम्हारी इत्तला में इस किस्म के कोई हार्डशिप के केसेज आयें कि किसी के पास खाना न हो तो तुम फौरन प्रबन्ध करो और भूख से न मरने दो। मेरे जमाने में जबकि खाद्य विभाग मेरे पास था तभी यह आदेश जा चुके थे और उनको रुपया दे दिया गया है, उनके पास रुपया मौजूद है और मुझे यकीन है कि अगर कोई भी इस किस्म का वाकया किसी के इल्म में आयेगा और जिलाधीश के इल्म में लाया जायगा तो किसी को भूख से मरने नहीं दिया जायगा। यह जरूर है कि झूठी दरख्वास्तें वह नहीं मंजूर करेगा। मैं अर्ज करूंगा कि इन बातों को कोई संबंध इससे नहीं है और दूसरे यह कि जो बातें कही गई हैं वह बिलकुल निराधार हैं और उनकी कोई अहमियत नहीं है। मैं आखिर में सदन से निवेदन करूंगा कि इसको मंजूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड २ और खंड ३ तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बन जायं।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, मैं विभाजन की मांग करता हूं।

(घंटी बजाई गई)

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)––उपाध्यक्ष महोदय, आपने खंड २, खंड ३ और अनुसूची सब पेश कर दिया है तो क्या अब बहस बन्द हो गई?

श्री उपाध्यक्ष––पारित होते समय आपको मौका दूंगा, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत उत्सुक हैं।

(घंटी बन्द होने पर)

प्रश्न यह है कि खंड २ और खंड ३ तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९५९

३१ मार्च, १९६० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की की व्यवस्था करने के लिये,

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कपितय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम

१––यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि प्रस्तावना, शीर्षक और खंड १ इस विधेयक के अंग बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयदअली जहीर––उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९५९ पारित किया जाय।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस बात में सहमत हूं कि इस स्थान पर इसका विरोध करना परम्परा के विरुद्ध है, विशेषकर जब कि हमने ग्रांट्स को मंजूर कर दिया है लेकिन वह उन्हें आपरेट न कर पाये इस बात को हम कहें, यह परम्परा अच्छी नहीं है, लेकिन किया क्या जाय जस काठे की भवानी तस मकरा के अच्छत जैसे मिनिस्टर, और जैसी उनकी सरकार वैसे ही परम्परायें। इसलिये मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि मैं यह समझता हूं कि इस सरकार को इतना रुपया खर्च के लिये देना चील के घोंसले में मांस की धरोहर है। कारण यह है कि मेरा यह अनुभव है और विश्वास है कि सरकार जानकर हम को गलत रास्ते पर रखना चाहती है, जानकर हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहती है। अगर यह अनपार्लियामेंटरी न हो तो मैं कहूंगा कि बजट में जो फिगर्स और आंकड़े दिये गये हैं वह एक प्रकार से सरकस की जगलरी है। सन् १९५६ से लेकर सन् १९५९ तक यदि आप बजट को देखें तो आपको पता चलेगा सन् ५६-५७ में इस सरकार ने रांची मेंटल हास्पीटल पर ८६,३०० रुपया खर्च किया और सदन को दिखाया यह गया कि महज ४० हजार रुपया केवल हम आगे उनको देना चाहते हैं, लेकिन ५७-५८ में ६९ हजार रुपया खर्च किया गया और ५८-५९ में ९६ हजार रुपया खर्च किया गया और दिखाती सरकार हमेशा यही रही कि उसकी नीयत ४० हजार रुपया खर्च करने की है। इस प्रकार उनकी नीयत कभी साफ नहीं रही। श्रीमन्, जहां हमारा सौभाग्य है कि खीरी जिला सरप्लस है और दूसरे जिलों को अन्न देता है, वहां हमारी बदकिस्मती यह है कि यह सबसे पिछड़ा जिला होने के बावजूद और सरप्लस होने के बावजूद भी हमारे यहां किसी प्रकार की उन्नति होने के न कोई लक्षण हैं और न उसके होने की आशा है। क्या यह बदकिस्मती इसलिये है कि हम सब पी०एस०पी० के ही नुमाइन्दे हैं, सत्तारूढ़ दल का वहां से कोई नुमाइन्दा नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि १ करोड़ से ज्यादा रुपया जो खीरी कालोनाइजेशन स्कीम पर खर्च कर चुके हैं और अब करीब ६० लाख रुपया पीलीभीत कालोनाइजेशन स्कीम पर खर्च किया जा चुका है। मगर अब वह स्क्रैप (scrap) की जा रही है। इसके अलावा गाजियाबाद में जो हस्तिनापुर डेवलपमेंट स्कीम के नाम पर टाउन बन रहा है उसको वहां वाले यू०पी० सरकार को ट्रांसफर कर देना चाहते हैं क्योंकि ये तो गरीब परवर हैं न, इनको तो यह पालिसी है कि कुछ तुम खाओ कुछ हम खायें और इसी नीयत से सरकार के मिनिस्टर और सलाहकार इस प्रकार का बजट बनाते हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में इतनी रकम सुपुर्द करना खतरे से खाली नहीं है। तो मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि वे इसको खर्च करने की राय न दें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, पहले मैं इस बात की सफाई कर दूं कि ग्रांट्स पास हो जाने के बाद भी जिस सरकार को हम लायक नहीं समझते, उस सरकार के हाथ में खर्च करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये, यह बिलकुल पार्लियामेंटरी तरीका है और उस पर इस समय भी कुछ कहा जाय तो वह कोई असंसदीय नहीं है। अक्सर कहीं-कहीं यह बात हो जाया करती है कि जब ग्रांट पास हो जाता है तो उसे दूसरी सरकार आकर खर्च करती है। सरकार की तरफ से भी यह तर्क दिया जाता है कि जब ग्रांट पास हो गयी तो उसको खर्च करने का अधिकार देने से विरोध क्यों? मैं जानता हूं कि इसी पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि उनका बहुमत है, मगर यह हो सकता है कि इसी दल की सरकार बने और इससे अच्छी सरकार बन जाय। क्योंकि उसी पार्टी में विभिन्न लोग विभिन्न ढंग से भी सोचने वाले हैं। हो सकता है कि माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी मुख्य मंत्री बन जांय तो वे इसको एक दूसरे ढंग से ले चलाने की कोशिश करें, हो सकता है कि माननीय कमलापति जी मुख्य मंत्री बन जायं तो वे और दूसरे ढंग से ले चलने की कोशिश करें। इसलिये यह तर्क कि ग्रांट्स पास हो जाने के बाद इसके खर्च करने का अधिकार देने के समय इसका विरोध क्यों हो, इस भावना से हमको प्रेरित नहीं होना चाहिये। यह हो सकता है कि हम सरकार को मजबूर कर दें कि ग्रांट्स पास हो जाने के बाद भी वह उसे खर्च न करे तो कल ही एक कमेटी बैठायी जायगी और कल दूसरी

सरकार बनेगी। क्योंकि यह सरकार नालायक साबित हो जायगी और दूसरी सरकार आयेगी तो वह उन्हीं पास किये हुए अनुदानों के मुताबिक खर्च करेगी। यह बिल्कुल संसदीय और उचित बात है।

अब आगे मैं आपको बतलाऊं कि मुझे बहुत अफसोस के साथ माननीय वित्त मंत्री को सुनना पड़ा था। पहले मैं तो चाहता था कि यह अनुपूरक बजट ही न आवे। बावजूद मेरी तमाम कोशिशों के मैंने बड़ी कोशिश की, हमारे डिप्टी लीडर श्री रामस्वरूप वर्मा को दो रोज इस सिलसिले में इलाहाबाद में खर्च करना पड़ा। मैं चाहता था कि राज्यपाल महोदय हमारे प्रार्थना-पत्र का उत्तर जल्दी दे दें और वहां के वकीलों ने भी यही कहा कि अगर राज्यपाल महोदय कोई उत्तर दे दें तो उसी के आधार पर हम रिट के मामले में आगे चलें लेकिन आखिरी दिन हमको उनका गोलमटोल उत्तर आ गया जिससे संविधान के मुताबिक जो हम कदम उठाना चाहते थे वह नहीं उठा सके। हम तो यही चाहते थे कि सरकार इस अनुपूरक अनुदान को न पेश करे लेकिन उसे हम नहीं कर पाये। और हमारा आज भी यह निश्चित मत है कि यह संसदीय परम्परा के अनुकूल ही है। आपके द्वारा मैं सरकार को बतला दूं कि इंगलैन्ड में भी यह परम्परा है। जब युद्ध चल रहा था और वहां चेम्बरलेन की सरकार थी तो उनकी पार्टी के ८० सदस्यों ने केवल वोट नहीं दिया था। "दे ऐबस्टेंड फ्राम वोटिंग"। उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया लेकिन अन्त में चेम्बरलेन जीत गये। जीत जाने के बाद भी चेम्बरलेन ने कहा कि जब हमारी पार्टी के ८० आदमियों ने वोट में भाग नहीं लिया तो हमको सरकार चलाने का कत्तई हक नहीं है और यह जनतांत्रिक परम्परा है कि हम इस्तीफा दे दें। चेम्बरलेन ने इस्तीफा दिया और चर्चिल की सरकार बनी। तो यह बिल्कुल संसदीय परम्परा है। यह सन् ४० की बात है जब कि लड़ाई चल रही थी और उस लड़ाई के जमाने में भी सरकारें बदलीं। उस जमाने में भी सरकार बताये कि...

श्री उपाध्यक्ष--अब तो वह स्पष्ट हो गया।

श्री राजनारायण--देखा जाय, तमाम पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्ज हैं उनका अध्ययन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं आप को रोक तो नहीं रहा हूं, इसलिये यह तो प्रश्न ही नहीं है कि वह संसदीय है या नहीं, इसलिये आप इस विधेयक पर बोलें।

श्री राजनारायण--अब मैं इसी पर आ रहा हूं कि इन पास की हुई ग्रांट्स के लिये इस सरकार को पैसा क्यों नहीं देना चाहिये। जब हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस सरकार की जनता का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, जब हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस सदन के सदस्यों का भी इस सरकार में विश्वास नहीं है तो हम किस तरह से इस सरकार को रुपया खर्च करने का अधिकार दे सकते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने को गैर जिम्मेदार बनायेंगे और समझेंगे कि हम जनता के प्रति वफादार नहीं हैं।

श्रीमान जी, यह मूल प्रश्न हमारे सामने है, आप तो पार्लियामेंटरी पद्धति के ज्यादा जानकार हैं, आप जानते हैं कि इंगलैन्ड वगैरह में तो यहां तक माना गया है कि अगर टेक्निकल तरीके से भी सरकार रह जाती है और किसी तरह से किंग (बादशाह) को इस बात का अहसास हो जाता है कि उसे जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है या उसे जनता का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो यह अधिकार किंग (बादशाह) को जनतंत्र प्रणाली में हासिल है कि या तो वह सरकार को स्वयं इस्तीफा देने के लिये बाध्य करें या मंत्रिमंडल को भंग करे। इस तरह की तमाम प्रथायें जनतंत्र प्रणाली में प्रचलित हैं और अध्ययनशील लोग इसको समझते हैं लेकिन इस सरकार की अजीब बेहयायी है, अजीब मारेलिटी है, अजीब तर्क है कि इस सदन के बहुमत सदस्यों ने उस पर अपना अविश्वास प्रकट कर दिया और फिर भी बेहयायी से वह टिकी है। हमें नैतिकता की शिक्षा दी जाती है, यह किस नैतिकता की परम्परा है, यह किस जनतंत्र की परम्परा है, किस नीति का तकाजा है? यह तानाशाही की परम्परा है या जनतंत्र की परम्परा है,

[श्री राजनारायण]

जबकि अध्यक्ष महोदय के कोमल हाथों में जनमत को व्यक्त करके ९८ कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने अविश्वास का प्रस्ताव दिया और कहा कि हमारा विश्वास इस सरकार में नहीं है और जब कि विरोधी पक्ष के १३९ सदस्यों ने अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन किया तो किस प्रणाली और किस परम्परा के अनुसार यह सरकार कहती है कि हम उसे ३ करोड़ कई लाख रुपया और खर्च करने की इजाजत दें? जनता का विश्वास नहीं, जनप्रतिनिधियों का विश्वास नहीं, किसी का विश्वास नहीं तो किस तरह से वह सरकार बनाये बैठे हैं? (हंसी) उधर हंसी भी हो रही है जब कि मैं सीरियस हूं, मैं जानता हूं कि बेहयायी की सीमा क्या होती है, मैं जानता हूं कि निर्लज्जता की सीमा क्या होती है, मैं जानता हूं कि हयादारी की सीमा क्या होती है। अगर कोई फिर भी बेहयायी के साथ हंसे तो वह विडम्बना है ...

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)---व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि निर्लज्जता या बेहयायी शब्द इस्तेमाल किये जायं तो क्या यह संसदीय होगा?

श्री उपाध्यक्ष---यह प्रश्न इसलिये नहीं उठता कि उनका कहना यह था कि "वह जानते हैं कि बेहयायी और निर्लज्जता की सीमा क्या है"। उन्होंने किसी पर आक्षेप नहीं किया।

श्री राजनारायण---देखा जाय श्रीमन्, जिस ढंग के लोग उधर होंगे उसी ढंग के व्यवस्था के प्रश्न भी उठेंगे। मैं निवेदन करूंगा और बहुत गम्भीरतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं चुने हुए लोगों की राय का आदर किया जाय, जनतंत्र की भावना की कद्र की जाय। अगर भावावेश में आकर इस तरह से तानाशाही को प्रतिष्ठित किया जायगा तो वह जनहित में न होगा। माननीय विचित्र नारायण जी मुस्करा रहे हैं मैं उन्हीं को संकेत करके कहूंगा कि पूज्य महात्मा गांधी जिनका चित्र यहां खड़ा है उन का पत्र हरिजन सेवक जब मैं बच्चा था तब से ही बराबर पढ़ता था और उसकी एक एक लाइन को मैं कोट कर सकता हूं। एक बार गांधी जी ने उस में कहा था कि कांग्रेस की शक्ति उस के चन्द मेम्बरों में नहीं है, कांग्रेस की शक्ति सेवा में है, बलिदान में है।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं प्रश्न यह करना चाहता हूं कि जब वोट आफ नो कांफीडेंस पर यहां मत लिया गया और अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दे दिया कि बहुमत इस सरकार के पक्ष में है तो अब माननीय अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध यह कैसे कहा जा रहा है कि बगैर विश्वास के बैठे हुए हैं?

श्री उपाध्यक्ष---असल में एक मारल आस्पैक्ट है और एक लीगल आस्पैक्ट है। वह मारल आस्पैक्ट पर जोर दे रहे हैं। लीगल आस्पैक्ट के बारे में तो माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी है।

श्री राजनारायण---कैसा बढ़िया नमूना पेश किया नेगी जी ने। इनके प्रबन्ध में लोग भूखों मर रहे हैं। (व्यवधान) हमें पतला करने की कोशिश तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन हमको पतला नहीं कर पायेंगे जब तक कि हम उठाकर पटक नहीं देंगे जनतांत्रिक तरीके से इस वर्तमान सरकार को।

तो मैं निवेदन कर रहा था श्रीमन्, गांधियन फिलासफी के बारे में। पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट को देखा जाय। उसमें यह बात मानी गयी है कि अगर दबाव से कोई काम किया जाय और साबित हो जाय कि दबाव से वोट हो रहा है तो वह वोट नहीं गिनी जाएगी। श्रीमन्, ९८ लोगों ने अध्यक्ष महोदय को लिखकर दिया कि सरकार में विश्वास नहीं है और यह सरकार कुनबापरस्त है और फिजूल खर्च करने वाली है। एक उपमंत्री ने स्तीफा देने के बाद इलाहाबाद में कहा कि ५० फीसदी खर्च नाजायज तरीके से विकास योजनाओं में हुआ। क्या मैं उसको

नजरन्दाज कर जाऊं ? यह उनकी सही भावना का प्रतीक था। इसलिये अगर तनिक भी नैतिकता होती इस सरकार में तो इसे स्तीफा देना चाहिए था और यह अनुपूरक बजट पेश नहीं करना चाहिए था।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि राजनारायण जी ने उन आंकड़ों को पढ़ा जो कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, १९५८, के सामने बातें नहीं गईं हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने सन् ५७ के आंकड़े भी पढ़े, ५६ के भी पढ़े, ५५ के भी पढ़े, ५८ के भी पढ़े और ४२ के भी पढ़े हैं। सन् ४२–४३ में जब यहां साम्राज्यशाही सरकार थी तो ६ एतराज थे और करीब ६ हजार की रकम उसमें लगी थी। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से इनकी संख्या बढ़ रही है और एतराजात की संख्या ३४ हजार तक पहुंच गयी जिसमें ३१ करोड़ तक की रक़म लगी हुई है। तो हमें यह कतई हक हासिल है कि हम मांग करें इस सरकार को एक पैसा भी खर्च करने का अधिकार न दिया जाय। हम जनमत को जागृत करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आज यह सरकार जिस ढंग से पैसे का दुरुपयोग कर रही है वह राष्ट्रद्रोह है।

(इस समय ४ बज कर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

१९५७ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को देखा जाय। सिंचाई के मुहकमें की अनुचित खर्च की १९ करोड़ की रकम थी। सन् ५८ में वह घटी नहीं बल्कि बढ़ कर २३ करोड़ हो गई। किन आपत्तियों का निराकरण करेगी सरकार ? नाजायज़ खर्च की रकम नित्य प्रति बढ़ रही है। लेकिन तब भी यह सरकार चेष्टा कर रही है कि सदन इतना रुपया खर्च करने की इजाजत दे दे। मैं अपनी ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से और तमाम विरोधी-दल की भावनाओं के साथ कहना चाहता हूं कि इस सरकार को नैतिकता की दृष्टि से और जनतंत्र की दृष्टि से एक मिनट भी गद्दी पर रहने का हक़ नहीं रह गया है और एक पैसा भी अब इस सदन से खर्च के लिये मांगने का अधिकार नहीं रहा है। इसलिये श्रीमन्, पूरी ताक़त के साथ मैं इसका विरोध करना चाहता हूं और चाहता हूं सदन के सभी सदस्य इन भावों को अपनायें और इस सरकार को एक पैसा भी खर्च करने की इजाज़त न दें।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं अगर महज़ चीखने और चिल्लाने से हुकूमत गिरा करती होती तो अब तक यह हुकूमत न मालूम कब की गिर गई होती। हुकूमत बनती है, उसके लिये कांस्टीट्यूशन में कुछ कायदे बने हैं, हुकूमत गिरती है उसके लिये भी कायदे बने हुए हैं और एक तरह से नहीं मुख्तलिफ़ उसके तरीक़े हैं। बहरहाल जहां तक माननीय राजनारायण जी जो तर्क पेश किया करते हैं, एक दफ़ा नहीं पचासों दफ़ा कर चुके हैं पहले भी, उसका कहीं वजूद नहीं है। और न किसी कानून में, न तो हमारे संविधान में और न दुनियां के संविधानों में कोई ऐसा क़ायदा बना हुआ है जिसके ऊपर वे अपनी बहस की बुनियाद रख सकें।

बहरहाल, हवाला दिया चैम्बरलेन का कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया था इसलिये कि उसके ३०, ४० साथियों ने उसके साथ वोट नहीं दिया। १९४० का वाक्या है आप समझ सकते हैं १९३९ में जंग छिड़ चुकी थी। उसके पहले मार्च, १९३९ में म्यूनिच पैक्ट हो चुका था और चैम्बरलेन ने जो गलती की थी, और वह पैक्ट इसीलिये बनाया गया था कि लड़ाई न हो और उसको मुल्तवी कर दें। वह खुद गया और जा कर के हिटलर से सलाह की और उसके बाद पूरे इंगलैण्ड के ऊपर यह ऐहसास हुआ होगा कि म्युनिच पैक्ट की जो गलती हुई है वह इतनी बड़ी है कि इस समय नेशनल गवर्नमेंट बनाने का वक्त था, इसकी ज़रूरत थी कि महज़ किसी एक पार्टी की हुकूमत न रहे बल्कि ऐसी हुकूमत हो, ऐसी सरकार हो जिसको पूरे देश का विश्वास हासिल हो। बहरहाल लेबर और कंजरवेटिव दोनों ने मिल कर नेशनल गवर्नमेंट बनायी जिसमें चर्चिल, एटली वगैरह बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ आये। और हमसे कहा जा रहा है कि हम इस्तीफ़ा दें, जब कि यह तय हो चुका है कि अक्सरियत हमारे पास है। लेकिन बराबर कहा जाता है कि हम गलती कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस तर्क में कोई फ़ोर्स नहीं है।

[श्री सैयद अलीजहीर]

विरोधी दल के एक सदस्य ने कहा कि हम रांची पर ज्यादा रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं ? मेरे खयाल से जो राजनारायण जी की तकरीर हुई है उससे वह समझ गये होंगे कि रांची में ज्यादा रुपया खर्च करने की क्यों जरूरत पड़ी। रांची बिहार में है लेकिन जितने आदमी हमारे यहां से जाते हैं उसके हिसाब से हमको मदद देनी पड़ती है बिहार की हुकूमत को। तो हमें ऐसा अंदेशा हो रहा है कि इस क़िस्म की जो तकरीरें होने लगी हैं और ऐसे जोड़ तोड़ मिलाये जा रहे हैं कि हुकूमत महज इसलिये गिर गई कि थोड़े से मेम्बरों ने यह ऐलान किया कि हमको सरकार में एतबार नहीं है, लेकिन वोट हमारे साथ दिया, उसके ऊपर हुकूमत खत्म हो गई और सारी बहस यही हो रही है, आज से नहीं न मालूम कितने बार हो चुकी है कि हुकूमत को कोई अख्तियार नहीं है यहां रहने का। बहरहाल मैं माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं। जब हमारी अकसरियत नहीं रहेगी तो हम पावर में नहीं रहेंगे लेकिन उससे पहले कोई मजबूत बात कहने के बजाय इस तरह की बहस करना मेरे खयाल में सदन का समय बरबाद करना है।

इन चन्द अल्फाज के साथ मैं सदन से चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५९ [The U.P. Appropriaton (First Supplmentary 1959-60) Bill, 1959] पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई।)

श्री राजनारायण---एक निवेदन यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। मैं चाहूंगा कि इसका मतदान लाबी में कराया जाय।

श्री अध्यक्ष---नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण---आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है और पिछली दफा कई मर्तबा वोटिंग हुआ था तो नतीजा आप सुन चुके हैं। प्रत्यक्ष रूप में तो खिलाफ वोट नहीं दे सकेंगे लेकिन हो सकता है कि लाबी में यह प्रस्ताव गिर जाय।

श्री अध्यक्ष---लाबी में वोटिंग तो लिख कर होता है उसमें तो और स्पष्ट हो जायगा कि किस ओर वोट दिया, यहां तो कुछ लोग खामोश भी बैठ सकते हैं और हाथ न भी उठाएं ?

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में---१२५,
विपक्ष में---३६।

श्री राजनारायण---एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम का साधारण अर्थ जो होता है उसके मुताबिक १२५ की संख्या जो आपने बतलाई है उससे यह प्रस्ताव पास हो गया लेकिन २१६ के ऊपर जब तक न हो तब तक मैं समझता हूं यह जितना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है ...

श्री अध्यक्ष---यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

१९५५-५६ के अतिरिक्त अनुदानों पर कटौती के प्रस्ताव उपस्थित करने की प्रार्थना

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---एक चीज मुझे अर्ज करनी है। यह कल तय हुआ था कि ३ बजे तक पहला हो, फिर यह पास हो। तो वह व्यवस्था बनी रही। लेकिन पहला साढ़े ४ तक खिंच गया। तो पहले जो हमने कटमोशंस मूव किये थे वे छपने चाहिये थे और उसके बाद इस पर विवाद होता यानी जनरल डिबेट होती।

श्री अध्यक्ष––मैं पहले ही निर्णय दे चुका हूं। निर्णय यह दे चुका हूं कि एक्सेस ग्रान्ट्स के सिलसिले में सामान्य विवाद नहीं होता है। हर एक ग्रान्ट पर थोड़ी सी चर्चा करके उसे पास कर दिया जाता है। कट मोशंस अवश्य लिये जाते हैं लेकिन कल यह निश्चय हुआ था कि बिना कटमोशन के ऊपर बहस किए हुए अनुदानों पर मत लिया जायगा। और कोई बहस नहीं होगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट––कटमोशन के लिये पहले ही वाले के बारे में हुआ था। कल की कार्यवाही मैंने पढ़ी, जगवीरसिंह जी का प्रस्ताव बहुत स्पष्ट है। श्रीमन्, जरा उसको देखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि यह दोनों के लिये था और उसके बाद ग्रांटों पर बिना बहस के राय ले ली जायगी और फिर अतिरिक्त अनुदानों पर आध घंटा बहस होगी। यानी बाद को कटमोशन का जिक्र ही नहीं आया। मैंने कहा कि ठीक, आध घंटा बहस होगी, लेकिन अतिरिक्त अनुदानों पर जब बहस होती ही नहीं है तब मैंने यह निर्णय दिया है कि इस सम्बन्ध में जो तरीका पहले रहा होगा वह वही इस बार भी रहेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट––श्रीमन्, अपना निर्णय देने से पूर्व इस रूल को देखने की कृपा करें जिसमें दिया हुआ है––

"The Speaker may from time to time in consultation with the Leader of the House allot one or more days for the discussion and vote on such demand."

श्री अध्यक्ष––फैसला यह मैंने दिया था कि एक्सेस ग्रान्ट के ऊपर यह तरीका ही नहीं रहा है कि उस पर आम बहस हो। तो आम बहस नहीं होगी। अतिरिक्त ग्रांट्स आपके सामने आयेंगी। उन पर मत देने का समय तो मैं दे रहा हूं। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

१९५५–५६ के अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान––अनुदान संख्या ९–राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)––अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत २,७९,९१५ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के लिये स्वीकार की जाय।

***श्री रामायणराय** (जिला देवरिया)––मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ स यह जो अतिरिक्त मांग पेश की गयी है ध्यान से देखा जाय तो यह १९५५–५६ के लिये है और आज ४ वर्ष के बाद यह मांग सदन के सामने लायी जा रही है। मेरा कहना यह है कि यह मांग कानूनी ढंग से हमारे सामने नहीं लायी गयी है। जिस ढंग से इसका हवाला इसमें दिया गया है हमको ऐसा लगता है कि पिछले चार सालों में इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया, अचानक आज चार साल के बाद हमारे सामने यह लायी जाती है। अगर हम मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को ध्यान से देखें तो इसके १६ वें एडीशन में पेज ६८३ पर लिखा है कि यह फिनेन्शल सिन है एक तरह का। यह कोई साधारण सी बात नहीं है कि जब चाहें, जैसे चाहें हमारे सामने इस तरह की मांग ले आयें। मांग कब लानी चाहिये, कैसे लानी चाहिये इसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

भी व्यवस्था मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में की गयी है। कांस्टीट्यूशन में भी जिस आर्टिकल की तरफ हमारा ध्यान दिलाया गया है उसमें भी इस बात की काफी चर्चा की गई है। उसमें लिखा है —

"An excess vote is the result of a department spending more money than has been voted for its purpose. This is a financial sin."

इसके बाद यह गया है—

"In this case the exeess must be voted in the following year."

जिस वर्ष यह बढ़ोत्तरी हो उसके ठीक दूसरे साल वह हमारे सामने आनी चाहिये। इसके सम्बन्ध में एक आदर्श भी स्थापित किया गया है कि किस तरह से इस तरह के धन के सम्बन्ध में हमको विचार करना चाहिये। आदर्श का जहां तक सम्बन्ध है उसमें लिखा है—

"When a certain amount of expend ture for a particular service has been determined upon by Parliament it is the bounden duty for the department which has that service under its charge and control to take care that the expenditure does not exceed the amount placed at its disposal for that purpose."

श्रीमन्, इस तरह से देखा जाय कि २०५ आर्टिकिल में तरीका बताया गया है जिसका कि हवाला इसमें भी दिया गया है जो हमारे सामने अतिरिक्त मांगों के सम्बन्ध में साहित्य दिया गया है। इसमें भी अनुच्छेद २०५ का हवाला दिया गया है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो यह मालूम होता कि किस तरह से गलत ढंग से मांग पेश की गई है। इसलिये मैं अपना नैतिक कर्त्तव्य समझता हूं कि इसका विरोध करूं। जहां तक कि इसका संबंध है कि कैसे लाना चाहिये और कितने अरसे के बाद लाना चाहिये, इसके संबंध में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में चर्चा की गई है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है जिसका हेडिंग है "प्रोसीजर आन एक्सेज ग्रांट्स" इसको पढ़ कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। जो सज्जन दिलचस्पी रखते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वह इसको मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के ७१९ पृष्ठ पर देखें। उसमें प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरह से यह लाये जायं।

मुझे आज सदन में ढाई साल के बाद पहली दफा जरूरत महसूस हुई मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के हवाला देने की और वह इस लिये कि इसमें बड़ा अन्याय किया जा रहा है। डिपार्टमेंट के सामने साल में दो-दो मौके आते हैं। एक तो जुलाई में सप्लीमेंटरी बजट लाया जाता है और दूसरा फरवरी में ऐसा ही मौका आता है। इन मौकों पर ऐसे खर्चे हाउस के सामने आने चाहिये। फिर श्रीमन्, सदन के पास एक ही तरीका है कि वह डिपार्टमेंट्स के ऊपर नियंत्रण रखे और जब कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। सार्वजनिक विभाग की ओर से जो यह खर्चा मांगा गया है वह ठीक ढंग से नहीं मांगा गया है। हम ऐसा समझते हैं कि हमें नियमों में परिवर्तन करना चाहिये। हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स को ऐसे इंस्ट्रक्शन्स होने चाहिये कि अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि मार्च में आपने महसूस किया कि जो कुछ रकम दी गई थी उससे ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी तो वह फौरन् सरकार को लिखें कि हमने इतना पैसा ज्यादा खर्च कर दिया और सरकार आडिटर से रिपोर्ट करायें और जांच होकर मामला पी० ए० सी० में आए और दूसरे साल सदन में रख दिया जाय। यह नहीं कि चार-चार साल यह चीजें आयें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि कांस्टीट्यशन क्या कहता है, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस क्या कहती है? मुझे तो कोई कंट्राडिक्शन दिखाई नहीं देता है। फिर किस नियम के आधार पर यह चीज लाई गई? मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा और माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस तरह से अगर आप विभागों की मांगों को पास करते चले जायेंगे तो

परिणाम भयावह होगा। इसलिये परिणाम भयावह होगा कि किस तरह से हम नियंत्रण रखना चाहते हैं उसके विपरीत सरकारी नौकरों में मनमानी बढ़ेगी। इसको रोकने के लिये मैं कह रहा हूं कि इस तरह की डिमांड कतई पास न होने दें।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, जैसे कि कागजात इसके साथ पेश किये गये हैं उनमें यह लिखा हुआ है कि तरीका यह है कि पहले हमारे एकाउन्ट्स आफिस आफ कंट्रोलर एंड आडीटर जनरल के यहां से आडिट होते हैं और फिर पब्लिक एकाउन्ट कमेटी में जाते हैं। तब हाउस में पेश होते हैं। तो यह सन् १९५५–५६ के एकाउन्ट्स हमारे यहां एकाउन्टेंट जनरल के यहां से आये ३१ मार्च, १९५८ को और जब हमारे पास आये तो हमने इसको पहले लेजिस्लेचर में रख दिया जुलाई, १९५८ में और उसके बाद पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जून से सितम्बर तक इन एकाउन्ट्स को देखा। उसके बाद हमको यह मौका मिला कि अब आपके सामने इस शक्ल में ले आयें। इस वजह से मैं यह अर्ज करूंगा कि जब इतनी देर हुई एकाउन्ट्स के आने में और तैयार होने में, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, उसकी वजह से देर हो गयी। एकाउन्टेंट जनरल को भी इस बात का अहसास है कि बहुत देर हो जाती है और भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट करें। चूंकि वहां से एकाउन्ट्स आने में ताखीर हुई। १९५५–५६ के एकाउन्ट्स १९५८ में आये ही हमारे पास, उसके बाद १९५८ में पब्लिक एकाउन्टस कमेटी में गया, उसके बाद १९५९ में आपके सामने आया। एक साल की इसमें मुद्दत लगना लाजमी है। इस वजह से मैं अर्ज करूंगा कि जो देर हो गयी है इसके लिये हम जिम्मेदार नहीं हैं। आइन्दा यह कोशिश की जायगी कि इसमें देर न हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत २,७९,९१५ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—पुलिस

शिक्षा उप-मन्त्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—श्रीमन्, राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—पुलिस के अन्तर्गत ११,९२,०९२ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं यह जो अनुदान मांगा जा रहा है इसका विरोध करता हूं। यह देखा जाय यह खर्चा किस कारण हुआ है। इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है—लिखा तो जाता है कि जन सेवा के लिए है। जन-सेवा के लिए गोलियां भी चलायी जाती हैं। तो इसमें हथियार बन्द पुलिस को बराबर प्रदेश में इधर उधर भेजा गया है और बाहर भी भेजा गया है। जब कि इस पुलिस से शान्ति और व्यवस्था को ही खतरा है तो उस पुलिस के अनुदान में अतिरक्त धन खर्च हो जाने की मान्यता कैसे दें? यह मूल प्रश्न है। एक और निवेदन आपकी आज्ञा हो तो कर दूं कि अब भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। अभी २४ तरीख की घटना है। जौनपुर के एक वकील हैं। उनके साथ पुलिस ने बड़ी ज्यादती की।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त बहस करने का समय नहीं है।

श्री राजनारायण—इसलिये कह रहा हूं कि पहले भी खराब ही थी और दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। इसलिये मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस रूप में पसा खर्च हुआ है उसके लिये स्वीकृति प्रदान न की जाय।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, इसके कारण इसमें दिये हुये हैं। पुराना व्यय है। हमारे यहां से पुलिस बाहर भेजी गयी है दूसरे प्रदेशों की मांग पर। उनके आने जाने में, यात्रा के भत्ते में, अस्त्र शस्त्र में और सम्भार में व्यय हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य क्षमता पर यहां हम लोगों को बहुत संदेह रहता है। पर बाहर के प्रदेश हमारी पुलिस को कार्यक्षम मानते हैं। उस पर खर्चा हो गया है। यह अवश्य है इसको पहले आ जाना चाहिये। उसका कारण माननीय वित्त मंत्री ने बता दिया है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है, जरा उसका निराकरण आप कर देंगे। जब हमारे प्रदेश की पुलिस बाहर काम पर जायगी तो उसके खर्चे का भार किस पर पड़ेगा? प्रदेश पर पड़ेगा या केन्द्र पर पड़ेगा?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इस वक्त सामने नहीं है। इस वक्त प्रश्न यह है कि अमुक धन खर्च हुआ। यदि पुलिस प्रदेश के बाहर दूसरी जगह गई तो वहां से वसूल करने का काम सरकार का है। वह प्रश्न अलग है, जो इस प्रकार धन वसूल करते हैं वह जमा में दिखाया जाता है। खर्च में खर्च दिखाते हैं। तो खर्च में तो यह चीज आयेगी ही।

अब प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—पुलिस के अन्तर्गत ११,९२,०९२ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—जन-स्वास्थ्य

श्री बलदेवसिंह आर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत १०,०८,६७९ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत १०,०८,६७९ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९—अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान

श्री दीनदयालु शास्त्री—श्रीमन्, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान के अन्तर्गत ७,७०,४९२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान के अन्तर्गत ७,७०,४९२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह श्रीमन्, संविधान की धारा २०३ के मुताबिक जो चार्ज्ड एमाउन्ट होता है उस पर वोट तो होता नहीं लेकिन डिस्कसन हम कर सकते हैं उस पर। संविधान में दिया है—

"So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in the Legislature of any of those estimates."

श्री अध्यक्ष—यह किस सम्बन्ध में कह रहे हैं आप ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, यह कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल २०३ में दिया हुआ है। आज यहां जो कृषि अभियंत्रण, इंजीनियरिंग और . . . . .

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न अभी आया कहां है ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, आयेगा आगे, तो उस पर बोलने का अवसर आप दें।

श्री अध्यक्ष—जिस वक्त एप्रोप्रियेशन बिल सामने आये उस वक्त आप कुछ कह सकेंगे।

अनुदान संख्या ४१—असाधारण व्यय

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—असाधारण व्यय के अन्तर्गत ५४,५३९ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—असाधारण व्यय के अन्तर्गत ५४,५३९ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन

श्री बलदेवसिंह आर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन के अन्तर्गत ७१,९५३ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन के अन्तर्गत ७१,९५३ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९ [The U. P. Appropriation (Regularization of Exess 1955-56) Bill, 1959] पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अभी तो आप पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा लीजिये पहले।

श्री सैयद अली जहीर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने की यह सदन अनुज्ञा देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर--मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, यह जो बढ़तियों के खर्चे का बजट आया है जिसमें १९५५-५६ के खर्च की बात कही गई है इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि पी०ए०सी० से रिपोर्ट देर में आती है इस वजह से देर हुई। मैं भी उस समिति का सदस्य होने के नाते मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भी उसके सदस्य हैं लकिन उन्होंने कभी वहां आने की तकलीफ नहीं गवारा की। जब वह खुद ही उस कमेटी को इस नजर से देखते हैं तो देर होना लाजिमी है। दूसरे जब उनके विभागों से सूचना मांगी जाती है तो विभाग जल्दी सूचना नहीं देते हैं। इस वजह से भी देर हो जाती है।

इसमें एक आइटम ऐसा है जिसमें ६ करोड़ से अधिक रुपये का दुरुपयोग हुआ है। उसके ऊपर ही मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जो फैक्ट्स हैं उनके विषय तक ही सीमित रहूंगा। आज चार्ज्ड अकाउन्ट में २,१६० रुपया और मांगा गया है जो कृषि अभियंत्रण इंजीनियरिंग और उपनिवेशन के सम्बन्ध में है। इस पूरी स्कीम के अन्तर्गत विस्थापितों को बसाने के लिये तराई भावर और अफजलगढ़, मनुनगर, काशीपुर व गंगा खादर के इलाके में ५ जगह उपनिवेशन योजना बनाई गई। ओरिजनल एस्टीमेट चार्ज्ड और वोटेड ३,७५,००,००० रुपया के करीब था लेकिन सरकार ने खुद वहां पर इंतजाम किया तो उसमें लगभग ९,३१,००,००० रुपया वहां पर खर्च हो गया यानी खर्च में इस्टीमेट से ६ करोड़ का इजाफा हो गया। इस प्रदेश में यह हो गया है कि हमें प्लान के लिये एक एक पाई की जरूरत है। यह कैसे हो गया इसकी एक बड़ी करुण कहानी है। इसमें जो मुआवजा दिया गया उसमें भी कुछ लाख की रकम बढ़ी।

सन् १९४४ में उपनिवेशन हेतु एक कमेटी बिठाई गई जिसके सदर पन्त जी थे और उसके मेम्बर माननीय चरणसिंह और हुकुमसिंह आदि बहुत से लोग थे। उन्होंने कालोनाइजेशन स्कीम को सन् १९४७ में स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने वालों पर सन् १९४७ में दफा ४ लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार नोटीफिकेशन न निकालने की जिम्मेदारी थी। तब जो उस जमीन के मालिक थे उन्होंने उस जमीन पर, जो कालोनाइजेशन में आने वाली थी इस बीच अपने टेनेन्ट्स बसा दिये तो क्या हुआ कि करीब २७०० एकड़ जमीन जो दो जगह पर ली जाने वाली थी वह बढ़ कर करीब ७,००० एकड़ हो गयी। काशीपुर में और दूसरी जगह भी इजाफा हुआ और इसका नतीजा यह हुआ कि काशीपुर में एक जगह १ लाख ६७ हजार रुपया मुआवजे देने को रक्खा था पर वह मुआवजा १३ लाख ९० हजार के करीब हो गया। अफजलगढ़ में भी १३ लाख देना पड़ा, गंगा खादर में १० लाख २७ हजार देना पड़ा एक मोटी सी गलती की वजह से। और कहीं कहीं पर १९५१ तक उन जमींदारों के पास नोटिस नहीं भेजे गये।

श्रीमन्, जमीन तोड़ने को वहां ट्रैक्टर चलवाये गये। तमाशे की बात है जो जमीन तोड़ी गयी और उसका काफी हिस्सा बंजर रहने दिया गया ताकि दुबारा ट्रैक्टर चलें। उसके लिये ६ लाख ५ हजार रुपये की जगह ३७ लाख रुपया खर्च किया गया। इस तरह से रुपया बर्बाद हुआ। तमाशा यह है कि केन्द्रीय सरकार के एक सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन से तय हुआ कि एक एकड़ का हम ५२ रुपया देंगे, लेकिन बाद में न मालूम क्या करिश्मा हुआ कि उन्होंने कहा कि

हम ५२ रुपये एक घंटे का लेंगे और इस तरह से ३१३ रुपये फी एकड़ तोड़ाई हम को पड़ा। वहां हमने जो ट्यूबवेल लगाये उसमें पहले पूरी जांच नहीं की। पहले अच्छी तरह टेस्टिंग नहीं हुई और····

श्री अध्यक्ष—आपने एकड़ों को घंटों में मिला दिया ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह तो सरकार ने मिलाये। पहले यह तय हुआ था कि वह एक एकड़ का ५२ रुपया लेंगे। जल्दी में मैं गलत कह गया होऊंगा। बड़ी कृपा हुई जो आपने सुधार दिया। आपकी लाल बत्ती हो जाती है तो उसके डर से आधे होश में हम लोग बोलते हैं। तो ५२ रुपया फी एकड़ पहले चार्जेज तय हुये, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम ५२ रुपया फी एकड़ नहीं फी घंटा लेंगे और इस तरह से ३१३ रुपया फी एकड़ चार्जेज पड़े। यह मेरे कहने का मंशा था।

उस के बाद ट्यूबवेल लगाये गये। ९० हजार रुपये के ट्यूब-वेल अफजलगढ़ में बेकार गये। गंगा खादर में २४ में से १७ कुवें बेकार हो गये जिसमें ४ लाख ९८ हजार रुपया बर्बाद हुआ। काशीपुर में ४ लाख ७६ हजार रुपया वेस्ट हुआ। तो अगर इस चीज की तह में माननीय मंत्री जी जायेंगे तो देखेंगे कि इस मामले में Horrible waste हुआ है। इसके अलावा जिन से हमें रुपया लेना था उन्होंने दिया नहीं। उनमें से १४० आदमी तराई भावर के फरार हैं। तब हमारे माननीय अफसरान सोते रहे। इसमें १ लाख ७३ हजार ३१ रुपया है जो ९ करोड़ के अलावा है। काशीपुर में ९१ हजार है, मनुनगर में ८ हजार ८०३ रुपया है और चौथी जगह २ लाख ७७ हजार रुपया है बकाया। इसके अलावा और भी बकाया है।

इसके अलावा हमने वहां बिजली घर लगाये। जो इतनी सुन्दरता से चले कि जहां सब जगह बिजली से फायदा होता है लेकिन वहां हमें बिजली से ३ लाख २६ हजार १३७ रुपया नुकसान हुआ १९५८–५९ तक।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सरकार को दिलचस्पी काफी है और सदस्यों को दिलचस्पी नहीं मालूम होती।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अब थोड़ा ही रह गया है····

श्री अध्यक्ष—इस सिलसिले में अधिक कहना बेकार है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा। मेरे कहने की गरज यह है कि जो रुपया इसमें खर्च किया गया वह बर्बाद किया गया। काशीपुर के पास, जमीन का मुआवजा राजा साहब आदि को तो दे दिया गया लेकिन आज भी जमीन उन्हीं के पास है और इस तरह से रानी फूलकुमारी हैं उनको २,००० एकड़ का ज्यादा दे दिया गया। जितनी जमीन एक्वायर हुई उससे ज्यादा का मुआवजा दिया गया और इस तरह से लाखों रुपया बर्बाद हुआ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक मिनट चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जल्दी कहिये।

*श्री गेंदासिंह---पिछले १२ वर्षों में, सन् १९४६ से लेकर ५८ तक, हमने इर्रीगेशन पर शायद अरब रुपया खर्च किया है। इस मद में भी कुछ लाख रुपये मांगे गये हैं। माननीय गोविन्द सहाय जी की सदारत में जो कमेटी बैठी, उसकी रिपोर्ट के १२०वें सफे पर है कि १,०९,२८,००० एकड़ जमीन हम सींच सकते थे अपने प्रदेश में लेकिन हमने सींची ८०,२५,००० एकड़। तो ४२ लाख एकड़ जमीन को पानी पहुंच सकता था लेकिन पहुंचाया नहीं। इसमें और बातें भी लिखी हुई हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। सवाल यह है कि आया यह ४२ लाख एकड़ की पोटैंशैलीटी सचमुच हमने हासिल की। हमको यह लगता है कि अरब रुपया जो खर्च किया गया है, अभी माननीय विष्ट जी भी कह रहे थे और सारे प्रदेश में इर्रीगेशन में गबन की बात कही जाती है, हम समझते हैं कि करोड़ों रुपये का गबन है। अगर ४२ लाख एकड़ को हम पानी नहीं पहुंचा सके, सिर्फ १३ लाख एकड़ को पहुंचाया। २९ लाख एकड़ को नहीं पहुंचाया, तो यह बड़ा भारी गबन है जो आज तक इस प्रदेश में नहीं हुआ।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, यह इर्रीगेशन का मामला गेंदासिंह जी ने पहले भी उठाया था जनरल डिबेट के वक्त मैंने उस वक्त उसका जवाब दे दिया था। इसलिये अब उसका जवाब नहीं दूंगा। जहां तक कोलोनाइजेशन का मामला है उसके बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि हमारे माननीय सदस्य अगर इसको पहले उठाते तो मैं उसके मुताल्लिक कुछ जवाब दे भी सकता। अब उन्होंने इस बात को चार्ज्ड आयटम्स के सिलसिले में उठाया है, जब कि सिर्फ १६० रुपये किसी मुकदमें का खर्च मांगा गया है तो उसके सिलसिले में पूरी कोलोनाइजेशन की पालिसी को किस तरह से बताया जा सकता है। अगर आप चाहेंगे तो आपको उसकी तफसील मंगा दी जायगी और इत्मीनान करा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, २, ३ और अनुसूची

संक्षिप्त शीर्षनाम

१---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ की बढ़तियों का विनियमन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की १९५५-५६ की संचित निधि में से ३३,७९,८३० रुपये का दिया जाना।

२---उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियां जिनका कुल योग ३३,७९,८३० रुपया (केवल तैंतीस लाख उनासी हजार आठ सौ तीस रुपया) होता है ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त उस वर्ष के लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दी तथा काम में लायी जा सकती है।

विनियोग

३---इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को दिये और काम में लाये जाने का अधिकार दिया जाता है उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
९	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य ..	२,७९,९१५	..	२,७९,९१५
१७	पुलिस ..	११,९२,०९२	...	११,९२,०९२
२०	जन-स्वास्थ्य ..	१०,०८,६७९	..	१०,०८,६७९
२२	कृषि अभियंत्रण और उप-निवेशन ..	..	२,१६०	२,१६०
३९	अनुसूचित और पिछड़े वर्गों का सुधार और उत्थान ..	७,७०,४९२	..	७,७०,४९२
४१	असाधारण व्यय ..	५४,५३९	..	५४,५३९
४३	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन ..	७१,९५३	..	७१,९५३
	योग	३३,७७,६७०	२,१६०	३३,७९,८३०

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५–५६ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९

३१ मार्च, १९५६ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (Excess) व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त विधेयक

यह इष्टकर है कि ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (Excess) व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था की जाय,

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९, पारित किया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९, पारित किया जाय।

(श्री गौरीशंकर राय द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री अध्यक्ष--अब मैं इसको पारित करने के लिये ५ बजे के बाद १० मिनट का समय और बढ़ाता हूं जिससे इस पर वोटिंग हो जाय। अगर वोटिंग पहले खत्म हो जायगी तो पहले खत्म हो जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१२४,
विपक्ष में--४६।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
८ सितम्बर, १९५९।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४९ पर)

To

THE CHIEF SECRETARY,
GOVERMET OF UTTAR PRADESH,
UTTAR PRADESH SECRETARIAT,
LUCKNOW.

SIR,

Due to acute corruptions, favouritism, nepotism, wastage of public funds, rape, murder of democracy, daylight robbery of national wealth and above all threat for physical violence and threat for life for displaying national integrity while performing Government duties, I beg to submit this one month resignation notice w.e.f. the forenoon of to-day, that is November 18, 1958. The circumstances forcing me to resign are being reported directly to you in a separate cover, to the Ministers and Presidential lvevels of India as I feel justice can only be achieved from your office, the TEMPLE OF JUSTICE.

Yours faithfully,
(Sd.) P. H. PUNJABI,
Accounts Clerk, Naraini Canal Division,
Gorakhpur.

November 18, 1958.

COPY forwarded for information and necessary action to the Superintending Engineer, Irrigation Works Circle, Gorakhpur.

(Sd.) P. H. PUNJABI,
Accounts Clerk, Naraini Canal Division,
Gorakhpur.

November 18, 1958.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५२ पर।)

लखनऊ नगर के मोहल्लों के नाम		जन-संख्या (सन् १९५१ की जन-गणना के अनुसार)
हजरतगंज वार्ड ..	१—मार्टीन पुरवा	१,२४६
हसनगंज वार्ड ..	२—रहीमनगर	२,४८१ (महानगर की आबादी सहित)
	३—मीठी खिचड़ी	२,२१६
	४—जोशी टोला	
	५—रूपपुर खदरा	३५८
	६—मसालची टोला	३२८
	७—पुरानी बांस मंडी	१,१७९
	८—झवझाली मुहल्ला	३०६
	९—इरादत नगर	१६०
	१०—भाड़ों टोला	५२३
	११—भिस्ती टोला	५३६
	१२—गुड़ियन टोला	१७४
	१३—पुरवा बाबा अयोध्या दास ..	९६
	१४—मोची टोला	९१
	१५—रेती	९१
	१६—दर्शनगंज अलीगंज	
	१७—मेंहदी टोला अलीगंज	
	१८—पांडे टोला चांदगंज करां ..	
	१९—लुध पुरवा ,, ,, ...	शेखापुरा ३,९८५
	२०—इसलाम बाडी ,, ,, ...	
	२१—रैदास पुरवा ,, ,, ...	
यहियागंज वार्ड ..	२२—कर्बला नासिरुद्दीन	२०
	२३—चित्ता खेड़ा	७१८
	२४—चुड़ई खेड़ा	५५४
	२५—कायम खेड़ा	३६५
	२६—हरिचरनपुर कनौड़ा	९०७
	२७—करेहटा	९६६
	२८—निवाज खेड़ा	
	२९—मोतीझील ऐशबाग	जन-गणना सूची में इनकी जन-संख्या दर्ज नहीं है।
	३०—पोलोखेड़ा	
	३१—शीतल खेड़ा	
सहादतगंज वार्ड	३२—आलमनगर आबादी	१,४७७
	३३—तालाब पांडे	५०६
	३४—मेंहदीगंज	८०१
दौलतगंज वार्ड ..	३५—झांखड़बाग	जन-गणना सूची में इसकी जन-संख्या अलग नहीं दर्ज है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५६ पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग में मजदूर दो प्रकार के होते हैं एक वे जिन्हें मासिक आधार पर वेतन दिया जाता है तथा दूसरे वे जो दैनिक दर से वेतन पाते हैं इनका वेतन इस प्रकार है

मासिक वेतन	दैनिक वेतन
३० रु० से ३६ रु० तक योग्यता के अनुसार	१ रु० से १ रु० ५० नये पैसे तक योग्यता के अनुसार

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६३ पर)

योग्यता	वेतन-क्रम
पतरौल—जूनियर हाई स्कूल परीक्षा या मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल या हायर सेकन्डरी स्कूल की ८वीं कक्षा की परीक्षा या राजकीय संस्कृत कालेज, बनारस द्वारा संचालित प्रथमा परीक्षा या उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा पास कर ली हो। जिन व्यक्तियों ने वर्नाक्यूलर फाइनल परीक्षा या हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल परीक्षा पास की है वे भी patrols service के लिये योग्य (eligible) हैं। उन अभ्यर्थियों को Preference दी जायगी जिनके पास उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार द्वारा दिये गये कृषि स्कूलों का डिप्लोमा हो।	२५—१—४० रु० प्रति माह तथा मंहगाई भत्ता जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत होता है।
बरकन्दाज—के लिये कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।	२२—१/२-२७ रुपया प्रतिमाह तथा महंगाई भत्ता जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत होता है। और ५ रु० उनको अधिक दिया जाता है जो जिले के हेडक्वार्टर में नियुक्त किये जाते हैं।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४–८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६७ पर)

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	नाम झील
१—जमेथा	.. ..	जमेथा झील
२—लकेसर	.. ..	लकेसर झाबर
३—अटकुनियां	.. ..	अटकुनियां ताल
४—परसेहरा	.. ..	परसेहरा झाबर
५—सरियां	.. ..	सरियां झाबर
६—पनौरा	.. ..	पनौरा झाबर
७—रायपुर	.. ..	रायेपुर ताल
८—मेहमूदाबाद	.. ..	मेहमूदाबाद ताल
९—खागी ओयल	.. ..	खागी ओयल ताल

पी० एस० यू० पी०–ए० पी०–१६७ एल० ए०—१९५९—८४५।

संसद पुस्तकालय प्रदर्शन